सप्तम माला, खंड 44 अंक 8 शनिवार, 3 मार्च, 1984/13 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(Seventh Lok Sabha)

(चौदहवां सत्र)

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 8, शनिवार, 3 मार्च, 1984/13 फाल्गुन, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	3—15
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	16—42
और	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री के० ए० राजन	16
श्री भुवनेश्वर भूयन	19
श्री जेवियर अराकल	22
श्री रतन सिंह राजदा	23
श्री हरिकेश बहादुर	29
श्री गिरधारी लाल डोगरा	31
श्री रामावतार शास्त्री	33
श्री पट्टाभिराम राव	35
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	37
खंड 2 से 7 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पट्टाभिराम राव	41
गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	42—77
और	
गणेश फ्लोर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एन० के० शेजवलकर	42
श्री भागवत झा आजाद	47
श्री मोहम्मद इस्माइल	52
श्री बृजमोहन महन्ती	53
श्री जगपाल सिंह	56
श्री जेवियर अराकल	58

प्रो० अजित कुमार मेहता 59
श्री सत्यनारायण जटिया 61
श्री एन० सेल्वाराजू 63
श्री मूलचंद डागा 64
श्री कमला मिश्र मधुकर 66
श्री हरिकेश बहादुर 68
खंड 2 से 29 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री भागवत झा आजाद 76
श्री रामावतार शास्त्री 76
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक 78—93
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री एस० एम० कृष्ण 78
श्री सतीश अग्रवाल 80
श्री कमला मिश्र मधुकर 85
श्री हरिकेश बहादुर 86
श्री गिरधारी लाल डोगरा 87
प्रो० सैफुद्दीन सोज 88
खंड 2 से 4 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री एस० एम० कृष्ण 91
श्री रामावतार शास्त्री 91
श्री सतीश अग्रवाल 92
इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प 94—110
और
इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक
विचार करने के लिए प्रस्ताव
प्रो० सैफुद्दीन सोज़ 94
श्री पट्टाभि राम राव 96
श्री मोहम्मद इस्माइल 96
श्री एन० सेल्वाराजू 100
श्री इन्द्रजीत गुप्त 102
श्री टी० आर० शमन्ना 108

लोक सभा

शनिवार, 3 मार्च, 1984/18 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजकर सात मिनट पर समवेत हुई।

11.07 **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज शनिवार की बैठक हमसे बिना पूछे रखी गई है, इसके विरोध में हम सदन से बाहर चले गए थे। आपके प्रति असम्मान न हो, इसलिए हम उपस्थित हो गए हैं। भविष्य में ध्यान रखा जाए कि शनिवार को सेशन, या कोई तब्दीली, हमसे बिना पूछे नहीं होनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप जिन लोगों को डांटते हैं, उन्हीं के कारण आज कोरम पूरा हुआ है।

श्री सतीश अग्रवाल : अगर आज कोरम हुआ है, तो विरोधी पक्ष की वजह से हुआ है, सत्ता-पक्ष की वजह से नहीं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, श्री बूटा सिंह ने आपकी ओर से वादा किया था कि आप आज सभी को दोपहर का भोजन दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, संसदीय कार्य मंत्री देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह नहीं देंगे, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : संसदीय कार्य मंत्री मध्याह्न भोजन देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी होने पर ही आप शनिवार को सदन की बैठक कीजिए, ऐसे नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आज, विपक्ष ने सरकार को परेशानी से बचा लिया। अगर हम नहीं आते, तो आज सेशन न हो पाता। महोदय, आप सत्ता दल को यह अवश्य बता दें कि उन्हें अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिए। मैं अपने दल के एक पद के लिए चुन व लड़ रहा हूं, लेकिन फिर भी संसदीय कार्य के हित में मैं यहां उपस्थित हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बूटा सिंह बोलेंगे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : माननीय सदस्यों ने अभी कहा है कि हम बिना विपक्ष से सलाह किये आज की बैठक कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। महोदय, आप जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तय किया गया था। माननीय सदस्यों और उनके नेताओं के बीच सही प्रकार से संदेश का आदान-प्रदान नहीं हो पाया है।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे इस पर आपत्ति है। शिमला सम्मेलन, जिसका कि वे कल जिक्र कर रहे थे, में यह निश्चित किया गया था कि दलों के सचेतकों को विश्वास में लिया जायेगा। सचेतकों को सूचना दी जायेगी, और मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। हम नहीं जानते थे कि आप शनिवार को बैठक रखने जा रहे हैं। यह शिमला समझौते का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : अब दो शिमला समझौते हैं। मैंने कोई भी 'शिमला समझौतों' के लिए नहीं कराया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तय किया गया था।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य हूं और मैंने इसकी सभी बैठकों में भाग लिया है।' मुझे नहीं मालूम कि क्या कार्य मंत्रणा समिति में इसका निर्णय किया गया था ?

श्री राम विलास पासवान : फर्स्ट के बुलिटन में निकला था कि शनिवार वर्किंग डे रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक्सप्लेनेशन हुआ था। आपने पूछा कि शनिवार को सेशन कैसे रखा गया ? उन्होंने कहा कि आर्डिनेंसिज वगैरह हैं, इसलिए रखा गया है। इसी प्रकार की कुछ बात कार्य मंत्रणा समिति में की गई थी। यही हुआ था।

श्री रामावतार शास्त्री : आखिर व्हिप्स कांफरेंस करने का मतलब क्या है ? उनकी राय तो लेनी चाहिए।

श्री बूटा सिंह : मैं सभा में सभी राजनैतिक दलों के मुख्य सचेतकों की एक बैठक बुलाने जा रहा हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं भी उसमें शामिल हुआ था। यह कहा गया कि हम उनके साथ कोआपरेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज इसका सबूत यह है कि इनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। मैं सिर्फ व्हिप्स कान्फरेंस की बातों की याद दिला रहा हूं।

श्री बूटा सिंह : मैंने श्री सतीश अग्रवाल जी से वादा किया है कि हम सचेतकों की एक बैठक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम दोपहर के भोजन के समय के दौरान बैठक करेंगे।

11.11

सभा का कार्य

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 5 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. 1984-85 के लिए रेल बजट पर सामान्य चर्चा ।

2. लोक सम्पति नुकसान निवारण अध्यादेश, 1984 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में लोक सम्पति नुकसान निवारण विधेयक, 1984 पर विचार और पारित करना ।

3. 1984-85 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी द्वारा आगामी सप्ताह के लिए प्रस्तुत कार्य सूची में निम्न दो विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं ।

1. फारेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट, 1980 के प्राविधानों के कारण अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के फलस्वरूप देश के अधिकांश भागों में विशेषकर पर्वतीय व जनजाति वाले क्षेत्रों में निर्माण व विकास के कार्य लगभग 3 साल से ठप्प पड़े हुए हैं । इन क्षेत्रों के विकास में एक भयंकर गतिरोध पैदा हो गया है । जनता में इस ऐक्ट के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त है । इसका दुष्प्रभाव हमारी समूची फारेस्ट पालिसी पर पड़ रहा है ।

2. आने वाले वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश को योजना परिव्यय में वांछित वृद्धि न किए जाने का दुष्प्रभाव वहां की कई राष्ट्र उपयोगी परियोजनाओं पर पड़ना निश्चित है । ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है । योजना मंत्रालय द्वारा कटौती किए जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के क्षेत्र वाले विकास कार्यों के लगभग ठप्प पड़ जाने की संभावना पैदा हो गई है । अत: इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी संसद में चर्चा आवश्यक है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को निम्नलिखित दो सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :—

1. गैरकानूनी प्रवासियों का पता लगाने के लिए बनाए गए न्यायिक पंचाटों की प्रक्रिया पर असम आन्दोलनकारियों ने असहमति दिखाई है कि इन पंचाटों की प्रक्रिया मानने से 1971 के पहले आकर बसे सभी लोगों को कानूनी दर्जा मिल जायेगा । आन्दोलन का नया कार्यक्रम बन रहा है तथा उसे अखिल भारतीय समर्थन दिलाने के लिए 14 फरवरी को देश के कई भागों में "काला दिन" भी मनाया गया था । पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में आन्दोलन का असर बढ़ रहा है । अप्रवासियों के विषय में सब की चिन्ता एक जैसी है । आन्दोलनकारियों को बातचीत के रास्ते पर लौटाने से आन्दोलन जनित कटुता समाप्त होगी ।

2. बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में चाइबासा अनुमंडल के मुंडा जनजाति के प्रशासन के लिए अंग्रेजी राज्य में ही बंगाल रेगुलेशन की धारा 13 के अन्तर्गत विल्किन्संस रूल्स में 1833 में ही उनकी परम्परागत संस्था को मान्यता दी गई थी तथा उन्हें कुछ पुलिस, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार सौंपे गये थे तथा इस भूभाग को कोल्हान नाम दिया गया था। गणतन्त्र बन जाने के बाद उन संस्थाओं की अपेक्षा की जा रही है और उनके अधिकारों में राज्य प्रशासन का हस्तक्षेप आरम्भ हो गया है। यह जनजाति अपनी परम्पराओं में अनावश्यक हस्तक्षेप को अपनी संस्कृति को नष्ट किए जाने का प्रयास मानती है तथा इसका विरोध करती है। यह भाग धीरे-धीरे संवेदनशील बनता जा रहा है तथा यह जनजाति सरकार से असन्तुष्ट होकर उसके इरादे पर सन्देह करने लगी है। अतः मेरा सुझाव है कि इस समस्या को समय रहते सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और निर्माण की मांग की जा रही है जिनकी ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।

इन्दौर से उज्जैन, रतलाम, बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करने की आवश्यकता है जिसकी संसदीय याचिका समिति ने भी अनुशंसा की है किंतु उसे अब तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार उज्जैन से इन्दौर के बीच तेज गति की मीटरगेज रेल सेवा, जोकि इन दो नगरों की 63 किलोमीटर की दूरी को अधिकतम 80 मिनट में तय करे, चलाने की आवश्यकता है। उज्जैन और इन्दौर मध्य प्रदेश के दो प्रमुख नगर हैं। सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और प्रशासनिक दृष्टि से इन महत्त्वपूर्ण नगरों के बीच सुगम और सुविधाजनक यातायात से जनता के आवागमन को सुरक्षित त्वरित बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार उज्जैन, आगर, सुसनेर, झालावाड़, पाटन, रामगंज मण्डी तक नयी रेल लाइन का सर्वेक्षण कर निर्माण किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे कोच सुधार और निर्माण कारखाने की स्थापनार्थ शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के विकास के लिए उपरोक्त बातों को शीघ्र पूरा करें।

2. देश में तथा मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग संकट में है। जहां एक ओर इन्दौर के होप टैक्सटाइल के बन्द होने के कारण हजारों मजदूर बेकार और बेरोजगार हो गए हैं, वहीं उज्जैन के विनोद और विमल मिलों की हालत भी ठीक नहीं है। इनके कभी भी बन्द हो जाने का खतरा बना हुआ है जिसके कारण हजारों मजदूरों की जीविका संकट में हो जाने का भय है।

अतएव टैक्सटाइल मिलों की ओर केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उक्त विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में चर्चा के लिए सम्मिलित किया जाए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज की मद संख्या 1 के अन्तर्गत मैं अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा चाहता हूं।

जैसा कि सदन को मालूम है कि पिछड़े वर्गों के हित के लिए गठित बी० पी० मण्डल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को पेश की। उसके बाद सदन में तीन बार

उस पर बहस हुई और गृह मन्त्री ने हमेशा सदन को आश्वासन दिया कि सरकार मण्डल कमीशन की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, लेकिन अफसोस है कि चार वर्ष हो गए लेकिन अभी तक मण्डल कमीशन की सिफारिशों को नहीं लागू नहीं किया गया। पिछले साल 50 संसद सदस्यों ने इस मांग को लेकर अपनी गिरफ्तारी दी। आश्चर्य है कि जब दोनों पक्ष के सदस्य एक मत से भावना व्यक्त कर चुके हैं तो भी सरकार मण्डल कमीशन की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू कर रही है।

2. पूरे देश में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। काफी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की हत्या की जा चुकी है। दिल को दहलाने वाले पिछले दिनों पिपरिया एवं मुंगेर में सामूहिक हत्या काण्ड हुए। यही स्थिति दूसरे राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी है। यहां तक कि भारत की राजधानी दिल्ली में लोगों का जनजीवन बिल्कुल असुरक्षित हो गया। जब से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से स्थिति और खराब हो गई है। पूरे देश में लोगों का जन जीवन असुरक्षित हो गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोर वर्गों पर जुल्म एवं अत्याचार बढ़ रहे हैं।

अतः बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सदन में चर्चा करायी जाए।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मैं संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं :—

1. हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की बढ़ती हुई मौजूदगी के कारण दक्षिण पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं के कारण भारतीयों की सुरक्षा के बारे में चिन्ता।

2. भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा। इसे पिछले बजट सत्र की कार्यसूची में एक दफा सम्मिलित किया गया था। यह कानून अगर पारित हो गया तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित मद शामिल की जाए।

हरे वनों के घनत्व में लगातार कमी हो रही है। यह हमारे देश की अमूल्य सम्पदा है। लकड़ी, रेलवे ट्रेक्स और जलाने के लिए लकड़ी के जंगलातों के विनाश से यह सम्पदा धीरे-धीरे कम हो रही है और इसके साथ ही हिमालय की सुन्दर वनस्पति और जीव-जन्तु भी समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक गरीब राज्य है इसलिए न केवल अपनी आमदनी बनाये रखने के लिए इस महत्वपूर्ण स्रोत का उपयोग कर रहा है और प्रत्येक वर्ष वहां काफी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। यदि समूचे राज्य में सारे वनों को सुरक्षित रखना व्यवहार्य हो जाए और जंगलों के बिना बजह काटने और उनसे मिलने वाले उत्पाद जैसे राल, जोकि इसकी जड़ों में मिलती है, के शोषण को रोका जा सके तो राज्य को बहुत प्रसन्नता होगी। केन्द्र को इस प्रस्ताव को मानना चाहिए और राज्य को प्रत्येक वर्ष जंगलों से इस प्रकार होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त अनुदान देने चाहिए और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इस प्रकार घने सुन्दर वनों

की कटाई रोकी जा सकेगी और वे राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में सुरक्षित रहेंगे और उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों में बदला जा सकता है।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : 5 मार्च, 1984 से आरम्भ होने वाले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाने चाहिए :

1969 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के समान किए गए थे। केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को 1974 में पिछली तारीख एक जनवरी, 1971 से 'स्लेक्शन ग्रेड' दिये गये थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्कूलों के अध्यापकों को एक जनवरी, 1973 से 'स्लेक्शन ग्रेड' मंजूर किये हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यवाही परिषद् ने भी इसकी मंजूरी दी है। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह घोर अन्याय का स्पष्ट मामला है। कुछ अध्यापक जिन्हें कि 'स्लेक्शन ग्रेड' मिलना था, उनकी मृत्यु हो गई है और कुछ सेवानिवृत हो गये हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : बम्बई शहर और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी है। तथापि बंगलौर के समाचार-पत्र 'दक्कन हरल्ड' ने 24 फरवरी को लिखा है कि साउदी अरब और इजरायल ने एक 'रिवर्स-ओस्मोसिस' प्रक्रिया का विकास किया है, जिससे समुद्र के पानी का अपक्षारीकरण कर उसको पीने और सिंचाई के योग्य बनाया गया है। बिजली के उत्पादन में प्राकृतिक गैस के प्रयोग से समुद्र से पेय जल को बनाने की लागत काफी सस्ती पड़ सकती है। क्योंकि ईरान (बम्बई के नजदीक) और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस काफी है, और यह गैस फालतू भी हैं, इसलिए हम बंबई क्षेत्र में सस्ती दरों पर पीने के पानी का अपक्षारीकरण कर सकते हैं। बिजली की लागत अपक्षारीकरण प्रक्रिया में मुख्य घटक है।

बम्बई की पेय जल समस्या का समाधान है—समुद्री जल का अपक्षारीकरण, क्योंकि साउदी अरब या इजरायल से यह तकनीक आयात करनी पड़ेगी, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि पेय जल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या को हल करने के उपायों पर अगले सप्ताह चर्चा की जाए। इसके अलावा, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को यह आश्वासन भी दिया हुआ है कि 1980 से 1990 के दशक को जल पूर्ति दशक के रूप में मनायेगी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : मैं कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल करने का सुझाव देती हूं :—

1. धन की कमी के कारण, केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया है कि 3.5 करोड़ लोगों जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, को 'स्लम क्लीयरेन्स' योजना, जोकि इनको बसाने के लिए है, की बजाय 'स्लम सुधार' योजना के अन्तर्गत आवश्यक सुविधाएं दी जाएं।

सरकार द्वारा 'स्लम अपग्रेडेशन' कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत विश्व बैंक आवश्यक सुविधाएं

प्रदान करने की व्यवस्था करता है, पहले ही लागू किया है। एक निजी संस्था, 'हेबिटेट इण्डिया' ने बम्बई की गन्दी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए 120 करोड़ रु० की कम से कम लागत पर पांच मंजिले मकान बनाने की योजना रखी है।

मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि 'हेबिटेट' योजना पर सभा में एक पूर्ण चर्चा की जाए।

2. सभा में सरकार द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद, महिलाओं के लिए रोजगार स्थिति या उनके कार्य करने की स्थितियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसके विपरीत महिलाओं को नौकरियों से निकाला जा रहा है जिससे उनकी स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, आखिरी हथियार के रूप में दिल्ली की आंगनवाड़ी शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारियां दीं। अमानवीय कार्य स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए नर्सों ने जलूस निकाले। बम्बई कपड़ा उद्योग में महिलाओं को काम पर वापिस नहीं लिया जा रहा है।

इसलिए महिलाओं को रोजगार के बारे में चर्चा आवश्यक है।

श्री बूटा सिंह : मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषयों पर सभा में चर्चा हो किंतु महोदय, जैसाकि आप जानते ही हैं कि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की है और इस बहस के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की जा सकती थी। जब हम सामान्य बजट पर चर्चा करेंगे तो हमें इस सम्बन्ध में एक और अवसर मिलेगा। तब उनमें से अधिकांश मदों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए इन विषयों को कार्य मंत्रणा समिति तथा आपके समक्ष भी रखना चाहता हूं और यदि कार्यमंत्रणा समिति के लिए संभव हुआ कि वह इन विषयों के लिए समय निकाले तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इन्हें कार्य मंत्रणा समिति को सौंपने दीजिए। हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यदि हमें समय मिल सका तो हम इन पर चर्चा करेंगे। मुझे खेद है कि इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं कि मैं अपनी ओर से इन मदों को कार्य सूची में शामिल करूं, जिसे मैंने अभी-अभी पढ़ा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब तक कार्य मंत्रणा समिति को ऐसे विषयों के लिए समय नहीं मिलता, वे प्रतीक्षा करें।

श्री राम विलास पासवान : महोदय मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आपने कह तो दिया है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन मन्त्री महोदय क्या कहना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख देंगे।

श्री राम विलास पासवास : लेकिन मैं तो उस पर यहां डिस्कशन करवाना चाहता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं आपकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि हम सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए यद्यपि मैं सोचता हूं कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान पश्चिम बंगाल में हुई घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा हमला किया गया और वह हमला किसी और ने नहीं स्वयं मुख्य

सचेतक द्वारा किया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सत्तारुढ़ दल के सदस्य विपक्षी दल के रूप में क्या कर रहे हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में मुख्य सचेतक ने अध्यक्ष पर हमला किया। यह बहुत गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, आप भूल रहे हैं कि सदस्य सतारूढ़ दल का भी हो सकता है और विपक्षी दल का भी। सर्वप्रथम वह राज्य की विधान सभा या संसद का सदस्य है और उसे वैसा कार्य करना चाहिए जिसकी उससे आशा की जाती है। जो भी हो, चाहे यह कहीं भी हुआ है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसकी जांच करें। इसीलिए मैं हमेशा···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष होने के नाते, आपको इसकी निन्दा करनी ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं सदन में हमेशा यह कहता हूं कि किसी भी जगह किसी सदस्य पर सदस्य द्वारा किया गया दुर्व्यवहार···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर अवश्य बल दूंगा···

(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, एकदम निष्कर्ष पर मत पहुंचिए···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं। यही कारण है कि मैंने कहा है कि इन तथ्यों की जांच करानी होगी। मुझे सभी तथ्यों की जानकारी नहीं है लेकिन आम सिद्धांतों के संबंध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि यह सभा एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में हमें बैठना है चर्चा करनी है तथा उन्नति की ओर अग्रसर होना है। अतः हमें अपने व्यवहार तथा अपने कार्यों से लोकतंत्र की जड़ें काटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह सामूहिक प्रयास है। विपक्ष के बिना संसद की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या ऐसा नहीं है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आज ही हमने यह देखा है।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष और सतारूढ़ दल से मिलकर ही संसद बनती है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष के बिना संसद का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष का चयन आप ही लोगों द्वारा किया जाता है। वह आपका प्रतिनिधि है। वह आपका सेवक है। हम अच्छी परम्पराएं बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और हमें अच्छी परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए। इसमें भावी पीढ़ियों की समृद्धि और हमारा भला है। इसी कारण हम अभिव्यक्त स्वतन्त्रता, कर्म स्वतन्त्रता एवं सोच स्वतंत्रता का लाभ उठाते है। क्या ऐसा नहीं है ? अन्यथा हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अतः हमें इसे प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करना चाहिए···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आपको इसकी निंदा करनी चाहिए···(**व्यवधान**).

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी पुष्टि करूंगा, मैं पता लगाऊंगा। मेरे लिए तो यह ठीक है। मैं इस प्रकार के कामों में, चाहे वह किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये हों, भेदभाव नहीं बरतता।

(**व्यवधान**)

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने विपक्ष की महत्ता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इंगलैंड में ऐसा कहा जाता है कि यह वहां की महारानी का विपक्ष है। विपक्ष भी लोकतंत्ररूपी रथ का एक महत्वपूर्ण पहिया है और सत्तारूढ़ दल को भी विपक्ष के विचारों और भावनाओं का आदर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह अन्योन्य है। दो पहियों के बिना गाड़ी हो ही नहीं सकती···

(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। परसों श्री बूटा सिंह जी ने शिमला में हुए सचेतकों के सम्मेलन के निर्णयों का जिक्र किया था उन्होंने उस बैठक की अध्यक्षता की थी, वह संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो देश के संसदीय लोकतंत्र के हितों की रक्षा करते हैं। जब शिमला में यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में सभा की मर्यादा कम नहीं होने दी जाएगी तथा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, तो संसदीय कार्य मंत्री, जो इस विषय विशेष के प्रभारी हैं, होने के नाते वह पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के सहयोगी, जिसने शिमला सम्मेलन में लिए गए निर्णय की अवज्ञा की है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? जब तक आप अपने ही दल के सदस्य के विरुद्ध निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, चाहे वह कर्नाटक में हो या पश्चिम बंगाल में या जम्मू और कश्मीर में, आप अन्य दलों द्वारा इसका अनुकरण किए जाने की आशा नहीं कर सकते। मैं कांग्रेस (आई) पार्टी से अनुरोध करूंगा कि वह विधायकों के लिए आचरण संहिता अपनाए जैसा कि हमने भारतीय जनता पार्टी में किया है।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों की बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा कह दिया।

श्री राम विलास पासवान : अभी पूरा कहां कहा है। मेरा सवाल इतना है कि अपोजीशन की सरकारें भी इस देश में हैं और हम लोग भी इस देश के हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह देश सबका है।

श्री राम विलास पासवान : जी हां, सबका है। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं कि नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स जहां पर हैं, वहां पर ये हुल्लड़ बाजी करके, स्पीकर को बदनाम करके और हाऊस की डिसेन्सी को खत्म करके इस तरह का व्यवहार करते हैं और आप यदि हमसे यह उम्मीद करेंगे कि हम इस हाऊस में चुप बैठे रहें, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। यदि आपको हाऊस की डिसेन्सी को कायम रखना है, तो आप पार्लियामेन्टरी एफेयर्स मिनिस्टर साहब से कहिये कि वे पश्चिम बंगाल में अपने इन लोगों को समझाएं, जम्मू व काश्मीर में अपने लोगों को समझाएं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपने लोगों को समझाएं और यदि वहां पर हुल्लड़बाजी होगी, तो हम यहां हुल्लड़बाजी तो नहीं करेंगे लेकिन सभ्य तरीके से इसका विरोध जरूर करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कह तो दिया है और आपकी बातों को सुन लिया है। यह बहुत बुरी बात है और शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए।(**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वहां पर अपोजीशन ने इस तरह का व्यवधान किया है। हम चाहेंगे कि इसको कन्डेम किया जाए।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सारी बातें आ गई हैं।...(**व्यवधान**)...आप लगातार बोल रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, आप उन दोहरे मानदंडों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिन्हें व्यवहार में लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना मत स्पष्ट कर चुका हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें बताने दीजिए कि दोहरे मानदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : सारे के सारे इकट्ठा बोलने लगते हैं और बन्द नहीं होते। मिनिस्टर साहब आप बोलिए।

श्री रामावतार शास्त्री : आप इस पर बोलिए। आप ह्विप कांफ्रेंस के चेयरमैन थे और अगर कोई वायलेशन होता है, तो उसमें आपका भी अपमान होता है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिये।

श्री बूटा सिंह : महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपके इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि मैं कल भी आपसे यह निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा था कि आचरण-संहिता और मर्यादा हर एक के लिए है, न कि सदन के किसी एक पक्ष के लिए, वह पूरे सदन के लिए हैं और देश में लोकतंत्र के हित में है। आपने इस सदन में या विधान सभा में, माननीय सदस्यों के आचरण के बारे में जो कहा, मैं उस पर टिप्पणी देना नहीं चाहता। तथ्यों की जांच हुए बिना समाचारपत्रों में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है। यदि आप एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाने आरम्भ कर देते हैं तो उससे भी सदन की मर्यादा कम होती है। जहां तक उद्देश्यों का संबंध है, मैं

पूर्णतः उनके साथ सहमत हूं। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार गुमराह करने वाले भी हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि समूची प्रेस पक्षपातपूर्ण है। लेकिन कभी-कभी वे कहानियां गढ़ देते हैं दुर्भाग्य से प्रेस के कुछ वर्ग किन्ही स्वार्थों एवं प्रयोजन से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक दृष्टिकोण है।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप समाचार पत्रों को दोष दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि आप प्रेस पर धौंस जमा रहे हैं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा ऐसी टिप्पणियां देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप जानते हैं कि समाचार पत्र भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि वह सभी समाचार पत्रों के विरुद्ध नहीं हैं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप प्रेस पर अभियोग क्यों लगा रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : समाचार पत्रों ने ही सारे मामले पर प्रकाश डाला है। सरकार छिपा रही है और समाचार पत्र उस पर प्रकाश डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छे, बुरे हर जगह होते हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रेस की आजादी पर हमला नहीं ही रहा है, न होने देंगे।

श्री वसन्त साठे : वह केवल प्रेस के कुछ वर्गों की निंदा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल जब उन्होंने काश्मीर विधान सभा में श्री लोने के भाषण के बारे में पूछा, आपने कहा कि आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी थी, लेकिन यहां वह कह रहे हैं कि जांच किए बिना वह नहीं बोल सकते हैं। पुनः दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी यही कह रहे हैं। हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए। वह यही कह रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें अपने सदस्यों को भी बताना चाहिए। कल उन्होंने जांच किए बिना काश्मीर का मामला उठाया।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यह घटना दो दिन पहले हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं। इसकी जांच करनी होगी। अब आप बैठिये।

श्री हरिकेश बहादुर : यह घटना दो दिन पहले हुई थी। अब तक उन्हें जांच कर लेनी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ करवाना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों को अभी तथ्यों का पता लगाना है, तो आप मुझसे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मैंने तथ्यों की जांच कर ली है? जब तक अध्यक्ष महोदय संतुष्ट न हों, जब तक वह समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की जांच न करें, हम यह प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? मुझे दुःख है कि मेरी बात को गलत समझा गया। मैंने समूची प्रेस के बारे में नहीं कहा था। मैंने कहा कि प्रेस के कुछ वर्ग निहित स्वार्थ से कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या गलत है?

श्री वसन्त साठे : वह आपकी भी शिकायत है। उसमें क्या ग़लत है। प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती ने अभी-अभी कहा कि प्रेस के कुछ वर्गों ने आपकी भी आलोचना की। और आपको भी यही शिकायत है।

(व्यवधान)

श्री रत्नसिंह राजदा : महोदय, हमें प्रेस की निंदा नहीं करनी चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं कहता हूं कि समाचार-पत्रों को हमारी आलोचना करने का अधिकार है लेकिन हमें उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। उनकी अपनी स्वतंत्रता है।

अध्यक्ष महोदय : समाचार-पत्र इसीलिए है।

श्री बूटा सिंह : जी हां महोदय, मैं आपको अन्तर बताऊंगा। आलोचना का स्वागत है। लेकिन मनगढ़न्त कहानियां, निराधार आरोप को यदि आलोचना कहा जाता है, तो मुझे दुःख है मेरा आपसे भिन्न मत है। जी हां, आलोचना का स्वागत है। आलोचना लोकतंत्र का जीवन है, उसका सार है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जब आलोचना मनगढ़ंत है, तो हमें तथ्यों की जांच करनी होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बुजुर्ग आदमी हैं, बैठते क्यों नहीं।

श्री राम विलास पासवान : आपका संचार माध्यम क्या कर रहा है ? हर रोज रेडियो से क्या प्रसारित होता है ?

श्री बूटा सिंह : तब महोदय, सदन में यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि विपक्ष की उपेक्षा की गई है। यदि आप सदन में विपक्ष द्वारा लिए गए समय की गणना करें, तो मुझे यह कहते हुए यह गर्व होता है कि हमारे सदन में, संभवतः विपक्ष को अधिक समय मिलता है। आपकी अनुमति से जिस विषय पर भी चर्चा की जाती है, सदन अधिकांशतः जिन विषयों पर चर्चा करता है, कहना ठीक नहीं होना कि हम विपक्ष को उनके प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते। आप सभा की किसी भी दिन की किसी भी विषय पर की गई कार्यवाही देख लीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : हमने यह नहीं कहा कि हमें बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता। हम ही केवल एकमात्र वक्ता होते हैं।

श्री बूटा सिंह : आप अपनी बात कह चुके हैं, कृपया अब मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा था कि विपक्ष के बिना संसद का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और डा० सुब्रह्मण्यम मेरे से सहमत होंगे कि विश्व में संसदें···

अध्यक्ष महोदय : वह मैं बता चुका हूं, कृपया इसके विस्तार में न जाइए।

श्री बूटा सिंह : श्रीमन, हम भी विपक्ष में थे। विश्व की आज की स्थिति की वास्तविकता बताने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी संसदें भी हैं जहां केवल एक ही दल है। लेकिन हम विपक्ष का स्वागत करते हैं और उनकी रचनात्मक आलोचना का भी स्वागत करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप उस प्रकार की संसद चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ? आप बैठ जाइए भगवान के नाम पर।

श्री बूटा सिंह : श्रीमन् हम विपक्ष का स्वागत करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतनी देर आपने कहा, अब उन्हें कहने दीजिए।

श्री बूटा सिंह : किन्तु सरकार का एक उद्देश्य होता है अतः विपक्ष का भी एक उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य सबका होना चाहिए—चाहे वह विपक्ष में हो अथवा इस ओर उद्देश्य राष्ट्र की और जनता की सेवा करना है। विपक्ष को प्रभावशाली बनाना मेरा कर्तव्य नहीं हैं। अगर वह प्रभावशाली नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं ?

जहां तक इन रिपोर्टों का सम्बन्ध है, आप कृपया उनकी जांच करिए, यदि उनमें कुछ है और आप चाहते हैं कि सरकार सदन को स्पष्टीकरण दे तो हम स्पष्टीकरण दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं वह

यह कि मैं पासवान जी से एक पहलू पर असहमत हूं, वह यह कि यदि एक वर्ग वहां ऐसा करता है तो आप भी ऐसा यहां करें। इसका अन्य पहलुओं पर भी दूरगामी प्रभाव होगा।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैंने कहा है कि जहां कांग्रेस (आई) की सरकार नहीं है वहां पर जानबूझकर हंगामा कर दिया जाता है। (**व्यवधान**)

उसका प्रभाव यहां भी पड़ेगा। हमारी सरकार कर्नाटक में है, उसको अगर वहां ह्यूमिलिएट करेंगे तो यहां कहें कि साधू बनकर बैठे रहें तो यह नहीं चल सकता है। हम प्रतिवाद करेंगे। वही हाल आज जम्मू-कश्मीर में हो रहा है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम कभी अध्यक्ष पर प्रहार नहीं करेंगे। हम आपकी गरिमा बनाए रखेंगे, हम अपने विचारों को आपके समक्ष रखेंगे पर जो व्यवहार उन्होंने किया वैसा हम प्रतिकार हेतु भी नहीं करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष की गरिमा की हर तरह से रक्षा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ही नहीं इसमें सबकी गरिमा है। हम सबकी गरिमा इसमें है। हम क्या करें, हम अपनी बात सोचेंगे। उनको अपनी बात सोचनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए कि जहां कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस (आई) की सरकार हो या वह अपोजीशन में हो, सब जगह सबको मिलकर काम करना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : आप ऐसे क्यों कह रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोलते हैं, बैठिए। पोजीशन ये है कि मंत्री महोदय ने कहा था तो मैं तो अपनी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, वन पार्टी डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा था। जहां मल्टी पार्टी डेमाक्रेसी है वहां बगैर अपोजीशन के काम नहीं हो सकता। पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपोजीशन में बैठे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं और गवर्नमेंट के बराबर के अंग हैं जितने इधर के लोग हैं। आप भी इस संस्थान के अनिवार्य अंग हैं। आइए हम मिलकर रचनात्मक और सुनिश्चित ढंग से काम करें।

श्री राम विलास पासवान : आप आज हमें बधाई दें क्योंकि विपक्ष की वजह से ही···

अध्यक्ष महोदय : जहां आवश्यक होगा हम वहां ऐसा करेंगे और साथ ही यह कोशिश करेंगे कि सदस्य संसदीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : स्पष्टीकरण के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, वे केवल 42% का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि हम मिलकर 58% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं करता—न आप न वे। आप दोनों ही गलत हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन

यह है कि जब पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष की बात है, कृपया इस बात का पता लगाएं और उन्हें यहां एक वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह बात फिलहाल खत्म कर दी गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : लेकिन उन्हें सोमवार को वक्तव्य अवश्य देना चाहिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, आपको तथ्यों के संबंध में जानकारी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, वह मुख्य सचेतक हैं और वह उनसे बात करेंगे, यह उनका कार्य है।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : बहुत अच्छी बात है ।

श्री बूटा सिंह : लेकिन श्रीमन्, यदि ऐसा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रश्न तो यही है ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमन्, आपको इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा और बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी ऐनक पर कोई शीशा नहीं लगा हुआ । आपने मुझे कुछ कहा ही नहीं । आप कहते तो मैं जरूर मौका देता । आप बोलिए क्या कहना है आपको । आप कहते तो आपको भी टाइम दे देता ।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : ये लोग तो वैस्ट बंगाल में कांग्रेस आई के मैम्बर्स के बारे में मालूम करेंगे । अभी केरल में अपोजीशन ने गवर्नर के साथ बदसलूकी की है । उन्होंने डेकोरम मेन्टेन नहीं किया और गवर्नर को बोलने नहीं दिया । क्या, अब ये लोग अपने मैम्बरों को काबू में रखेंगे, ऐसा आदेश इनको भी दीजिए ?

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) : पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इससे इन्कार करता हूं । यह सच नहीं है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो मैं कहना चाहता था और जो मैंने कहा वह यह था कि इस प्रक्रिया में हम सभी, चाहे विपक्ष के हों अथवा सत्तारूढ़ दल के, शामिल हैं । कहीं सत्तारूढ़ दल विपक्ष में है और कहीं विपक्ष सत्ता में हैं अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है और उसी के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए । जहां आप सही हो जहां वे सही हों, हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए । मुख्य सचेतकों के सम्मेलन में इन बातों पर विचार किया जा सकता है । वह स्वयं इनका हल निकालेंगे ।

14.46

उद्योग (विकास तथा विनिमयन) संशोधन अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

उद्योग (विकास तथा विनिमयमन) संशोधन विधेयक

—जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा पेश किए गए उद्योग (विकास तथा विनिमयन) संशोधन विधेयक पर आगे चर्चा जारी रखेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : चर्चा कितनी देर तक जारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : छः बजे तक। एक घंटा और 20 मिनट समय बाकी है।

श्री के० ए० राजन

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) इस विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनी हुई वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करना है। इस समय 872 ऐसी मदें हैं जिनका उत्पादन लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। इससे स्वनियोजन के अवसर बढ़ेंगे और भारी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र की वर्ष 1981-82 की उत्पादन लागत 28,000 करोड़ रुपये के लगभग थी। यदि आप रोजगार आंकड़ों को देखें तो वर्ष 1981-82 में यह संख्या 75 लाख के लगभग है। इस क्षेत्र को निर्यात सम्भावनाओं के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। 1981-82 में औद्योगिक वस्तुओं के कुल निर्यात में से 26 प्रतिशत निर्यात इस क्षेत्र द्वारा किया गया। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में विशेषकर रोजगार के अवसर पैदा करने और शिक्षित युवकों के स्वनियोजन हेतु मुझे इस विशिष्ट क्षेत्र की भूमिका पर बल देने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप इस लघु उद्योग क्षेत्र के अद्यतन आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि काफी एकक रुग्ण होते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ एक राज्य विशेष में लगभग 10,000 एकक बंद हो गए हैं और इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। साथ ही इससे समूची अर्थ-व्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

यदि आप लघु उद्योगों के संघों के विभिन्न ज्ञापनों और उनके प्रतिनिधि-मंडलों के विचारों पर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये समस्याएं वास्तव में लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को पंगु बना रही हैं और मेरे सहयोगियों ने अपने भाषणों में कच्चे माल और दोषपूर्ण, आयोजना इत्यादि की समस्याओं का उल्लेख किया है—दोषपूर्ण आयोजना के कारण लघु उद्योग हानि उठा रहे हैं।

कुछ कतिपय यूनिटों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जा रही है अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापना करने की योजना बनाई जा रही है जहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है । कई एकक ऐसे स्थानों पर हैं जहां अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां लघु उद्योगों को बिजली के कनैक्शन लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । उन्हें महीनों तक कनैक्शन नहीं मिल सके ।

कच्चे माल की उपलब्धता का भी प्रश्न है । विपणन, बैंक सहायता और ऋण सुविधाओं इत्यादि का भी प्रश्न है । यदि आप वाणिज्यिक बैंकों के ऋणसंबंधी आंकड़ों को देखें जिन्हें कि बुलेटिन में दिया गया है आपको यह भली-भांति पता चल जाएगा कि योजना में लघु उद्योगों के लिए निर्धारित ऋण इन उद्योगों को दिया भी जा रहा है अथवा नहीं । वाणिज्यिक बैंकों के द्वार खटखटाने के लिए भी लघु उद्योग क्षेत्र वालों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऋण देने संबंधी उनके नियम तथा प्रक्रियाएं भी बड़ी जटिल हैं जिससे उनके लिए अधिक समस्याएं पैदा हो गई हैं । विशेषकर संस्थागत वित्त के संबंध में भी कतिपय एककों को इतना अधिक पूंजी निवेश करने के बाद भी दिनों और महीनों तक वित्तीय संस्थाओं के पीछे भागना पड़ता है क्योंकि विशिष्ट वित्तीय संस्थानों में उनकी अपनी लॉबी होती है । दुर्भाग्यवश बड़े उद्योगपतियों को यह सब सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और मुख्य बात विपणन के संबंध में है । दुर्भाग्यवश, विपणन व्यवस्था लघु उद्योग क्षेत्र के हाथ में नहीं है आप लघु उद्योगों के क्षेत्र का कोई भी उत्पादन ले लें, वह उसकी बिक्री तक नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बड़े उद्योगपतियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है जिन्हें व्यापक विपणन सुविधाएं उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, जूते और चप्पलें इत्यादि लीजिए। क्या कोई लघु उद्योग बाटा से प्रतिस्पर्धा कर सकता है ? उनके पास क्षमता है, आधारभूत ढांचा है, संसाधन हैं, संगठन हैं और इन सभी चीजों के लिए तकनीकी सुविधाएं हैं । केवल जूतों के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी लघु उद्योग काफी बाधाओं का सामना कर रहे हैं और मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं जब आप इस विधेयक को लाने जा रहे हैं तो आप यह सुनिश्चित करें कि वह बातें लघु उद्योगों के विकास के मार्ग में आड़े न आएं । क्योंकि इससे औद्योगिक विकास में सहायता नहीं मिल सकती, साथ ही आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये बाधाएं दूर हों अन्यथा यह आंशिक विधान इस विशिष्ट क्षेत्र का कुछ भला नहीं करेगा ।

अब मैं इस उद्योग के अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू को लेता हूं । जहां तक कुछ मदों के आरक्षण का संबंध है सरकारी बुलेटिन में कहा गया है कि सरकारी भण्डारों द्वारा मदों की खरीद के संबंध में कुछ मदों का आरक्षण किया गया है । केन्द्र सरकार का दावा है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मदें खरीदी हैं। केन्द्र सरकार की स्थिति इस संबंध में अच्छी है । किन्तु आप विभिन्न मदों के संबंध में जांच करें । उदाहरणार्थ साबुन और डिटर्जेंट को लीजिए। राज्य सरकारें इन्हें दूसरी कम्पनियों से खरीद रही हैं । क्या वह लघु उद्योगों से ये चीजें खरीद रही है ? नहीं । आप राज्य सरकार के किसी संस्थान में चले जाइये । इस मामले में राज्य सरकार उचित रूप से काम नहीं कर रही है । लघु उद्योग, जो साबुन, डिटर्जेंट इत्यादि बना रहे हैं राज्य सरकारें उनका ध्यान नहीं रख रही हैं । वह बड़े व्यापार संस्थानों से माल खरीदती हैं । उन्हें इस संबंध में उचित निर्देश दिए

जाने चाहिए और यदि केन्द्र सरकार ऐसा करती है तो यह प्रशंसनीय बात होगी। राज्य सरकारें कम से कम 207 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीद सकती थीं। लेकिन, अधिकतर राज्य सरकारें लघु उद्योग क्षेत्र की वस्तुएं नहीं खरीदतीं। सचिवालय में सरकारी कार्यालयों में लेखन-सामग्री की किसी वस्तु को ले लीजिए। बड़े उद्योग वालों से कितने लाखों तथा करोड़ों रुपयों की खरीद हो रही है ? क्या वे लघु उद्योग क्षेत्र से खरीदेंगे ? जी नहीं वे बड़े उद्योग वालों से खरीदेंगे जिनके साथ पांच सितारा होटलों में अन्य सुविधाओं के साथ, जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, चोर दरवाजे से लेन-देन तय किया जाता। ऐसा करके आप लघु उद्योग को अपंग बना रहे हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। जब तक आप इन सभी चीजों को ठीक नहीं करते, लघु उद्योगों का कोई भविष्य नहीं है।

महोदय, अब मैं एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर आऊंगा कि वास्तव में लघु उद्योग क्षेत्र का बड़े उद्योग कैसे अतिक्रमण कर रहे हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिस पर आपको गौर करना होगा। यह एक चुनौती बना हुआ है। लघु उद्योग क्षेत्र का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। आप देखिए कैसे बड़े व्यापारी लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करके उसका अतिक्रमण कर रहे हैं तथा इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। और जब तक आप कानून की कमियों को दूर नहीं करते, यह चलता रहेगा तथा लघु उद्योग क्षेत्र के नाम पर बड़े उद्योगपति इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे और असली लघु उद्योग क्षेत्र के लोग, जो गरीब हैं उन्हें नुकसान होगा। लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योगों पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थात के निगम अध्ययन दल ने एक अध्ययन किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथा रहस्य उद्घाटन करने वाली जानकारी मिलती है। उस क्षेत्र में जहां लघु उद्योग के लिए वस्तुएं आरक्षित की जा रही हैं, यह उल्लेख किया जाता है कि बड़े व्यापार वाले लोग कैसे इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं तथा कैसे उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र में अपने नाम पंजीकृत करवा लिए हैं। मैं समझता हूं आपको इस रिपोर्ट की पूर्ण जानकारी है। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ मुद्दों पर रोशनी डाल रहा हूं। यह पृष्ठ 27 पर है, उप-शीर्षक है : लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े घराने :

"प्रशासनिक विनियमनों से लघु उद्योग क्षेत्र को मिलने वाले प्रोत्साहन, रियायतें तथा छूट बड़े घरानों को लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा हुआ है। बड़े औद्योगिक घरानों में से बहुतों ने इस तथ्य को गुप्त नहीं रखा हैं। प्रकाशित स्रोतों से पता चलता है कि लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास पंजीकृत कई लघु उद्योग इकाइयां भारतीय एकाधिकार घरानों तथा विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों व साझेदारों के स्वामित्व में हैं।"

मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये कम्पनियां कौन-सी हैं। आपको उन व्यापारियों के बारे में यह जानकर हैरानी होगी कि वे लघु उद्योग के वेश में इधर आ गए हैं। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र कैमिकल वर्क्स, जूनागढ़ (जियाजीराव काटन मिल्स की एक इकाई—बिरला की एक कम्पनी) शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड की कोचीन स्थित फर्टीलाइजर मिक्सिंग वर्क्स, इन्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी लिमिटेड (वालचन्द की एक कम्पनी) की देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित

12 इकाइयां, ईस्ट इंडिया डिसटिलरीज एण्ड सूगर फैक्ट्रीज (जो अब ई० आई० डी० पैरी के नाम से जानी जाती है) का कोट्टायम स्थित फर्टीलाइजर मिक्सिंग प्लांट, गोदरेज एण्ड वायस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी की जयपुर स्थित स्टील रैक्स, एल्मीरा तथा फर्नीचर इकाई 'अखिल भारतीय लघु उद्योग निर्देशिका एवं पुस्तिका' में सूचीबद्ध थे।

तदुपरान्त, मैं महाराष्ट्र क्षेत्र की ओर आ रहा हूं जहां बड़े व्यापारिक घराने लघु उद्योग क्षेत्र पर कहर ढा रहे हैं। उनके नाम 1962 में प्रकाशित लघु उद्योग इकाइयों की वाणिज्यिक निर्देशिका में हैं। वे हैं :

"लक्मे लिमिटेड (टाटा की एक कम्पनी), कामानी मैटेलिक आक्साइड्स लिमिटेड (कामानी), मूलराज खटाऊ एण्ड सन्स प्रा० लिमिटेड (खटाऊ), केसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (बजाज), कोट्स आफ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (वर्ड हीलगर्स), कैप्सूलेशन सर्विसिज लिमिटेड (रैलिस)"

ये बहुत बड़े औद्योगिक घराने तथा बड़ें व्यापारिक घराने हैं, जिन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। मंत्री महोदय को समस्या पर गौर करना चाहिए तथा उसका हल ढूंढना चाहिए। सर्वप्रथम मैं लघु उद्योग क्षेत्र के मानदंड से सम्बन्धित तीन मुद्दों पर बल देना चाहूंगा। केवल पूंजी निवेश के मदों को ही लघु उद्योग क्षेत्र के मानदंड में शामिल किया गया है, अर्थात्, संयंत्र तथा मशीनरी। श्रमिकों की संख्या, इकाई का स्थिति, उत्पादन की मात्रा तथा स्वामित्व के स्वरूप आदि के उल्लेख को कोई महत्व नहीं दिया गया है। संयंत्र तथा मशीनरी के पूंजी निवेश को महत्व दिया गया है।

पूंजी निवेश की राशि में की गई वृद्धि से बहुत-सी बड़ी इकाइयों को लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल गया है। 1980 तक स्वामित्व के पहलू पर बल नहीं दिया गया। इसलिए, एकाधिकार तथा अन्तर्वर्ती सामूहिक कम्पनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। कई कम्पनियां यद्यपि एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, फिर भी वे लघु उद्योग क्षेत्र का एक भाग होने का दावा करती चली जा रही हैं। आरक्षित वस्तुओं का बड़े पैमाने के निर्माताओं द्वारा बद्ध खपत के लिए उत्पादन करने की अनुमति देने से आरक्षण नीति का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

जिस अध्ययन का मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, ये उसमें दिए गए कुछ विचार तथा टिप्पणियां हैं। अतएव, मैं पूरे नेक इरादे से उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अर्थ-व्यवस्था तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए वे इस बात का ध्यान रखें कि लघु उद्योग इकाइयों की बड़े व्यापारिक घरानों के अतिक्रमण, आक्रमण तथा अभ्याघात से रक्षा की जा सके।

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी सदय अनुमति से मैंने उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है।

विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान असम में समग्र औद्योगिक विकास की स्थिति से सम्बन्धित कुछ विशेष तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

12 00 असम में, हम देखते हैं कि चीनी, पटसन, चाय, काफी, कपास आदि कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग का विकास पूरी तरह ठप्प पड़ा है। आज दिन तक, एक को छोड़कर कोई नई कपास मिल की स्थापना नहीं की गई है।

जहां तक चीनी मिलों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या भी सीमित है।

जहां तक पटसन मिलों का सम्बन्ध है, वे भी गिनी-चुनी हैं।

जहां तक कॉफी का सम्बन्ध है, केवल रोपाई कार्य चल रहा है। जहां तक पारम्परिक चाय उद्योग का सम्बन्ध है, बहुत से चाय बागान मुरझा रहे हैं तथा शनैः-शनैः एक के बाद एक रुग्ण होते जा रहे हैं।

जहां तक चमड़े का सम्बन्ध है, असम में चमड़े पर आधारित कोई उद्योग नहीं है, न तो खाल और चमड़े के शोधन का और न कोई चमड़े का छोटा या बड़ा उद्योग। केवल थोड़ी-सी लघु उद्योग की चमड़े की इकाइयां हैं।

जहां तक कपास और पटसन के तैयार माल, जैसे कि कालीन उद्योग, का प्रश्न है, सरकार की ओर से इकाइयों को बढ़ाने तथा लघु इकाइयां खोलने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

अब मैं वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की ओर आता हूं। जहां तक वन उत्पादों का सम्बन्ध है, असम वन-उत्पाद में बहुत समृद्ध राज्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश, बहुत कम कागज उद्योग वहां हैं। जहां तक प्लाई बोर्ड्स तथा हाई बोर्ड्स के उत्पादन का सम्बन्ध है, उनकी संख्या भी बहुत कम है।

यद्यपि रबड़ के पौधे लगाए गए हैं तथा ये विपुलता में उपलब्ध हैं, असम में रबड़ उद्योग बिलकुल नहीं है। रेजिन तथा लाख की इकाइयां भी बहुत सीमित संख्या में हैं। एक अन्य महत्व-पूर्ण पहलू यह भी है कि आसाम भारी मात्रा में साल बीजों का उत्पादन करता है। दुर्भाग्यवश, आज तक साल बीजों को एकत्र करने और उनसे तेल निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। साल बीजों का तेल कई उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें वनस्पति का उत्पादन भी शामिल है। इस दिशा में कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

खनिज उत्पादों पर आधारित उद्योगों के बारे में मैं कुछ उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आसाम में चूने की उपलब्धता पर आधारित बहुत कम सीमेंट के कारखाने लगाए गए हैं। आज तक असम में अन्य खनिजों की उपलब्धता के बारे में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

जहां तक भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के कार्यालय का सम्बन्ध है, यह कार्यालय इस समय शिलांग में है। मुझे मालूम नहीं शायद आपको इस बात की जानकारी है या नहीं कि आसाम के लोग पिछले 10 वर्षों से इस कार्यालय को शिलांग से गोहाटी स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। यद्यपि असम राज्य सरकार ने भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था और भारत सरकार से कार्यालय

के स्थानांतरण के लिए जमीन की आवश्यकता इत्यादि के बारे में विधिवत पूछा है, परन्तु अभी तक उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था के शिलांग स्थित कार्यालय में निहित स्वार्थ वालों का बोलबाला है और नौकरशाहों का एक बड़ा वर्ग निहित स्वार्थ वालों के आसाम-विरोधी रवैये के कारण ग्रस्त है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कार्यालय के स्थानान्तरण पर गंभीरता से विचार करे और सर्किल कार्यालय को शीघ्र ही गोहाटी ले जाने की कोशिश करे।

इस संदर्भ में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री भी भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए उन्हें अरुणाचल प्रदेश में भू-विज्ञान सर्वेक्षण हेतु विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया है। मेरे विचार में यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर केन्द्रीय सरकार समुचित ध्यान देगी।

मैं कुछ अन्य मुख्य खनिज पदार्थों जैसे कोयले इत्यादि के संबंध में भी उल्लेख करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां तक आसाम के कोयले के रासायनिक और तेल संबंधी तत्वों का संबंध है, यह कोयला इस दृष्टि से बहुत अच्छा है लेकिन दुर्भाग्यवश कोयले की उपलब्धता के बावजूद भी किसी उद्योग का वहां विकास नहीं किया गया है।

अब मैं कुछ ऐसे उत्पादों का उल्लेख करना चाहता हूं जो अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। कोलतार कोयले का उपोत्पाद है। यह कुछ कार्बनिक माध्यमों का बहुमूल्य स्रोत है। वास्तव में कोलतार से 20 विभिन्न मिश्रण तैयार किए गए हैं। इनमें से कई साबुन, ईंधन, प्रसाधन सामग्री, डिटर्जेंट, दवाइयों और रंजक-सामग्री के निर्माण उपयोगी हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक कोयला क्षेत्रों के निकट अथवा आसाम में उपरोक्त वस्तुओं तथा रंजक सामग्री प्रसाधन सामग्री और साबुन इत्यादि के निर्माण हेतु कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है और इसके कारणों की हमें जानकारी नहीं।

कोलतार का अन्य उपोत्पाद 'बैनजीन' है। कोलतार और पैट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होने वाला यह सुगंधित हाइड्रोकार्बन वाष्पशील प्रज्ज्वलनशील तरल पदार्थ के रूप में होता है और जिसकी अपनी एक खास तरह की गन्ध होती है। बैंजीन कई सुगंधित कार्बनिक मिश्रणों में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग उद्योगों में रेशों, रंजक सामग्री, विस्फोटकों और फार्मेस्यूटिकल रसायनों के माध्यमों के संश्लेषण के लिए व्यापक तौर पर किया जाता है। कृत्रिम रेशों का उत्पादन करने वाले रंग रोगन और अन्य रंजक सामग्री, विष्फोटकों और दवाइयों इत्यादि का निर्माण करने वाले उद्योगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। लेकिन आज तक इस पदार्थ पर आधारित एक भी उद्योग की स्थापना आसाम में नहीं की गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ 'ऐनिलाइन' है। यह 'बैनजीन' और अमोनिया से संबंधित एक और सुगंधित मिश्रण है। यह भी कोलतार से प्राप्त होता है। कोलतार डाई से प्रथम एनीलाइन 'मोव' की खोज 1856 में डब्ल्यू० एच० पर्किन ने की। इससे पहले एनीलाइन नील के आसवन से तैयार किया जाता था जैसा कि एनीलाइन नाम से स्पष्ट है। इस खोज से राज्य में आधुनिक रंजक सामग्री विशेषकर रोगन उद्योग की स्थापना हुई।

यद्यपि एनिलाइन आसाम में उपलब्ध है और इसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में किए अधिक मात्रा में रोगन तैयार करने में होता है, परन्तु असम में आज तक रोगन उत्पादक उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

इसके विपरीत यह सभी कच्चा माल असम से बाहर ले जाया जा रहा है और दूसरे राज्यों में स्थापित उद्योगों को सप्लाई किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आसाम और इसके लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है और असम राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास से वंचित किया जा रहा है।

इस संदर्भ में मैं पैट्रो-रसायन उत्पादों और पेट्रोलियम तथा पेट्रो-रसायन उत्पादों पर आधारित उद्योगों का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं कि आसाम में भारी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु दुर्भाग्यवश अब तक पैट्रो-रसायन उत्पादों पर आधारित उद्योगों को, केवल एक कम्पलेक्स को छोड़कर जिसकी स्थापना बोंगाईगांव में की गई है, की वहां स्थापना नहीं की गई है—और बोंगाईगांव में स्थापित उद्योग का भी क्षेत्र बहुत सीमित है···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भुवनेश्वर भूयन : महोदय, मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय के संदर्भ में में न बोलकर अन्य बातें कर रहे हैं···

श्री भुवनेश्वर भूयन : महोदय, मैं विषय से परे हट कर नहीं कह रहा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके संबंध में काफी उदारता का दृष्टिकोण अपना रहा हूं। मैंने सोचा कि श्री भूयन को अपनी बात कह दूं लेकिन अब आप विषय की सीमा से काफी बाहर जा रहे हैं।

श्री भुवनेश्वर भूयन : मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं। उपरोक्त तथ्यों को मद्दे-नजर रखते हुए ही और कई सहायक उद्योगों के अभाव ने मेरा यह आपके जरिए श्रम मंत्री को यह विनम्र अनुरोध है कि वह आसाम के औद्योगिक विकास हेतु अन्य सहायक विभागों के परामर्श और सहयोग से एक वृहद योजना तैयार करने के लिए एक साहसिक कदम उठाने में पहल करें, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हो। इसीलिए मुझे इन सब बातों का उल्लेख करना पड़ा। धन्यवाद!

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं श्री रतनसिंह राजदा को बोलने का अवसर दूं, मैं एक सदस्य को सभापति का पद ग्रहण करने के लिए नामित करना चाहता हूं। यहां अभी कोई सभापति उपस्थित नहीं है···

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : आप पहली बार ऐसे वाद-विवाद को सुन रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा यहां होता हूं अन्यथा आप ही लोगों का काम करता हूं। मैं श्री मूलचन्द्र डागा को सभापति का पद ग्रहण करने के लिए नामित करता हूं।

12.13. (श्री मूल चन्द डागा पीठासीन हुए)

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, विधेयक का स्पष्ट उद्देश्य जैसा कि कहा गया है :

"लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों की प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति में सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण नीति उपायों में से एक कुछ चुनींदा मदों के उत्पादन को केवल इन उपक्रमों के लिए आरक्षित करना है।"

जहां तक इस विधेयक का संबंध है माननीय सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि इसकी पृष्ठभूमि से अच्छी तरह परिचित हैं। इस सभा में, इस संसद में जब औद्योगिक नीति संकल्प को स्वीकृति दी गई तो प्रारम्भिक अवस्थाओं में उस पर विस्तार से चर्चा की गई। हमने कहा भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था की बागडोर राज्य के हाथ में होगी और राज्य इस देश की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करेगा, फिर भारी उद्योगों के बारे में बातचीत की गई लेकिन साथ ही हमने संतुलन बनाने की भी व्यवस्था की। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में अथाह जनशक्ति है और बेरोजगारों की फौज वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए एक मूल नीति, मूल मानदण्ड का निर्णय किया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं कागजों को ही देख रहा हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : हमारे देश में उद्योगों के मामले में जो मूल मानदंड राष्ट्रीय सहमति के समय स्वीकार किया गया है वह लघु उद्योग क्षेत्र का अधिकाधिक समर्थन करना है ...

श्री पट्टाभिराम राव : बिलकुल यही मैं पढ़ रहा हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : आप पढ़ रहे हैं और मैं उसी संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आपकी करनी और कथनी में भारी अन्तर है। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका विभाग और यह सरकार एक नियमित ढंग से लघु उद्योग क्षेत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और एक-एक करके वे मदें जो कि केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित थीं उससे छीनी जा रही हैं और हम पीसा की मीनार की भांति बड़े औद्योगिक गृहों की ओर झुके जा रहे हैं। इस सरकार पर मेरा यह आरोप है और मैं आरोप मात्र आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं लगा रहा, अपितु पूरी जिम्मेदारी की भावना से मैं यह आरोप लगा रहा हूं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। हमारा यह पावन कर्तव्य है कि हम गांव में रहने वाले

उन गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं तथा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यही राष्ट्रीय सहमति है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है ? मैं यहां दो उदाहरण देता हूं। इन दो उदाहरणों से हमारी आंखें खुलनी चाहिए ताकि पता चले कि यह सरकार देश को कहां ले जा रही है। वह लघु उद्योग क्षेत्र की दुहाई तो अवश्य देती है पर लघु उद्योग हमेशा बड़े औद्योगिक घरानों के चंगुल में रहते हैं। यह पत्र जिसे इस संसद के विभिन्न दलों के 22 सदस्यों ने वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, उद्योग मंत्री श्री तिवारी को लिखा है। इसमें जिस मामले की ओर ध्यान दिलाया गया है वह इस प्रकार है—कम्बाइन हारवैस्टरों का निर्माण कुछ लोगों द्वारा किया जाता था लेकिन चूंकि एस्कोर्ट—एस्कार्ट जैसी एक कम्पनी— अब स्वराजपाल और एस्कार्ट का मामला चल रहा है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, चाहे सरकार स्वराजपाल अथवा एस्कार्ट को दण्डित करे, मुझे इस समय इससे कुछ लेना-देना नहीं लेकिन यहां, एस्कार्ट के कहने पर वह लघु उद्योग क्षेत्र को डुबोना चाहता हैं। वे नहीं चाहते कि उन लघु उद्योगों को इसकी अनुमति दी जाये, जो ट्रैक्टरों का कम्बाइन हारवेस्टर का निर्माण कर रहे थे और जो हरियाणा तथा पंजाब के कृषकों के लिए बहुत लाभप्रद था और इस सरकार ने यह सब किया है। मैं यह पत्र पढ़ रहा हूं जिससे मेरा मुद्दा एकदम स्पष्ट हो जायेगा :

> "सरकार का ध्यान समय-समय पर लोक सभा में इस ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ बड़ी औद्योगिक संस्थापनाएं अन्य बातों के साथ-साथ एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1967 की उपेक्षा कर रही हैं। यह भी देखा गया है कि वे प्राय: नियमों, विनियमों तथा विभिन्न कानूनों का पालन तोड़-मरोड़ कर करते हैं और उनका घोर उल्लंघन भी करते हैं।
>
> इसके उदाहरण के लिए एक मामला है कि मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड, जिसने एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके पटियाला में अपने व्यापारी मैसर्स हिडसन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 1.5 करोड़ रुपये मूल्य के 86 भरे हुए डिब्बों में कम्बाइन हारवेस्टर के 6000 टन संघटकों का आयात किया। देखिए कस्टम्स बिल ऑफ इन्ट्री···आदि।
>
> मैसर्स हिडसन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी लिमिटेड कम्पनी है जिसका एस्कोर्ट्स लिमिटेड के प्रबन्धक से सीधा संबंध है। दिलचस्पपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त कम्बाइन हारवेस्टर संघटक मैसर्स 'क्लास' ओ० एच० जी० हार्सविकल, पश्चिम जर्मन के नाम से चल रही फर्म से आयात किए थे जिसके एकमात्र एजेंट मैसर्स एस्कोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। इसके अतिरिक्त मैसर्स एस्कोर्टस ने क्लास ओ० एच० जी० के सहयोग से उन्हें स्वचालित कम्बाइन हारवेस्टर के उत्पादन की स्वीकृति देने की अनुमति मांगी है और वह आवेदन पत्र अभी तक लंबित पड़ा है। वे स्वचालित कम्बाइन हारवेस्टर नहीं बना सकते हैं अथवा अन्य जाली एजेंसी, जो लघु क्षेत्र में है, जिसने कानून के उपबंधों का उल्लंघन किया है, के माध्यम से···"

श्री जेवियर अराकल : यह लघु उद्योग के संबंध में है।

श्री रतन सिंह राजदा : मैंने समझा था कि आप सत्तारूढ़ दल के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं लघु क्षेत्र की रक्षा की बात कर रहा हूं। वे लघु क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं।...

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : वह आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। आप आगे बोलिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं कैसे बोल सकता हूं। वह मेरे बहुत अच्छे और विद्वान् मित्र हैं।

"यह ध्यान देने योग्य बात है कि पंजाब ट्रैक्टर्स, पंजाब का सरकारी उद्यम तथा पंजाब और हरियाणा में 11 अन्य लघु इकाइयां देश की मांग को पूरा करने के लिए पहले से ही बड़ी सफलतापूर्वक स्वचालित कम्बाइन हारवेस्टर और ट्रैक्टर से चलने वाले कम्बाइन हारवेस्टरों का उत्पादन कर रहे हैं।

हमें कहा गया है कि लघु इकाइयों को छोड़कर अन्य कहीं स्वचालित कम्बाइन हारवेस्टर बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।"

इस मामले के संबंध में सदन के सभी वर्गों से संबंधित 22 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के नाम भेजा गया था। एक पत्र हमारे विधि मंत्री के नाम भी लिखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि यदि एस्कार्ट्स लिमिटेड ने कुछ गलत कार्य किया है, तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

लेकिन महोदय, केवल इतना ही नहीं कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, अपितु एक बहुत चौंका देने वाली घटना हुई है। मेरे पास श्री प्रणव मुखर्जी को लिखे पत्र के जवाब में दिया गया पत्र मौजूद है। विधि मंत्री ने कहा है कि यदि एस्कोर्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया काम निश्चित रूप से गलत है तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। और हम मामला विधि कम्पनी कार्य विभाग को सौंपेंगे। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव ने हमारे मंत्री महोदय के समक्ष कुछ अधिकारियों की बैठक बुलाई। उस बैठक का उद्देश्य क्या था ? इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों को काम-धंधा बंद कराना तथा इन लघु इकाइयों को जो ट्रैक्टर और कम्बाइन हारवेस्टर का उत्पादन कर रही हैं, कार्य करने की अनुमति देने से रोकना। वे चाहते थे कि एस्कोर्ट्स स्वतन्त्र हो जाए ताकि ये लघु इकाइयां पूर्णत: समाप्त हो जाएं तथा तब एस्कोर्ट्स को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जाएगी। आपके विभाग ने यह सब किया है। अब सरकार लघु क्षेत्रों की रक्षा के लिए हमारे समक्ष किस मुंह से आई है ? मैं समझता हूं कि इस सरकार की समूची नीति लघु क्षेत्रों को काम-धंधा बंद करने की है। यदि सरकार ने नीति बदल दी है, तो उनमें यह कहने का साहस भी होना चाहिए हम लघु क्षेत्रों का अस्तित्व नहीं चाहते हैं, ग्रामीण लोगों को मरने दीजिए, लघु क्षेत्रों को समाप्त होने दीजिए; हम उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन जिस क्षण वे यह कहते हैं, तो ऐसा क्यों है कि भारी उद्योग विभाग के सचिव ने वह बैठक बुलाकर वहां यह घोषणा की कि हम लघु उद्योगों को इनके निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। यह बहुत ही अजीब बात है।

यह विशेष दृष्टिकोण मूलत: समूचे लघु क्षेत्र और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के हितों के लिए हानिकारक है। हम देख रहे हैं हजारों बेरोजगारों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। हम लोगों को यह बताकर तथा ऐसा विधेयक प्रस्तुत करके उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। यह टायर के बारे में है। इस देश में 50,000 व्यक्ति टायर रिट्रीडिंग का काम कर रहे हैं। आप उन्हें राजमार्गों पर देखते पाएंगे। मान लीजिए यदि आपकी कार पंचर हो जाती है अथवा उसमें कुछ खराबी आ जाती है, ये लोग वहां आपकी बहुत सेवा करते हैं। अब सरकार ने देश में एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी बनाने की अनुमति दी है और वे यह टायर रिट्रीडिंग का धंधा बंद कर देंगे। महोदय, 847 मदें आरक्षित हैं। इसमें टायर रिट्रीडिंग भी लघु क्षेत्र के रूप में आरक्षित था। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य और दु:ख होगा। मैं जानता हूं कि आप गांधीवादी हैं। यहां कमलापति त्रिपाठी और अन्य लोग उपस्थित हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। श्री नारायण दत्त तिवारी वहां नहीं थे। मुझे बम्बई से युवा कांग्रेस के महासचिव होने के नाते श्री कमलापति त्रिपाठी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस समय, मेरे विचार से वह उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के महासचिव थे। मैं जानता हूं उसकी पृष्ठभूमि क्या है और राष्ट्रीयता क्या थी तथा लघु क्षेत्रों के प्रति सेवा भावना क्या थी? महोदय टायर-रिट्रीडिंग लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मद थी। अब हमने इस मद को हटा लिया है कि हमने एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को इसकी अनुमति दे दी है। मैं कहता हूं कि सरकार की यह नीति अत्यधिक घातक है और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। सरकार ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका उद्देश्य मात्र इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। यदि वे लघु क्षेत्रों को समाप्त करना चाहते हैं तथा बेरोजगार लोगों की संख्या में वृद्धि होने देना चाहते हैं तो वे इसकी घोषणा कर दें। अन्यथा उन्हें दृढ़ता के साथ बताना चाहिए कि भले ही यदि नौकरशाही उन्हें गुमराह करती है, फिर भी उनमें अधिकारियों को यह बताने का साहस होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। मैं मांग करता हूं कि इस बात की जांच कराई जाए कि उस सरकारी बैठक में कौन-कौन से लोग उपस्थित थे। मैं समझता हूं कि उसमें एक गैर-सरकारी सदस्य भी था जो एस्कोर्ट्स लिमिटेड का प्रवक्ता था, और उसे उस बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। यह अधिकारियों की बैठक थी। यदि मंत्री महोदय चाहते हैं तो मैं उस व्यक्ति का नाम लेने के लिए तैयार हूं।

श्री पट्टाभि राव राव : कृपया वह नाम मुझे गुप्त रूप से बताइए।

श्री रतन सिंह राजवा : मैं आपको उनका नाम तथा यह भी बताऊंगा कि उस बैठक में क्या हुआ? उसमें यह निर्णय लिया गया था कि उन सभी लोगों का काम-धंधा बंद कर कर दिया जाए जो स्वचालित कम्बाइन हारवेस्टर का निर्माण कर रहे थे। यह सरकार की मूल नीति के विरुद्ध है। अत: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही उचित समय है कि सरकार को अपने शब्दों पर दृढ़ रहना चाहिए, अन्यथा लोग कहेंगे कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रतन सिंह राजवा : मैं चाहता हूं कि सरकार को इस बात की जांच करानी चाहिए कि

उनका काम-धंधा बंद कराने का काम क्यों जारी है तथा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। धन्यवाद !

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, धन्यवाद/वास्तव में जब श्री राजदा इस पहलू पर बोल रहे थे और उन्होंने लघु उद्योग तथा उन्हें दी गई प्राथमिकता के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कहा, मैं उससे सहमत था। मुझे आशा है मंत्री महोदय ने यहां लगाए गए गंभीर आरोपों पर ध्यान दिया होगा तथा उचित कार्यवाही करेंगे तथा देखें कि सरकार इस मामले में कार्यवाही करे। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है, अर्थात् इन उपक्रमों में एकमात्र रूप से उत्पादन करने के लिए इस समय 872 मदों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। इस विषय पर यह सभा बहुत अर्से से वाद-विवाद कर रही है और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक पेश किया है।

तथापि मात्र यह कहकर कि हमने इस मामले में विधेयक पेश किया है, इस क्षेत्र की कार्य-क्षमता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि इस विधेयक को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाएगा तो उत्पादन रोजगार, निर्यात और इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण के दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि उद्योग हमारी भारतीय अर्थ व्यवस्था का आधार है। यदि इसे बनाए रखना है तो इस क्षेत्र को हर तरह की सुरक्षा प्रदान करनी होगी। लघु उद्योग क्षेत्र की मूलतः चार समस्यायें हैं—पूंजी, कच्चा माल, विपणन और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्यायें इस क्षेत्र की रुग्णता और प्रगतिरोधता के लिए ये चारों समस्याएं मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जब तक हम एक-एक करके हरेक विषय को नहीं लेते और उसका विश्लेषण नहीं करते उदाहरणार्थ—पूंजी, कच्चा-माल, विपणन और प्रबन्धन पहलू को, तब तक इस समस्या का उचित रूप से समाधान नहीं हो सकता है।

हर एक विषय का विश्लेषण करने का यहां हमारे पास अवसर है। मुझे श्री के०ए० राजन के उत्पादनों के विपणन की समस्या के बारे में सही विचार जानकर हर्ष हुआ। वह बता रहे थे कि लघु उद्योग एकक अपने उत्पादनों के लिए विपणन में किस प्रकार की गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनका सुझाव है कि राज्य सरकारों को आगे आकर उनकी बड़े पैमाने पर सहायता करनी चाहिए ताकि वे संवृद्धि प्राप्त कर सकें। मूलतः इस समस्या से राज्य सरकारों को ही निपटना होगा। निःसंदेह, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। किन्तु लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने, समन्वय के लिए, विशेषकर इन चारों क्षेत्रों के सम्बन्ध में—जिन्हें मैंने समस्या क्षेत्र कहा—का उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकारों का ही है। जहां तक राष्ट्रीय पहलू का सम्बन्ध है, वहां दो मूल समस्याएं हैं।

पहला लघु उद्योगों के क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अतिक्रमण, सरकार को इस पर गम्भीर रूप से ध्यान देना होगा। दूसरी मुख्य समस्या है—लघु उद्योग के बहुत सारे एककों में औद्योगिक रुग्णता। वे औद्योगिक रुग्णता का सामना कर रहे हैं। श्रीमन्, इस विषय पर एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक रखा गया था और इस समस्या के बहुत से पहलुओं—विशेषकर इन

लघु उद्योग एककों में धन किस प्रकार फंसा हुआ है—पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस पहलू पर माननीय वित्त मंत्री ने भी लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दिए थे।

श्रीमन्, मैं इस सभा में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। श्रीमन्, भारत में 22,000 लघु उद्योग एकक हैं और जरा कल्पना कीजिए कि इन लघु एककों में कितनी बड़ी राशि फंसी पड़ी है। लघु उद्योग क्षेत्र में करोड़ों रुपये का निवेश किया गया है और वे फंसे पड़े हैं। अब प्रश्न यह है। कि उस धन को कैसे बचाया जाए और राष्ट्रीय लाभ के लिए किस प्रकार उसका उपयोग किया जाए ? लघु उद्योग एककों से सम्बन्धित यह एक मूल समस्या है। फिर, दो बातों पर विचार करना आवश्यक है।

पहली है—बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अतिक्रमण और दूसरी है—रुग्ण एककों का अधिग्रहण करना। मैं यहां केवल रुग्ण एककों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरा सुझाव था और अब भी मैं अपने उसी सुझाव पर कायम हूं कि बिना कोई नकद मुआवजा दिए उन एककों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देता हूं—'नकद भुगतान' पिछली बार इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गए थे। क्योंकि यह राष्ट्रीय धन है, और इस देश की जनता के लिए एक न्याय के समान है और राष्ट्र की भलाई के लिए सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, इस देश में लघु उद्योग क्षेत्र के अधीन 22,000 से अधिक रुग्ण एकक हैं। पिछली बार एक प्रस्ताव और भी किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र के अधीन एक भी रुग्ण एकक है तो उस क्षेत्र में एक भी नया लाइसैंस न दिया जाए। जो लघु परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं, उनको इन रुग्ण एककों को भी अपने हाथ में लेना होगा। यदि नए लाइसैंस दिए जाते हैं तो उनसे समस्याएं और भी अधिक हो जायेंगी इस प्रकार से समस्या सुलझने वाली नहीं है।

मेरा तीसरा और अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि आजकल प्रबन्धन में श्रमिकों की भागीदारी बहुत कम है, विशेषकर श्रमिकों को सुविधाएं दिए जाने के प्रावधान के मामले में जब तक श्रमिक प्रबन्धन में शामिल नहीं किए जाते, तब तक लघु उद्योग एकक अधिक उत्पादन करने की स्थिति में नहीं आएंगे। इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि लघु उद्योग एकको में पूंजी-निर्माण में श्रमिकों को भी योगदान देना चाहिए। यदि आप 4 बड़ी मदों को लेते हैं यानी पूंजी, कच्चा माल, बिपणन और प्रबन्धन, तो पहली आवश्यकता है—पूंजी—इसका किसी हद तक प्रबन्ध करने के लिए श्रमिकों से स्वयं को वित्तीय पक्ष में शामिल करने के लिए कहा जा सकता है ताकि, दूसरे शब्दों में, वे एककों के प्रबन्धन में अपने आपको शामिल पाएं।

मेरा चौथा सुझाव उद्योगों के कार्यकरण के लिए उचित राजनीतिक माहौल के बारे में है। यदि आप रुग्ण एककों के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि बड़े रुग्ण उद्योगों में एक-तिहाई रुग्ण एकक पश्चिम बंगाल में हैं और लघु उद्योग के अधिकतर रुग्ण एकक भी पश्चिम बंगाल में ही हैं। इसका क्या कारण है ? केरल में भी यही स्थिति है।

मैं यह दर्शाने के लिए दो उदाहरण ले रहा हूं कि जब तक राजनीतिक माहौल और स्थिर सरकार का माहौल नहीं होगा तब तक कितनी ही राशि और कितने ही प्रोत्साहन क्यों न दिए

जाएं उनसे कोई काम नहीं होने वाला है। यह एक गम्भीर समस्या है जिसका सर्वत्र सामर्थ किया जा रहा है।

मैं उनके वाणिज्य मंत्री स्वर्गीय श्री भट्टाचार्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा था कि वह निजी क्षेत्र को 26 बड़े उद्योग देने जा रहे हैं। इस सभा में मैंने इसका स्वागत किया। किन्तु मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमें उचित राजनीतिक वातावरण बनाना चाहिए। जिसमें उद्यमी अपने धन का निवेश कर सकें और प्रति लाभ पा सकें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्री अराकल की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता कांग्रेस शासन के समय से ही शुरू हो गई थी।

श्री जेवियर अराकल : इस समस्या पर हम बहुत अच्छा वाद-विवाद कर चुके हैं। मैं सभा का समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। मैं इस पर वाद-विवाद करना नहीं चाहता हूं मुझे यही चार सुझाव मंत्री जी के देने हैं

मैं प्रसन्न हूं कि प्रधान मंत्री ने इस स्थिति पर गम्भीर ध्यान दिया है और स्थिति का सामना करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उन्होंने एक योजना की घोषणा की है जो राष्ट्र को आगे ले जाने और लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में, विशेषकर इस विधेयक के अधिनियमन में बाद मदद करेगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं इस बात से अवगत हूं कि मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों पर बोलने नहीं जा रहा हूं। इसीलिए, मैं कुछ बातों तक ही अपने को सीमित रखूंगा।

बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। उनको अब बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। यह खतरे का संकेत है कि कुछ वस्तुएं, जो पहले ही लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं उनके निर्माण के लिए कुछ देशी बड़े उद्योगों और कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति दे दी गई है। हिन्दुस्तान लीवर का मामला लीजिए यह कम्पनी भी वनस्पति साबुन आदि का निर्माण कर रहा है। इन सब वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य और जैसा कि श्री राजदा ने कहा 'कम्बाइन्ड हार्वेस्टर' आदि का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र को दिया जाना चाहिए, क्योंकि लघु उद्योग क्षेत्र इन वस्तुओं का निर्माण सरलता से कर सकता है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : हार्वेस्टर से लेकर वनस्पति तक।

श्री हरिकेश बहादुर : नहीं, यदि माननीय मंत्री श्री साठे की यही समझ है, तो मैं क्या कर सकता हूं?

विभिन्न क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, जहां तक औषध क्षेत्र का सम्बन्ध है, श्री साठे ने कुछ बताया है। एक दिन, मैंने कहा था कि कुछ औषधियां, जो लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा बनाई जा सकती थीं, बड़े उद्योगों द्वारा बनाई जा रही हैं और उन उद्योगों को सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही हैं। उन्हें प्रारम्भिक अवस्था से ही औषधियां बनाने के लाइसैंस दिए गए हैं। किन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे। वे अर्द्ध निर्मित औषधियों का आयात कर रहे हैं और उनसे वे औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री साठे यहां उपस्थित हैं। वह उत्तर दे सकते हैं और इस वक्तव्य को ठीक कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री वसन्त साठे : मैंने उन्हें उस दिन भी उत्तर दिया था कि वह इस बारे में गुमराह हैं। जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यहां तक कि नीति, जो उनके नेता श्री बहुगुणा ने बनायी थी, आज तक चल रही है। इन नीति के अधीन, लघु उद्योग क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबन्धों से मुक्त रखा गया था। प्रतिबन्ध केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े उद्योगों के एककों पर लगाए गए थे। लघु उद्योगों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे जो भी चाहते हैं उसके निर्माण के लिए—'बल्क' से 'फार्मूलेशन' तक—उन्हें पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है।

सभापति महोदय : आपको बहुत प्रसन्न होना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बहुत अच्छी बात है। मुझे इस मामले में सही जानकारी मिल गयी। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, बहुत-सी वस्तुएं जिनका उत्पादन वे कर रहे हैं, उनके द्वारा ही उत्पादित की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ, सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत सारे युवा स्नातक हैं, जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं किन्तु उद्योग लगाने हेतु उन्हें उपयुक्त ऋण नहीं दिया जाता है। उन्हें इधर-उधर जाना पड़ता है और अंत में जब वे निराश हो जाते हैं तो यह विचार ही छोड़ देते हैं···(**व्यवधान**) इस प्रकार की चीज लघु उद्योग क्षेत्र को बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

लघु उद्योग क्षेत्र को विपणन की सुविधायें भी उचित रूप से मुहैया नहीं कराई गयी है। उनके विकास में यह भी एक बड़ी कठिनाई है। यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है कि उन्हें विपणन की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

कृषि पर आधारित लघु उद्योग बहुत आवश्यक हैं हमारे देश में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में हमारा बहुत समृद्ध है। जो भी उत्पादन हम कर रहे हैं उसके लिए कृषि से हमें विपुल मात्रा में कच्चा-माल मिल रहा है। बहुत-सी वस्तुओं के उत्पादन में उसका उचित उपयोग किया जा सकता है और कच्चा-माल आसानी से उपलब्ध है। यदि इस क्षेत्र को उचित प्रोत्साहन दिया जाता है तो बहुत-से बेरोजगार लोगों को इस क्षेत्र में कार्य दिया जा सकता है।

हिन्दुस्तान विकास निगम की परिसम्पत्ति पहले ही 20 करोड़ रु० से अधिक हो चुकी है, किन्तु फिर भी उन्हें वे सब कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं जो 20 करोड़ रु० से कम की परि-सम्पत्तियां रखने वाले उद्योगों को मिलती हैं। एकाधिकार तथा निबन्धकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम का यह स्पष्ट उल्लंघन है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान दें तथा देखें कि जो उद्योग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके साथ कड़ाई से पेश आया जाये।

श्री राजदा ने सरकारी बैठकों में उद्योगपतियों की उपस्थिति के बारे में कहा। यह बहुत गम्भीर आरोप है। मैं मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह इस मामले पर ध्यान देंगे तथा निश्चित रूप से उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, जो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति देते हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े उद्योगों को नहीं वरन् लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीति अपनाइए।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबेआली, मैं इस सबजेक्ट की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं, जो आज हाऊस के सामने है। जहां तक स्माल स्केल इन्डस्ट्री का ताल्लुक है, इसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। यह एक्ट इसलिए सामने आया क्योंकि अदालतों ने कहा कि स्माल स्केल इंडस्ट्री की रिजर्वेशन कानूनी तौर पर जायज नहीं है और नोटिफिकेशन वैलिड नहीं है। इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी में हमदर्दी है। इसमें गड़बड़ होती रही है और होती रहेगी। मिनिस्टर साहब को जरा चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमको भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। यह कहना कि स्माल स्केल इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है, यह बहुत गलत बात है। मैं समझता हूं, इस वक्त जिस डेडीकेशन के साथ पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री को देखा जा रहा है, उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर जबर्दस्ती क्रिटिसाइज किया जाए तो अलग बात है जहां-जहां कुछ लोग इस सेक्टर को डिफिट करने की कोशिश करते हैं, उन पर नज़र रखी जानी चाहिए। मेरे फाज़िल दोस्त ने अभी जो कुछ कहा, उसकी ताईद इधर से भी हुई। स्माल स्केल इंडस्ट्री की जितनी यूनिट खुली हैं, उनका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्री आफिसर को कुछ नहीं मिल पाता। वह कहते हैं कि बिजली वालों को रिप्रिजेन्टेटिव वहां हो। हमने हर स्टेट में दौरे पर जाकर देखा, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहते हैं कि हम यह पावर नहीं दे सकते। क्यों भाई क्यों नहीं दे सकते? उनको अपना आदमी वहां भेजना चाहिए ताकि एक आदमी को जगह-जगह न दौड़ना पड़े और हर चीज़ एक ही विन्डो पर मन्जूर हो जाय। जब सरकार अनएम्प्लायड ग्रैजुएट को सारी फैसिलिटीज़ दे रही है तो वह उसको आसानी से मिलनी चाहिए, और एक ही जगह पर सारा काम होना चाहिए। जब यह स्कीम चली तो बड़ा ऐनथ्यूजिएज्म था लेकिन अब उसको सैबोटाज किया जा रहा है। चाहे इंडस्ट्रीज़ ऐक्सपेंशन अफसर हो या इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिन्ट अफसर हो वह सब एक यूनिट को रजिस्टर कर चालू करने तक तो नजर रखते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं देखते कि उसको क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं।

इन्होंने कहा कि 22,000 स्माल स्केल यूनिट सिक हो गई हैं। पता नहीं कहां से फिगर्स लीं। जबकि इस बारे में कोई डेफिनिट फिगर किसी को पता नहीं है। हम गुजरात में गये थे उन्होंने एक लाख यूनिट खोली थीं, उनका क्या बना खोलने के बाद, किसी को कुछ मालूम नहीं है, डिपार्टमेन्ट का उनमें कोई टच नहीं है बैंक से रुपया लेकर उसका क्या बनता है यह किसी स्टेट गवर्नमेंट को पता नहीं है। उस रुपये से कोई प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो माल कहां खपता है, यह किसी को पता नहीं है। तो आप बतायेंगे कैसे देश तरक्की करेगा

जहां तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री का सवाल है वह अपने आदमी को ऐंसिलियरी इंडस्ट्री दिलवा देते हैं जिसकी वजह से हमारा परपज ही डिफीट हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर स्टेट में एक मानीटरिंग यूनिट होनी चाहिए। जब किसी ऐसे सूबे का नाम लिया जाता है जहां दूसरी पार्टी की सरकार है तो अपोजिशन वाले शोर मचाते हैं। लेकिन यह नहीं देखते कि हर स्टेट गवर्नमेंम फाल्टर कर रही है। कोई नहीं देख रहा है कि हमारे यहां क्या हो रहा है। इन सब बातों को देखने के लिये मानीटरिंग बहुत जरूरी है। आप पहले जनरल सर्वे करायें अगर जनरल नहीं करा सकते तो सैम्पिल सर्वे करायें कि जितना एक्सपेरमेशन हुआ है वह क्या कर रहे हैं, उसकी मारकेटिंग का क्या बन रहा है। इस बात का रेगुलर सर्वे होना चाहिए। जब एक पटवारी जमीन से संबंधित सारे

रिकार्डस दे सकता है तो आपके जो ऐक्टेंशन अफसर हर ब्लाक में हैं क्या वह यह काम नहीं कर सकते ? जरूर कर सकते हैं। हमने पी० ए० सी० में पूछा तो कहा गया कि इतना बड़ा काम है जो हम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते जनाब जब तक यह नहीं देखेंगे तब तक क्या प्रोग्रेस हो सकती है ? हर स्टेट को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वह पैसा कैसे इस्तेमाल कर रही हैं कोई नहीं जानता। इसलिये मानीटरिंग होनी जरूर चाहिये।

दूसरी बात यह कि जहां तक यह शिकायत आयी है कि बैंक वाले मदद नहीं करते हैं तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि एक तो जो आपके बैंकों के ब्रांच मैनेजर हैं उनकी ओरियेंटेशन होनी चाहिये ताकि उनको पता हो कि डवलपमेंटल कार्य के लिये आपको काम करना है। यहां सिर्फ सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि क्विक एक्सपेंशन हुई है और कई किस्म के लोग इसमें आ गये हैं। उनको पता ही नहीं कि कानून क्या है। जब तक उनके ट्रेंड न किया जाये, ओरियन्टेड ट्रेनिंग न दी जाये, उनको समझाया न जाये तब तक यह बात नहीं होगी।

कुछ लोग पैसे लेकर कर्जा देते हैं, ज्यादा देते ही नहीं। यह बीमारी नीचे-नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी चली गई है, इसको रोकना होगा। इसके लिए आनको एक इंडस्ट्रियल क्रेडिट कार्पोरेशन खोलना पड़ेगा नेशनल स्केल पर। जिस प्रकार से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को कर्ज़ा देते हैं, उनके लिये फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्ज हैं, उसी प्रकार से छोटी इंडस्ट्रीज के लिये भी होना चाहियें। फाइनेन्स कभी-कभी होता है और कभी नहीं भी होता है। इसलिये नेशनल स्केल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जिसका काम यह हो कि वह स्माल स्केल सैक्टर इंडस्ट्रीज को फाइनेन्स करे और यह देखे कि वह हैल्दी लाइन्स पर चल रही हैं या नहीं उनका हेल्दी ग्राउन्ड है या नहीं। इसकी तरफ हमें सारा ध्यान देना चाहिये।

बहुत से बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं। जब तक स्माल सैक्टर इंडस्ट्रीज की तरफ आप तवज्जह नहीं देंगे तब तक वह डैवलप नहीं कर सकेंगे। बेकार पढ़े-लिखे नौजवानों को जब तक आप इंडस्ट्री में इन्वाल्व नहीं करेंगे तब तक आप कितने लोगों को-अनप्रोडक्टिव नौकरी देंगे ? आप सबको एम्पलायमैंट नहीं दे सकते। इसलिये उसको इंडस्ट्री में इन्वाल्व किया जाना चाहिये और इसके लिये जो जैनविन लास होता है, उसके लिये हमें तैयार होना चाहिये। उसे हम किसी हद तक बर्दाशत करें।

श्री अराबाकल ने कहा था कि सिक यूनिट्स स्टेट को दे देनी चाहिये। हमारी स्टेट में जितनी पहले बनी हुई इंडस्ट्री हैं, वह स्टेट ने फरोख्त कर दी हैं। उनको दे देंगे, तो वह किसी को नीलाम कर देंगे, किसी को ठेके पर या किराये पर दे देंगे। यह स्टेट-स्टेट पर डिपैंड करता है कि कौन-सी स्टेट कमिटेड है कि इस किस्म का काम चला सके और आगे बढ़ सके। जो ओवर लोड एग्रीकल्चर हो रहा है उससे यूथ को इंडस्ट्री में डाइवर्ट कर देना चाहिये।। यह देखना बहुत जरूरी है।

इसके लिये इंडस्ट्री एक स्पेशल स्टडी करवाये कि इंडस्ट्री कहां-कहां एक्सपैंड हुई हैं और इनको आगे कैसे चलाना है। जो ओब्जेक्ट्स थे, उनको यह कर पाई हैं या नहीं और इनको आगे कैसे चलाना है ? कहां-कहां नैग्लीजंस है और उसको कैसे रोका जा सकता है। इसलिये स्पेशल स्टेडी बहुत नैसेसरी हैं। आगे हमारी एक्सपेंशन इतनी ज्यादा हो गई है और आगे कहां उन्हें एक्सपैंड करेंगे जब तक इस पर नहीं सोचेंगे तो फिर हम मुल्क को एक क्राइसेस पर फेंक देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, औद्योगिक (विकास और विनियमन) संसोधन विधेयक, 1984 का आमतौर से समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें निवेदित करना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं:

1. यह अच्छी बात है कि सरकार इस विधेयक द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है और इसके लिए उसने 872 मदों को लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित करने के लिए आरक्षित कर रखा है। संभव हो सके तो इन मदों को और बढ़ाया जाना चाहिये। इस प्रकार के लघु उद्योग निर्धारित वस्तुओं का क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ा सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से उनकी पूरी मदद की जाये। अभी उनमें अधिकांश की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें कच्चा माल, विक्रय की समस्या, बिजली की कमी और उनके रेट में भारी वृद्धि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप एक बडी संख्या में लघु औद्योगिक यूनिटें बन्द पड़ी हैं जिनके कारण लाखों करोडों काम करने वाले कर्मचारी दर-दर के भिखारी बने हुए हैं।

देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भारी भूमिका है। इस ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट होना चाहिए। छोटे उद्योग आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन ठीक से कर सकें, इसलिये आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में और सस्ते दर पर कच्चे माल की सप्लाई हो सके, बिजली निर्बाध रूप से मिलती रहे, बिजली रेट में कमी की जाए और उन उद्योगों में बने मालों को बिक्री के लिए बाजार बनाने में सरकार उनकी मदद करे। इस सम्बन्ध में करघा उद्योग का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। इस उद्योग में लाखों बुनकर काम करते हैं। परन्तु दुख है कि आवश्यक सूत, बिजली, बाजार की कमी के कारण उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। लाखों बुनकर बेकारी का जीवन बिता रहे हैं। सूत का वितरण करने वाली सहयोग समितियां भ्रष्टाचार एवं कदाचार का शिकार हैं। शिकायतों की सरकार के यहां भी सुनवाई नहीं है। बैंकों से कर्ज मिलने में भी कठिनाई हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महत्त्वपूर्ण लघु उद्योग को संकट से उभारने की आवश्यकता है।

देश में सोना नियन्त्रण कानून के मारे हुए लाखों स्वर्णकार भुखमरी का जीवन बिता रहे हैं। सरकारी आश्वासनों के बावजूद उनकी मदद नहीं की जा रही है। अगर वे अपनी पेशकदमी पर कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो पग-पग पर सरकारी अधिकारी उन्हें लांछित और अपमानित करते हैं। उनके लघु उद्योगों को विकसित करने की बात तो दूर रही, उन्हें नाना प्रकार से सताया जाता है। उन्हें साधारण जेवर बनाने की इजाजत भी नहीं मिल पाती। बैंकों से कर्ज लेना उनके लिए आकाश-कुसुम तोड़ने के बराबर है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार के पटना जिला अन्तर्गत मसोढ़ी के श्री वैद्यनान प्रसार स्वर्णकार शिल्पकार हैं। वह धातुओं पर सुन्दर चित्र बनाते हैं। वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह, लोक सभा के अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़, वित्त मन्त्री प्रणव कुमार मुखर्जी, स्वर्गीय संजय गांधी तथा बहुत से अन्य लोगों के इस प्रकार के चित्र धातुओं पर बना कर भेज चुके हैं, जिसका नमूना यह है। इस धन्धे में वह बड़े हा चतुर शिल्पकार हैं। परन्तु दुख है कि उन्हें कहीं से भी आज तक इस शिल्पकारी को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद नहीं मिली। यह कार्य भी शिल्पकार 1979 से ही कर रहे हैं।

इस धंधे को विकसित करने के लिए वह भारतीय स्टेट बैंक मसौढ़ी से ऋण लेने की कोशिश सन् 1979 से ही कर रहे हैं। मेरे कहने पर ज़िला उद्योग मैनेजर ने जांच-पड़ताल कर उन्हें ऋण देने की सिफारिश की। उन्होने उनकी 50 हज़ार रुपए की योजना को घटा कर 25 हजार कर दिया। परन्तु दुख है कि भारतीय स्टेट बैंक मसौढ़ी के शाखा के मैनेजर ने आज तक उन्हें ऋण की राशि नहीं दी। वह सन् 1983 के मार्च से ही उनसे रिश्वत मांग रहे हैं और नहीं देने पर उनका कहना है कि कोई भी शक्ति उन्हें ऋण नहीं दिलवा सकती। ऐसी स्थिति में छोटे उद्योग चलाने वाले शिल्पकार अपनी रोज़ी कैसे चला सकते हैं ? ऐसे हजारों उदाहरण मिल सकते हैं। अतः उद्योग मंत्री एवं वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देकर छोटे-छोटे उद्योगों की मदद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि बेकारी की विभीषिका को कम किया जा सके।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं-नियोजन प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रदान करने के विषय में एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे ही क्षेत्र के एक शिक्षित बेरोजगार नौजवान, श्री अरविंद कुमार सिंह, दल्लूचक, पो० खगौल, जिला पटना एक प्रेस खोलने के लिए 25 हजार रुपये का कर्ज बैंक से लेना चाहते हैं।

श्री सिंह बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित शिक्षित बेरोजगार हैं। वह खगौल में जनता प्रिंटिंग प्रेस खोलना चाहते हैं। यह जिला उद्योग से निबंधित भी हो चुका है। इन्होंने ऋण लेने के लिए पटना और खगौल के सभी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, पर कहां से भी उन्हें मदद नहीं मिली। सन् 1981 में वित्त मंत्री को मेरे द्वारा पत्र लिखे जाने पर उन्होंने बैंक आफ बडौदा, सैंट्रल बैंक और पंजाब नैशनल बैंक, पटना को ऋण देने के लिए लिखा, फिर भी उक्त नौजवान को ऋण की राशि अब तक नहीं मिल सकी है।

खगौल स्थित बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक और कनारा बैंक ने भी ऋण देने से इनकार कर दिया।

13.00.

तीनों के मैनेजरों ने 10 से 15 प्रतिशत रिश्वत की मांग की। जिला उद्योग विभाग से ऋण की स्वीकृति मिल जाने पर भी वे ऋण का भुगतान नहीं करते। इस प्रकार स्वयं नियोजन की योजना को राष्ट्रीयकृत बैंक असफल बनाने पर तुले हुए हैं। मेरा तो अनुरोध होगा कि, उक्त बैंकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

विधेयक में बड़े और मध्यम उद्योगपतियों को लघु उद्योगों के निश्चित मदों में उत्पादन करने की छूट को जारी रखने का प्रस्तास है। सरकार केवल उनकी उत्पादन क्षमता को निश्चित करना चाहती है। मैं इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं। इससे लघु उद्यमियों को क्षति होगी क्योंकि वे इजारेदारों की चालबाजियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सरकार एक तरफ लघु उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहती है और दूसरी ओर वह इजारेदारों से गलवहियां डाले रखना चाहती है। इससे वांछित लक्ष्यों की पूर्ति होने में बाधा पहुंचेगी।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए गारन्टी की व्यवस्था करें ताकि उत्पादन में व्यवधान न पैदा होने पाये।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो दोपहर का भोजन करना चाहते हैं, कर लें ताकि हम सभा की कार्यवाही जारी रख सकें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम मंत्री महोदय को सुनना पसन्द करेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर देने के पश्चात् आप दोपहर का भोजन ले सकते हैं। लेकिन आज सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित नहीं होगी। मैं समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टामि राम राव) : सभापति महोदय, इस चर्चा में सभा के 12 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उनके द्वारा दिये गये अच्छे सुझावों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उनमें से कुछ ने इसकी आलोचना भी की है। सरकार इस आलोचना में, अगर कोई बात विचारणीय होगी, तो इस बारे में ध्यान दिया जायेगा। उनमें से कुछ ने लघु क्षेत्र उद्योगों की स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे सुझाव दिये हैं। इससे पहले कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर दूं, मैं आपको इस संशोधन को संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को पता है कि लघु क्षेत्र को समर्थन देने हेतु इस क्षेत्र में कुछ वस्तुओं के निर्माण को आरक्षिय करना सरकार की नीति का मुख्य अंग रहा है। फिर भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 29 (ख) के अन्तर्गत ऐसा करने हेतु सरकार की शक्तियों के बारे में कुछ शंकायें उत्पन्न हुई हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट शक्तियां ली जायें और कुछ वस्तुओं को लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से आरक्षित किया जाये और इस संबंध में 19-2-1970 से जारी सभी अधिसूचनाओं को विधिमान्य बनाया जाये।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में, मैंने पाया है कि कुछ मुद्दे प्रस्तावित विधेयक के प्राबधानों के बारे में हैं और अन्य लघु क्षेत्र उद्योग के आम विकास से संबंधित हैं। इससे पहले कि मैं अन्य मुद्दों पर चर्चा करूं, मैं संशोधित विधेयक के प्रावधानों के विशिष्ट हवालों का जिक्र करना चाहूंगा

माननीय श्री गिरधारी लाल व्यास ने उल्लेख किया है कि अधिनियम में प्रस्तावित धारा 29 बी की उपधारा 2 (घ) जोड़ने से बड़े औद्योगिक घराने भी इस आरक्षित क्षेत्र में आ सकेंगे। यह तथ्य सत्य नहीं है। उपधारा 2 (घ) को ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा कि इस प्रावधान द्वारा सरकार को उन औद्योगिक इकाइयों की क्षमता की सीमा निर्धारित करने से संबंधित शक्तियां देगा, जो कि पहले ही इस आरक्षित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो अपनी अधिकृत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। कानूनी रूप से ऐसा अभी सम्भव नहीं है।

नये उनबंध का उद्देश्य सरकार को अधिक शक्ति देना है ताकि वह मध्यम तथा लघु उद्योगों के बारे में अपनी आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर सके।

एक अन्य पहलू, जिस पर श्री रूप चन्द्र पाल और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी समेत कई एक

माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, वह है एक पूरा व्यापक विधान बनाया जाये क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह संशोधन लघु क्षेत्र के उद्योगों के पूरे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि हम इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और सदस्यों द्वारा कहे गये विभिन्न पहलुओं के बारे में दिये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक विधान लाया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने लघु क्षेत्र के उद्योगों की आम शिकायतें जैसे सुविधाओं आधारभूत ढ़ांचा वित्तीय और कर संबंधी प्रोत्साहन आदि के बारे में अनदेखी के बारे में कहा है। ये आरोप सत्य नहीं हैं क्योंकि लघु क्षेत्र की इकाइयों की संख्या उनके उत्पादन, रोजगार में निवेश और उनके द्वारा किये गये निर्यात में भारी वृद्धि हुई है, मैं इस संबंध में कुछ तथ्य देना चाहूंगा।

1973-74 में एककों की संख्या 1.64 लाख थी, जो कि अब बढ़कर 1982-83 में 5.96 लाख हो गयी है। 1973-74 में उत्पादन 7.200 करोड़ रुपये का हुआ था जो कि1982-83 में 35,000 करोड़ रुपये का हो गया है। 1973-74 में 39.7 लाख व्यक्तियों को इनमें रोजगार मिला, जो कि 1982-83 में बढ़कर 79 लाख हो गया है। 1973-74 में 399 करोड़ रु० का निर्यात किया गया जबकि 1982-83 में 2,100 करोड़ रुपये के निर्यात होने का अनुमान है। अगर सरकार केन्द्र और राज्य स्तर पर कई एक प्रोत्साहक और विकसात्मक उपाय न उठाती तो लघु क्षेत्र में यह अत्यधिक बृद्धि नहीं हो पाती। आज लघु उद्योग क्षेत्र न केवल पम्परागत वस्तुएं ही बना रहे हैं बल्कि आधुनिक किस्म की वस्तुएं भी बना रहे हैं जिनकी देश और विदेश में मांग है।

यह भी कहा गया है कि विदेशी सहयोग लेने संबंधी उदार नीति लघु क्षेत्र के उद्योगों पर बुरा असर डाल रही है। यहां यह कहना उचित होगा कि विदेशी सहयोग मात्र थोड़े से उद्योगों के लिए ही जो बहुत ही चुनिन्दा क्षेत्रों में काफी आधुनिक और जटिल हैं और निर्यात अभिमुख तथा आयात प्रतिस्थापन हैं, में ही लिया जा रहा है। ऐसा करते समय हम इसके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हैं। श्री रूप चन्द पाल, श्री मूलचन्द डागा और श्री परांजपे ने भी लघु क्षेत्र के उद्योगों में व्याप्त रुग्णता की ओर ध्यान दिलाया है। जैसा कि आपको विदित है कि दस लाख से अधिक इकाइयां लघु क्षेत्र में हैं और कुछ कारणों से इनमें से कुछ में रुग्णता को रोका नहीं जा सकता। इसके पश्चात भी, उद्योगों में संकट की स्थिति का यथाशीघ्र पता लगाने के लिए और उनका जल्द उपचारात्मक समाधान करने के लिए देश में व्यवस्था लागू की गई है। अधिकतर राज्यों में इस समस्या पर विचार करने और समाधान के लिए राज्यस्तरीय संस्था समन्वय समिति, जिनमें बैंक के पदाधिकारी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया भी सदस्य हैं, विद्यमान हैं।

कुछ माननीय सदस्यों जैसे श्री व्यास ने हाल ही में प्रकाशित आई०आई०पी०ए० की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया है। जिसमें कहा कहा गया है कि बड़े पैमाने के उद्योग, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में लगे हुए हैं वास्तव में इस संशोधी विधेयक का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था के विनियमन की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे मामले कम से कम हों।

श्री परांजपे समेत कई एक सदस्यों ने जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य और शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए आरम्भ की गई नई योजना का जिक्र किया है।

उद्यमियों का पता लगाने, उनके लिए यरियोजना का स्वरूप तैयार करमे तथा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सहायता देने और सलाह देने के मामले में जिला उद्योग केन्द्र सराहनीय कार्य कर रहे हैं। स्वनियोजन संबंधी नई योजना को बड़े जोरों से लागू किया जा रहा है। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि पिछली 15 अगस्त को हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अशिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आप इसकी यहां घोषणा क्यों नहीं करते

श्री पट्टाभि राम राव : मैं दोहरा रहा हूं

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री ने अशिक्षित युदकों के लिए स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। इसकी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की है। इसका हम पालन कर रहें हैं। लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करके स्वरोजगार की नई योजना को बड़े पैमाने पर जनता के समक्ष लागू किया जा रहा है। इसे बहुत अधिक पसन्द किया गया है और लगभग 8.0 लाख आवेदन-पत्र जनवरी, 1984 तक प्राप्त हो चुके हैं। चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 2.5 लाख का था और 1.60 लाख से अधिक प्रार्थना पत्रों को सिफारिश के साथ बैंकों को प्रेषित किया गया है। इनको करीब 265.83 करोड़ रुपये ऋण दिया जायेगा।

जिला उद्योग केन्द्रों में एक सलाहकार समिति है, जिनमें संसद सदस्य, विधायक और अन्य प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कहां ? बम्बई में नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पटना में भी नहीं, यह बिहार राज्य की राजधानी है और मैं इसका प्रतिनिधित्व करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री पट्टाभि राम राव : मैं नहीं मानता। अगर उन्हें कोई शंका है, तो उन्हें बाद में पूछना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : पटना में इसे लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री पट्टाभि राम राव : अनुदेश जारी किये गये हैं और 15 अगस्त से योजना शुरू की गई है। मुझे विश्वास है कि इसे लागू किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी वे इसकी नकल करेंगे और महाराष्ट्र में वे नकल कर रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप डाक द्वारा भेज दीजिए।

श्री पट्टाभि राम राव : आप तो जानते ही हैं कि सरकारी तन्त्र धीमे धीमे कार्य करता है।

अत: आपको थोड़ा-सा समय देना चाहिये । (**व्यवधान**) निस्सन्देह यह कार्य करेगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है । परन्तु उसकी धीमी गति हो सकती है (**व्यवधान**) ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि आदेश देने में कोई हिचकिचाहट की जाए, अत: स्पष्ट आदेश दिये जाने चाहिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब तक आदेश पहुंचेंगे तब तक वे सत्ता से हट जायेंगे। यह ध्यान रखिये कि हमारे सत्ता में आने से पूर्व ही अनुदेश पहुंच जाने चाहिये ।

श्री पट्टाभि राम राव : आपके जीवन में तो प्रश्न ही नहीं उठता है, यदि आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो वह अलग बात है, परन्तु आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते हैं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : क्या एम० पी० और अधिकारियों को ऐसी इंस्ट्रक्शन भेजी गई है ?

सभापति महोदय : इन्होंने कहा है कि वे आर्डर जल्दी पहुंच जायेंगे ।

श्री पट्टाभि राम राव : महोदय, यदि वह मुझे इस प्रकार परेशान करते रहेंगे तो मैं एक घन्टा लूंगा ।

मैं अपने माननीय मित्र डा० स्वामी को उत्तर देता हूं । वह विपक्ष में बैठकर अपनी मेहनत बेकार कर रहे हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अगामी चुनावों में हम सत्तारूढ़ दल में होंगे ।

श्री पट्टाभि राम राव : जब तक आप वहां हैं, ऐसा नहीं हो सकता है ।

इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई है और जनवरी, 1984 के अन्त तक 8.9 लाख आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि चालू वर्ष में 2.5 लाख का लक्ष्य रखा गया था । बैंकों को 1.63 लाख आवेदन पत्रों की सिफारिश की गई है जिसमें 265.38 करोड रुपये के ऋण देने की बात कही गई है । एक जिला सलाहकार समिति होती है, जिसके बारे मैं पहले भी बता चुका हूं और उन आदेशों को फिर से बता दिया गया है कि समिति की बैठक मास में एक बार अवश्य होनी चाहिए जिससे कि योजना की समीक्षा की जा सके और उस पर निरन्तर पर्याप्त निगरानी रखी जा सके। अत: मुझे आशा है कि चयन करते समय या स्वीकृति प्रदान करते समय अन्यथा जण वितरण करते समय किसी प्रकार के अव्यवस्था या अन्य खामियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा ।

समया भाव के कारण, मुझे डर है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए सभी मुद्दों का जवाब नहीं दे पाऊंगा । परन्तु संशोधनकारी विधान के उद्देश्य और आशय पर विचार करते हुए, मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का निवेदन करता हूं । उससे पहले, मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि मैं इन मुद्दों को ध्यान में रखूंगा और मैंने वे सभी मुद्दे नोट कर लिए हैं जो कि उठाए गये हैं और मैं उन पर निश्चय ही ध्यान दूंगा और उन सभी को हल करने का प्रयास करूंगा ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ये सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास कर दें ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपने मेरे दो विशिष्ट मुद्दों के बारे में तो कुछ नहीं बताया ।

श्री पट्टाभि राम राव : एक या दो सदस्यों ने कुछ बातों के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं । यदि वे मुझे लिखित रूप में पूर्ण विवरण भेज दें तो मैं उन पर विचार करूंगा । मुझे नाम और जो कुछ वास्तव में हुआ है, वह लिखित में चाहिये । यदि आप मुझे विस्तार से लिखें तो मैं इस पर विचार करूंगा । मैं व्यर्थ प्रयास नहीं कर सकता हूं । कृपया मुझे ब्यौरा भेजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके आंकड़े तो ठीक हैं, परन्तु योजना को लागू नहीं किया गया है । (**व्यवधान**)

श्री पट्टाभि राम राव : मैं निश्चय ही इन सभी बातों पर विचार करूंगा । आपके और अन्य मित्रों के मुद्दों की जहां तक बात है, मैं निश्चय ही कार्यवाही करूंगा और हम यह देखेंगे कि ऐसी बातें दोबारा न हों ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय श्री पट्टाभि राम राव के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है । परन्तु तीन मुद्दों पर उनका उत्तर अभी भी पूर्णतया असंतोषजनक है । (**व्यवधान**)

तीन मुद्दों पर मैं उत्तर से नितान्त असंतुष्ट हूं । उनका कहना है कि व्यापक विधान पर पुनर्विचार किया जा रहा है । परन्तु उन्होंने कोई समय सीमा नहीं दी थी ।

श्री पट्टाभि राम राव : मैंने कहा है कि यह "विचाराधीन है" । इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 'शीघ्र ही' संतोषजनक शब्द नहीं है । मैं तिथि के बारे में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं । क्या विधेयक को इस मास या इस में प्रस्तुत करना संभव हो सकेगा ?

दूसरी बात जिला उद्योग केन्द्र के बारे में है और उनके कथनानुसार दिल्ली से आदेश चले गये हैं परन्तु वे वहां नहीं पहुंचे हैं । जिला उद्योग केन्द्र तो वह मुख्य संकल्पना है, जिसे जनता पार्टी ने कार्यरूप दिया था । (**व्यवधान**)

क्या 'जनता सरकार' शब्द असंसदीय है ? हमने इसे दिसम्बर, 1978 में संसद में पारित किया था । देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने का यही एक मात्र तरीका है । उसके बारे में, उन्होंने सांसदों और विधायकों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है । परन्तु जैसा कि मेरे साथियों ने यहां कहा है और जितना कि मुझे पता है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है । मन्त्री महोदय की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, यह सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ।

तीसरे, मैंने यह सुझाव दिया था कि छोटे उद्योगपतियों को सहायता पहुंचाने हेतु, जैसा कि जापनियों ने अपनी विकास की अवस्थाओं में किया था, उनको विपणन की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी । लघु-उद्योगों ने इसी प्रकार उन्नति की और कीमतें घटाकर वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में

प्रतिस्पर्धी हो गये। यहां पर लघु-उद्योगपतियों को विपणन में कोई सहायता नहीं मिल रही है। बड़े उद्योगपति उन्हें खदेड़ रहे हैं क्योंकि छोटे लोग विपणन के क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं।

अन्त में, मैं कहूंगा कि मन्त्री महोदय ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि वह इस बात की सावधानी बरतेंगे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उन क्षेत्रों में न घुसें, जहां लघु उद्योग पहले से ही कार्यरत हैं। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए थे। एक है फोटोस्टेट उद्योग जहां हम फोटो कापी मशीनें उत्पादित करने की स्थिति में हैं। परन्तु वे विदेशी कम्पनियों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दे रहे हैं।

जब इस्पात उद्योग की बात उठाई गई थी तो सभा में भारी हो-हल्ला मचा था। मैंने एक अन्य उदाहरण यह दिया था कि बम्बई के तिलहन व्यापारी मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि इसके घाटे में चलने और स्पष्टतया या पाबन्दी वाली सूची में होते हुए भी इसमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा रही है। फिर भी उन्हें अनुमति दी जा रही है। अतः इस प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। आगामी चुनावों पर उनकी दृष्टि है और वे सभी प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु संसद का उपयोग करने का यह कोई तरीका नहीं है। अतः मैं अध्यादेश को अस्वीकृत किए जाने पर बल देता हूं।

श्री पट्टाभि राम राव : महोदय, मैं उनके द्वारा उल्लिखित मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा।

पहले जहां तक विपणन सुविधाओं की बात है, वास्तव में जिला उद्योग केन्द्रों का कार्य केवल उद्यमियों का चुनाव करना और उन्हें ऋण देना ही नहीं है, अपितु उन्हें विपणन सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना भी है। इसीलिए प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केन्द्र है। उसको लेकर कोई कठिनाई नहीं होती है।

जहां तक संसद सदस्यों को सम्मिलित करने का सम्बन्ध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आदेश चले गये हैं और सम्भवतया शीघ्र ही वे वहां पहुंच जायेंगे। वे निश्चय ही सदस्यों को सम्मिलित करेंगे। उसके बारे में कोई कठिनाई नहीं है।

जहां तक बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है। यह विधेयक उसी उद्देश्य के लिए है। मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि वह इसे बार-बार क्यों उठाते हैं। वर्तमान विधेयक में समस्त बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को छोड़ने की बात कही गई है। धारा 29-ख के अधीन ऐसा करना सम्भव नहीं है। उनकी सहायता के लिए अदालतें भी तो हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न विभागों से लघु-उद्योगों द्वारा तैयार माल खरीदने या दूसरे की अपेक्षा इसे वरीयता प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

श्री पट्टाभि राम राव : स्वाभाविक है कि यदि अच्छी किस्म का माल है तो लघु-उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाए।

सभापति महोदय : क्या इसमें स्थायी अनुदेश दिए गए हैं या नहीं ?

श्री पट्टाभि राम राव : स्थायी अनुदेश हैं।

श्री भागवत झा आजाद : विशिष्ट क्षेत्रों में, स्थायी अनुदेश दिए गये हैं।

डा० सुब्रह्मन्यम स्वामी : शर्त यह है कि माल अच्छी किस्म का होना चाहिए। इस आधार पर वे उन्हें लागू नहीं करते हैं।

श्री पट्टाभि राम राव : ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय : मैं डा० सुईह्मयम स्वामी द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृ हुआ

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

खण्ड 2 से 7

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पट्टाभि राम राव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

गणेश पलोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड और (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 को अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, इन सांविधिक संकल्पों का प्रस्तुत करना और इन सभी अध्यादेशों का विरोध करना सदैव से मेरे भाग्य में लिखा है।

वर्ष 1983 में लगभग 11अध्यादेश थे और 1984 के वर्ष में यह दूसरा अध्यादेश है जिसमें पास किये गये अध्यादेशों की संख्या 13 हो गई है।

मैं हमेशा ही यह वकालत करता रहा हूं कि अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति का बहुत ही कम उपयोग करना चाहिये। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह तो असाधारण शक्ति है। जब अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की इस विशेष शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कुछ समय के लिए संसद की शक्ति को दूर रख दिया जाता है। मैं अध्यादेशों के आम प्रख्यापन पर कई बार आपत्तियां उठा चुका हूं। परन्तु मुझे वे कारण समझ नहीं आते हैं कि सरकार मेरी आपत्तियों पर ध्यान क्यों नही देती है।

मुझे पूरी पृष्ठभूमि बताने की आवश्यकता नहीं कि पहले किस तरह से इस अध्यादेश का निरंतर विरोध किया गया है। 1971 से और उससे भी पहले जब श्री भावलंकर इस सदन के अध्यक्ष थे, अध्यादेश जारी किए जाने पर आपत्तियां उठाई गई और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भावलंकर तथा स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी पत्र-व्यवहार हुआ था। कई बार ऐसा स्वीकार किया गया है कि हालांकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन पर्याप्त औचित्य के बिना इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी

नहीं किए जाने चाहिए । यह मामला ऐसा नहीं कि इसकी उपेक्षा की जाए। श्री भावलंकर ने बड़े युक्तियुक्त निर्णयों के आधार पर कुछ सुझाव दिए हैं । इन सुझावों के आधार पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे कि क्या इतनी अनिवार्य परिस्थितियां थीं या ऐसी आपातकालीन स्थिति थी कि उसमें अध्यादेश जारी करना औचित्यपूर्ण था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका पर्याप्त औचित्य न हो और परिस्थितियां अनिवार्य न हों ।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सरकार इन मामलों में सतर्क नहीं हैं । मैं आपका ध्यान पिछले अध्यादेश 1983 का अध्यादेश संख्या 3, समिति पंजीकरण अध्यादेश, की ओर दिलाना चाहता हूं । वे किसी निकाय का पंजीकरण करना चाहते थे और उसके लिए वे चाहते थे कि समिति पंजीकरण अध्यादेश में एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाए । आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संसद द्वारा वह विधेयक पारित किए जाने के 6 महीने बाद भी निकाय ने काम शुरू नहीं किया और मुझे विश्वास नहीं है कि क्या आज भी इसका गठन किया गया है या नहीं। इन अध्यादेशों को तो इतना ही गंभीरता से लिया जाता है। मैं यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि इस मामले में भी यही किया गया है । केवल इतना ही नहीं, इस विधान में बिना सूझबूझ के संविधान के कुछ उपबंधों का भी उल्लेख किया गया है। वर्तमान अध्यादेश के मामले में भी यही स्थिति है। क्या संविधान का उद्देश्य यह है कि सरकार को बिना सोचा विचार किए ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ? संभवतः जब तक आप उसमें संशोधन नहीं करते अनुच्छेद 25 या किसी अन्य अनुच्छेद जिसके अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है, को भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए । आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और फिर संशोधित संविधान के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं । लेकिन उपबंधों के होते हुए उस पर विचार न करने का अर्थ है संविधान का निरादर करना। मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ता है कि संविधान के मामले में, विशेषकर अध्यादेशों के इस उपबन्ध के सम्बन्ध में सरकार हमेशा ही निर्मम और लापरवाह रही है।

इन विशिष्ट उपबन्धों के सम्बन्ध में तो यही कहना है कि वे अध्यादेश के जरिये गणेश फ्लोर मिल्स का अधिग्रहण करना चाहते हैं । बल्कि कर चुके हैं कारणों के कथन में, जिसे उन्होंने यह अध्यादेश जारी करने के लिए पारिचालित किया था, कई आधारों का उल्लेख किया गया है । मैं उनका उल्लेख करूंगा लेकिन उससे पहले मैं अध्यक्षपीठ का ध्यान उस प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने इस अध्यादेश में दी है। उस पैराग्राफ के अन्तिम वाक्य में वे कहते हैं :

उचित कीमतों पर लोगों को अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के साथ प्रदाय करने के लिए; और जिसके संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके । अनुच्छेद 39 राज्य की नीति निदेशक सिद्धान्तों सम्बन्धी है। इसमें कहा गया है :

"(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करनेका अधिकार हो;

(ख) कि समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि

जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्व-साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो;

अध्यादेश तथा वर्तमान विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) का सहारा लिया है। वे चाहते हैं कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियन्त्रण का विभाजन इस तरह किया जाए जिससे आम जनता की भलाई हो। अन्ततः इसका उद्देश्य क्या है ? 'नेशनेलाइजेशन आफ इंडस्ट्री एंड विजनिस (उद्योग तथा कार्य व्यापार का राष्ट्रीयकरण) के पृष्ठ 109 में श्री वासु की टीका टिप्पणी में जो कुछ कहा गया है उसे मैं पूरा-पूरा पढ़ना नहीं चाहता जैसाकि (ख) और (ग) में बताया गया है, इसके दो उद्देश्य तेल तथा वनस्पति बनाने वाले सभी कारखानों का अधिग्रहण करना है ताकि समूचे तेल व्यापार का अधिग्रहण कर लिया जाए तथा कुछ स्थिरता आ जाए ? यदि ऐसा हैं तो मैं यह समझ सकता हूं। यदि वनस्पति या तेल बनाने वाले समूचे वर्ग तथा इन सभी कारखानों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि इसका कुछ उद्देश्य है। लेकिन उन्होंने केवल एक ही कारखाने का चयन किया है। इससे समूचे देश में मूल्यों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा ? इससे पूरे देश में मूल्य स्तर किस प्रकार प्रभावित होगा ? इसका उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 1/60 वां अंश भी नहीं है। दूसरे, इससे मुख्य संसाधनों के स्वामित्व का उद्देश्य किस प्रकार हल होगा और यह कैसे पता चल सकेगा कि आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप धन संचय नहीं हो रहा। इस मामले में धन संचयन कहां से हो रहा है। यह कम्पनी गत बीस वर्षों से घाटे में जा रही है। वर्ष 1972 में सरकार ने इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था और तब से सरकार के पास प्रबन्ध है। इसलिए मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें धन संचयन का प्रश्न कहां उठता है। यह तो केवल एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है कि संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लेख करेंगे और सूझ-बूझ का प्रयोग नहीं करेंगे। यह मेरी गंभीर आपत्ति है। इसके लिए सरकार अन्य कारण भी दे सकती थी। ऐसे कारण क्यों दिए गए हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। व्यापार एवं कारोबार के क्षेत्र में वर्तमान निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा कारोबार एवं आस्थियों को राज्य के स्वामित्व एवं नियन्त्रण में सांविधिक निगमों में बदल दिया गया। जैसे कि जीवन बीमा निगम सड़क परिवहन, नगर विभाजन आदि के क्षेत्र में हुआ। यदि सरकार तेल व्यापार एवं भारत के वनस्पति उद्योग को अपने हाथ में ले लेती है तो बात समझ में आती है लेकिन सरकार ने संविधान की उपेक्षा की है बल्कि मैं तो कहूंगा कि सरकार ने इसे समझा ही नहीं है।

विवरण में इस संस्था का इतिहास दिया गया है और यह एक बहुत लम्बा विवरण है। वर्ष 1972 में उद्योग विकास और नियमन अधिनियम, 1951 की धारा कक 80 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 3 नवम्बर, 1972 से इन उपक्रमों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। मैं मानता हूं कि इसका समुचित प्रबन्ध नहीं किया जा रहा और आपने इस आधार पर इसे अपने हाथ में लिया है कि पूंजी निवेश न होने और उपक्रम की आस्तियों को बंधक रखने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आई है। प्रारम्भिक पैरों में सरकार ने कहा है कि इस उपक्रम ने ऐसे कार्य किए हैं जिनकी

अनुमति कानून के अनुसार नहीं थी— उन्होंने बिना अनुमति के छण लिए। आपने वर्ष 1972 में कार्यवाही की और कृषि मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय तथा भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण निगम के प्रतिनिधियों की त्रिसदस्यीय समिति बनाकर जुलाई-अगस्त, 1972 में जांच शुरू करवाई थी और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इस कम्पनी की आर्थिक व्यवहार्यता दिल्ली एवं कानपुर के वनस्पति उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता पर मुख्य रूप से निर्भर करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि समिति ने केवल इस मिल के बारे में नहीं बल्कि अन्य आटा मिलों तथा अन्य संस्थाओं की बात भी की थी। समिति का कहना था कि इस कम्पनी की आर्थिक व्यवहार्यता दिल्ली और कानपुर स्थित वनस्पति के दो कारखानों के संचालन पर निर्भर करती है। जांच समिति की सिफारिशों तथा मजदूर संघों, दिल्ली प्रशासन तथा संसद के स्थानीय सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यह निर्णय किया गया कि औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम 1951 के अधीन कम्पनी का प्रबन्ध सरकारी अधिकार में लिया जाये। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह रिपोर्ट 1972 में पेश की गई थी और सरकार 10 वर्षों के बाद भी इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि विशेष उपाय के रूप में इसे किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी और इस प्रकार के विधेयक विशेष अनुमति से ही पुरःस्थापित किए जा रहे हैं। इसे किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जा सकता है कहा गया है कि "कम्पनियों के एक समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। है यह और इस रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय किसी भी समय प्रत्याशित है।" अभी उच्च न्यायालय का निर्णय आना शेष है और सरकार इस मामले पर शीघ्र विधान बनाना चाहती है—आखिर क्यों? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ पूर्वधारणाओं से प्रेरित होकर ऐसा कर रही है अथवा ऐसा नहीं कर रही है। यदि सरकार कुछ पूर्वधारणाओं से प्रेरित होकर ऐसा नहीं कर रही है तो उसे न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि सरकार अब तक की गई कार्यवाही से आश्वस्त है तो वह न्यायालय में भी मामला जीत सकती है और यदि नहीं तो उसे ऐसे उपबन्धों को लाने के कोई कारण नहीं बनते। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार सरकारी राजकोष अथवा करदाताओं के धन से खिलवाड़ कर रही है? आखिरी पैरा में कहा गया है :

"कम्पनी की स्थिति शीघ्र ही बदल गई है और वह अब लाभ कमा रही है।"

प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के तुरन्त बाद सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्थाएं की :—

(1) व्यावसायिक प्रबन्ध।

(2) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से लगभग 92 लाख का ऋण।

(3) गत देयताओं पर ऋण स्थगन।

यह सब गत देयताओं के बारे में है। इसका नुकसान किसे हुआ। इससे सरकार को हानि हुई या जब सामान्य को। अन्ततः जब ऋण स्वीकार किए जाए जाते है तो उसके पीछे कुछ आधार होते हैं; जब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी चलाई जाती है तो उनके अपने अधिकार होते हैं; जब वे शेयर होल्डर बनते हैं तो उन्हें नुकसान की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। इस प्रकार वे हानि

और लाभ दोनों के बराबर के जिम्मेदार होते हैं। आगे कहा गया है :—

"उपक्रम की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार आया। प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की तारीख को इस उपक्रम की निवल हैसियत 223.92 लाख रुपए थी जो कि नगण्य थी तथापि 31 मार्च, 1983 को इस उपक्रम की निवल हैसियत 7.70 लाख थी।"

अब उसकी तुलना में उनका 1.68 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव हैं। वे इसका कम्पनी को भुगतान करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इससे क्या भला होने वाला है। क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि यह कैसे आम जनता के हित में होगा और कैसे इससे अनुच्छेद 39-क, ख या ग के बद्देश्य की पूर्ति होगी।

और फिर महोदय, वित्तीय ज्ञापन में वे यह कहते हैं। प्रथम पैरा में, यह कहा गया है कि 1,57,68,000 रुपये का प्रावधान करना होगा। फिर विधेयक के खण्ड 7 में, जिस दिन से केन्द्रीय सरकार द्वारा गणेश फ्लोर मिल्स का अधिग्रहण किया गया है और नियत दिवस के अन्त तक की अवधि में, 10,000 रुपये प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। यह कम्पनी के कार्य प्रबन्ध के लिए दिया गया है। मुझे यह पता नहीं है कि उन सभी को धन का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा। शायद यह 1,20,000 रुपये की मूल राशि की तुलना में छोटी धनराशि हो, आप इसका फिर से भुगतान क्यों करने जा रहे हैं ?

यह ब्याज के लिए है। यह बात तो समझ में आती है। खण्ड 14 के बारे में आपका क्या विचार है ? विधेयक के खण्ड 14 में, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को देय धनराशि का वितरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भुगतान आयुक्त की नियुक्ति करने और उसके सहायतार्थ पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का उपबन्ध है। भुगतान आयुक्त और उनके स्टाफ के वेतन और भत्ते तथा कार्यालय, आदि का खर्च भारत की संचित निधि में से पूरा करना पड़ेगा। इस पर 20,000 रुपये प्रति मास का प्राक्कलित व्यय होने की संभावना है। और फिर यह एक अनावश्यक बोझ है। कोई भी यह नहीं जानता है कि आयुक्त सारे मामलों को कितने समय में निपटा देगा। मैं यह देख चुका हूं कि जब सभी मामलों को निपटाने हेतु आयुक्त था तो मारूति का क्या हुआ था। मुझे यह पक्का पता नहीं है कि उसने वह काम अभी निपटाया है या नहीं। यह भी आचरण की बात है। कि राशि विशेष का उल्लेख नहीं किया है। वे तो यही कहते हैं, 'ठीक है, हमें 20,000 रुपये प्रति वर्ष के अनुमानत व्यय की अनुमति दीजिए। यह संचय निधि पर एक भार हो सकता है। क्या इसका कोई औचित्य है ? मैं यह नहीं जानता इस अध्यादेश को जारी करने के पीछे कौन-सा सिद्धान्त कार्य कर रहा है ? गुणवत्ता के आधार पर तो कोई मामला नहीं बनता है। यहां तक कि राजनीतिक विचार से भी, मेरे विचार से इसका कोई औचित्य नहीं है।

अन्त में, महोदय मैं यह कहूंगा कि कुछ भी हो संवैधानिक उपायों को केवल विरल आपवादिक मामलों में ही सहारा लिया जाना चाहिए। मुझे यह तो पता नहीं है कि इसके पीछे क्या तर्क हैं ?

मुझे नहीं मालूम इस सबके पीछे क्या तर्क है और इसीलिए मैं इस कदम का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि सभा को मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वास्थ्यप्रद और परिष्कृत खाद्य तेलों, पोषक खादों और अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं का उचित कीमतों पर जनता को प्रदाय करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियंत्रित यूनिटों के केन्द्रकों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को क्रियान्वित किया जा सके, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, क्षतिपूर्ति के बदले में, एक करोड़ सत्तावन लाख और अढ़सठ हजार रुपये की धन राशि का भुगतान करके, विधेयक में गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के अधिग्रहण की तिथि से लेकर 28 जनवरी, 1984 के नियत दिवस की अवधि की समाप्ति तक, केन्द्रीय सरकार कम्पनी को 10,000। रुपये प्रति वर्ष की दर पर आकलित धनराशि देगी। सरकार नियत दिवस की अवधि से लेकर केन्द्रीय सरकार द्वारा भुगतान आयुक्त को ऐसी राशि का भुगतान किए जाने की अन्तिम तिथि तक चार प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भी भुगतान करेगी।

1968 के दौरान, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को भारी घाटा हुआ और उसने वित्तीय सहायता के लिए एक कम्पनी समूह से विनय की। कम्पनी समूह 40 लाख रुपये का सुरक्षित ऋण देने को तैयार हो गया और एक ऐसे समझौते के अनुसार कम्पनी की दिल्ली और कानपुर इकाइयों द्वारा की गई खरीद और बिक्री पर 3/4%के कमीशन का लाभ प्राप्त कर लिया जिसकी कि वैधता विवादास्पद थी। इसके अतिरिक्त बकाया भुगतान पर 1% प्रतिमास की दर से उन्हें ब्याज भी वसूल करना था। ग्रुप यह भी चाहता था कि भारत में कम्पनी की लगभग सभी आस्तियों को गिरवी रख कर ऋण-पत्र जारी करके सुरक्षित ऋण को और भी सुरक्षित बनाया जाना चाहिये। तदनुसार, पूंजी के नियन्त्रक द्वारा बनाए गये नियमों के विपरीत कम्पनी समूह के तत्कालीन प्रबन्धकों ने एक-एक हजार रुपये के 9500 ऋण पत्र जारी कर दिए। राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों और बैंकों के पास लगभग 11%शेयर थे जबकि भारी संख्या में उन शेयरधारियों को 53% शेयर व्यापक रूप से वितरित किए गये जिनकी कि कम्पनी के कार्यालयों में कम चलती थी।

एक जांच के बाद और श्रमिक संघों आदि से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क क के अधीन कम्पनी के प्रबन्ध को 3 नवम्बर, 1972 से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। उपक्रमों के प्रबन्ध को प्रारम्भ में 5 वर्ष

की अवधि के लिए लिया गया था (अर्थात 2 नवम्बर, 1977 तक) और उसके बाद उसकी अवधि 2 फरवरी, 1984 तक बढ़ा दी गयी थी। सरकार ने निम्नलिखित इकाइयों का अधिग्रहण किया था :

(1) दिल्ली वनस्पति फैक्टरी, दिल्ली।

(2) दी हिन्दुस्तान बेकफास्ट फैड मैन्युफैक्यचरिंग।

फैक्टरी, नई दिल्ली, जिसमें गणेश इलैक्ट्रिक फैक्टरी, नई दिल्ली भी सम्मिलित है जो कि इसकी अवस्थिति, समान सेवाओं और आधारभूत-ढांचे के कारण परस्पर सम्बन्ध हैं।

(3) दी कानपुर वनस्पति फैक्टरी, कानपुर, और

(4) दी सालवेंट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट, बम्बई।

प्रबन्ध के अधिग्रहण के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित परिवर्तन किए :

(1) व्यावसायिक प्रबन्धन।

(2) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम से लगभग 92 लाख रुपये का ऋण; और

(3) विगत की देनदारियों को स्थगित रखना।

कम्पनी में परिवर्तन दिखाई देने लगा और उसने लाभ कमाना आरम्भ कर दिया। इन बातों पर फिर और बल दिया गया तथा उपक्रमों की उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया गया। इसके बाद कम्पनी की समग्र वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। प्रबन्ध के अधिग्रहण की तिथि की उपक्रमों का कुल मूल्य 223.59 लाख रुपए की सीमा तक कम हो गया तथापि, 31 मार्च, 1983 को कुल सकारात्मक मूल्य 770 लाख रुपये हो गया।

उपक्रमों के कार्यकलापों को बढ़ाने की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इन विस्तार योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद, गणेश फ्लोर मिल्स देश में खाने के तेलों को साफ करने और वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा एकक होगा। महोदय, देश के समग्र उद्योग का अधिग्रहण करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। परन्तु जैसा कि खण्ड ख और ग में कहा गया है, हम तेल उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देश में सरकार की तेल नीति निर्णायक है और जनता के हित में है और इसीलिए तो हम इसका अधिग्रहण कर रहे हैं।

गणेश फ्लोर मिल्स और अमृतसर आयल वर्क्स इकाइयों, जिनका कि प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी तेल नीति को लागू करने लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जा रहा है। हम सारे के सारे उद्योग का अधिग्रहण नहीं करना चाहते हैं परन्तु अमृतसर आयल वर्क्स और गणेश फ्लोर मिल्स जैसी कुछ इकाइयां, जिनका कि अब हम अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार के हाथ में अपनी तेल नीति को लागू करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा और ऐसा हम आम जनता के हित में कर रहे हैं। हम ऐसा सारे तेल उद्योग को कुछेक हाथों में केन्द्रित होने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तेल नीति में एक महत्व-पूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके। उचित दर की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए खाने के तेल को साफ करने का कार्य पूर्णरूपेण इन दो उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है।

1979-80 में 3,400 टन के मासिक औसत उत्पादन की तुलना में दिसम्बर, 1983 तक के नौ मास में वनस्पति और साफ किए हुए खाने के तेल का उत्पादन 1.17 लाख टन था, जिसमें मासिक औसत उत्पादन 13,000 टन का था। इससे केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन उत्पादन में संभाव्य वृद्धि का पता चलता है।

जैसाकि मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं कम्पनी भारी घाटे में चल रही थी। हमने इसे लाभ-जन्य जीवनक्षम इकाई में बदल दिया है। और ऐसा सरकार की तेल नीति के अन्तर्गत किया गया है। इतिहास स्वयं बोलता है। अब शिकायत यह है कि सरकार को इस कम्पनी का अधिग्रहण करने में 14 वर्ष क्यों लगे। तीन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा था। जिसमें से एक था क्या इसका थोड़ा-थोड़ा करके अधिग्रहण किया जाए और क्या इसका पूर्णरूपेण अधिग्रहण किया जाए तथा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए अथवा क्या हमारा इसके ऊपर नियन्त्रण रहे। अन्ततः, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका अधिग्रहण किया जाना चाहिए। यही नहीं कहा जा सकता है कि सरकार इन तमाम वर्षों में इसके बारे में सोचती नहीं रही है। मेरा इस सदन से निवेदन है कि सरकार ने इन वर्षों में उन कम्पनियों का अधिग्रहण किया है जो कि घाटे में चल रही थीं और जीवनक्षम तथा लाभजन्य इकाइयों में बदल दिया। इसीलिए हम अनुच्छेद 39 (ख)(ग) को आह्वान कर रहे हैं।

सरकार की खाने के तेल सम्बन्धी नीति के सन्दर्भ में, हमारा उद्देश्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को तेल और वनस्पति बाजार के विनिमयन में, तथा उपभोक्ताओं को उचित भाव पर वन-स्पति और खाने के तेलों की सप्लाई में प्रभावी भूमिका प्रदान करना है। सरकार की राय है कि सरकार के प्रबन्ध की देख-रेख में पर्याप्त उत्पादन क्षमता को बनाया रखा जाना होगा, और गणेश फ्लोर मिल्स और अमृतसर ऑयल वर्क्स, दोनों, इस कार्य के लिए ठोस अधार मुहैया करते हैं।

हमारी इच्छा है कि हम तेल नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। सभा को ज्ञात है कि इस समय देश में मांग और उत्पादन में अन्तर है। इसलिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। देश में सारी नीति को विनियमित करने के लिए सरकार के प्रबन्ध के अधीन पर्याप्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए बाजार में उचित मूल्य रखने के लिए, अभाव के समय बाजार पर प्रभाव डालने के लिए उपाय करना सरकार की नीति के अंग हैं। हम इस नीति को आम लोगों की भलाई के लिए, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से लागू कर रहे हैं—और इसीलिए यह विधेयक लाया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 1972 में गणेश फ्लोर मिल्स को अपने नियंत्रण में लेने के बाद, उठाये गये विभिन्न उपायों के समग्र परिणामस्वरूप ही यह मिल्स अच्छी स्थिति में पहुंच सकी है। अगर इस एकक का राष्ट्रीयकरण न किया जाता, और इसे मूल मालिकों को सौंप दिया जाता है तो इस बात का गम्भीर खतरा बना रहेगा कि यह पुनः रुग्ण एकक बन जाएगा।

हमने एक रुग्ण एकक को अपने हाथों में लिया था और इसे स्वस्थ स्थिति में पहुंचाया है। और यह राष्ट्र की सेवा कर रहा है। इसीलिए इसे हम अपने साथ रखना चाहते हैं।

अगर इसे वापस उनको सौंप दिया जाता है तो सरकारी प्रबन्ध के दौरान जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे सब समाप्त हो जायेंगे। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई में भी बाधा आयेगी। इसलिए केन्द्रीय सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस उपक्रम के प्रबन्ध को मूल मालिकों को सौंपना जनहित में नहीं होगा। इस उपक्रम के अधिकार, स्वामित्व और हितों को अर्जन करने के लिए इसलिए सरकार ने 28-1-84 को जारी किये गये अध्यादेश के स्थान पर विधान अधिनियमित करने का फैसला किया है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि अध्यादेश के बारे में जो भी विचार हों, कम से कम इस मामले में, जिस कार्य के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया है, वह न्यायोचित है।

आम जनता की जरूरतों की आवश्यक जिन्सों की सप्लाई में गणेश फ्लोर मिल्स एक महत्व-पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह व्यवस्था की गई है कि गणेश फ्लोर मिल्स की उत्पादन क्षमता का विस्तार करके और इसके उत्पादन कार्यों में विविधता लाकर इसे सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रक भूमिका निभाने के योग्य बनाया जाए यह हमारा उद्देश्य है जिससे इस देश की खाद्य तेल की स्थिति विनियमित करने में सरकार निर्णयात्मक भूमिका निभा सके।

इस उद्देश्य से कुछ योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

यह हैं :—

(1) **सोयाबीन संसाधित करने के एककों को स्थापित करना** : प्रत्येक एकक की क्षमता 300 टन प्रतिदिन होगी और मध्य प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा।

श्रीमन्, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है। मैं आशा करता हूं कि जब इस संयंत्र को स्थापित किया जायेगा तो वह इसका प्रयोग करेगा। निवेश का बड़ा हिस्सा, गणेश फ्लोर मिल्स द्वारा खुद ही अपने स्रोतों से मुहैया किया जायेगा। सरकार बाकी की सहायता देगी।

14.00

(2) आधुनिक तेल कॉम्पलेक्स स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है। महानगरों में उप-भोक्ताओं को तेल और व्युत्पादितों को उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के तेल कॉम्पलेक्सों की योजना बनाई गई है। क्योंकि इन नगरों की मार्किट देश के अन्य भागों के लिए खाद्य तेल मूल्यों के लिए मापदंड के रूप में कार्य करता है इसलिए खाद्य तेल स्थिति के लिए यह कॉम्पलेक्स अच्छे प्रबन्ध के रूप में कार्य करेंगे। शुरू में ऐसा एक कॉम्पलेक्स दिल्ली में स्थापित किया जायेगा।

(3) दिल्ली में स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए 'एक्सटरूडर' प्लांट स्थापित करना।

(4) पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की परिष्कृत तेलों की मांग को पूरा करने के लिए कलकत्ता में एक तेल शोधन कारखाना स्थापित करना।

जैसा कि मैंने सभा को पहले ही बता दिया है कि नवम्बर, 1972 में गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि० का नियंत्रण सरकारी अधिकार में लिये जाने के समय कुल पूंजी कम ली और देनदारियां अधिक, और यह खुद इस स्थिति में नहीं थी कि यह खुद आवश्यक राशि जुटा सके, बढ़ा सके और नये प्रबंधक रख सके ताकि यह एकक पुनः सही चालू हालत में आ सके।

सरकारी प्रबन्ध व्यवस्था में, भारतीय औद्योगिक पुनःनिर्माण निगम द्वारा वित्तीय ऋण उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा, उपक्रम को वर्तमान अच्छी स्थिति में लाने के लिए काफी मात्रा में प्रबंधकीय तकनीकी जानकारी दी गयी। सरकारी नीति के अन्तर्गत खाद्य तेल को नियंत्रण करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि और निवेश किया, जाए ताकि इसकी मशीनरी का आधुनिकीकरण किया जा सके और इसकी गतिविधियों में विविधता लाई जा अके। सरकार महसूस करती है इन उद्देश्यों के लिए और अधिक निवेश, किसी प्रबन्ध के अनुसार की जाए ताकि केन्द्रीय सरकार के अधीन उपक्रमों के प्रबन्ध को सुचारु बनाया जा सके। इसलिए अन्य बातों के अलावा, यह निश्चित किया गया कि इस उपक्रम का नियंत्रण अपने हाथ में लिया जाए।

तेल वर्ष 1982-83, जो कि 31-10-83 को समाप्त हुआ है, जहां तक खाद्य तेल की उपलब्धता और मूल्यों का संबंध है, सबसे कठिन वर्ष साबित हुआ है। सूखे और बाढ़ के कारण मूंगफली के उत्पादन में भारी कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 48 मिलियन हैक्टेयर भूमि और 31 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। इस संकट से उभरने के लिए सरकार को अपने तंत्र को और अधिक सुचारु बनाना पड़ा। इसलिए गणेश फ्लोर मिल्स उपक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा बड़े पैमाने पर परिष्कृत तेलों की सप्लाई के लिए पूरी तरह प्रयोग करना पड़ा। अक्तूबर, 1983 में तेल-वर्ष 1982-83 समाप्त हो जाने के पश्चात् भी यह विकट स्थिति बनी रही। इस समय सामान्यतः खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है और नई फसल आने से भावों में गिरावट आ जाती है। लेकिन इस वर्ष सप्लाई और मूल्यों की स्थिति पूरी तरह भिन्न रही है। इसलिए, सरकार ने महसूस किया कि अध्यादेश द्वारा गणेश फ्लोर मिल्स का तत्काल राष्ट्रीकरण कर दिया जाए। ताकि आवश्यक सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसका एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में विकास और विस्तार किया जा सके। शेयर होल्डर (हिस्सेदार) कम्पनी को उन्हें सौंपने के लिए जोर डाल रहे थे। सरकार संसद के पिछले सत्र में इस उपक्रम के राष्ट्रीकरण के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी। लेकिन उस समय, विधेयक को पेश करने की कार्यवाहियां ही पूरी की जा सकीं, कि सत्र समाप्त हो गया। इसलिए, दि गणेश फ्लोर मिल्स (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984, 28 जनवरी 1984 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रख्यापित किया गया।

इस उपक्रम को चलाने के लिए एक नई कम्पनी के बनाने का इसमें सुझाव दिया गया। यह पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण वाली कम्पनी होगी। यह मेरा सौभाग्य है कि जब मैं इस मंत्रालय का मंत्री बना तो सभा के सामने अमृतसर आयल मिल का राष्ट्रीकरण करने के लिए एक विधेयक लाया। अब पुनः सौभाग्य से मैं यह विधेयक सभा के सामने पेश कर रहा हूं। इन दोनों से एक नई कम्पनी बनेगी जो कि इस उपक्रम को चलायेगी।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित विधेयक को सभा का समर्थन प्राप्त होगा, क्योंकि जिस रूप से मैंने इसके उद्देश्यों और कारणों को रखा है, जिस ढंग से सरकार ने इसे स्थापित किया है और जिस रूप से सरकार इसे तेल नीति के रूप में आम जनता की भलाई के लिए हथियार के रूप में प्रयोग करेगी। मैं समझता हूं कि इस सबको सारी सभा का समर्थन प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा में विचार के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमैन साहब, जहां तक गणेश फ्लावर मिल्स के बिल का ताल्लुक है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मन्त्री महोदय ने यहां पर कई बातें कही हैं और हाई होप प्रकट की है कि कन्ट्री में जो आयल की प्राब्लम है उसको हल करेंगे। इसके अलावा आर्डिनेन्स के ऊपर जो वक्तव्य रखा गया है, जहां तक उसकी लीगैलिटी का सवाल है, जहां तक उनके वक्तव्य का सवाल है उसमें बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं। सन् 1972 के बाद आपको यह ख्याल आया कि आपको इसे नेशनलाइज करना है, ताकि देश को तेल की समस्या को हल किया जा सके और वह भी इलैक्शन से पहले। यदि नहीं कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी। इतने सालों तक आपने इसको नेशनलाइज नहीं किया और एक करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। इतने सालों तक किसी ने नहीं सोचा कि यह समस्या किस प्रकार हल होगी। आप बहुत अच्छे मन्त्री हैं, आपके आने के बाद आपके दिमाग में यह बात आई। आपने अमृतसर मिल को लिया बहुत अच्छी बात है। अब सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप कर रहे हैं, इससे हर किस्म के सवालात उठ सकते हैं। ब्यूरोक्रेट इसको फंक्शन करेगा। आई० आर० सी० इसको गाइड करेगी। यहां के जो बड़े-बड़े आफिसर होंगे, वे अपना-अपना प्लान चलायेंगे। वर्कर्स का कान्फिडेंस आप लेंगे या नहीं यह भी नहीं कहा जा सकता है। यदि वास्तव में, जैसा कि आपने वक्तव्य दिया है आप देश को तेल सप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्शन से संबंधित हैं, उनको कान्फिडेंस में लीजिएगा और उनका वक्तव्य प्रोडक्शन के बारे में लीजिएगा। जो कमेटी आप बनायेंगे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे। जो बोर्ड आप बनायेंगे, उनका उनमें रिप्रजेंटेशन क्या रहेगा, जिससे वर्कर्स की बात को आप तक पहुंचाया जा सके। जब तक प्रोडक्शन फोर्स को पूरे अख्तियारात नहीं मिलेंगे और ब्यूरोक्रेट्स को मिलेंगे, आई० आर० सी० को मिलेंगे कि तुम जैसा चाहो करो, तो हिन्दुस्तान में आई० आर० सी० ने कोई मुनाफा करने की कोशिश नहीं की बल्कि छोटी-बड़ी इन्डस्ट्री को गिराने की कोशिश की है। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं। कंपनी के प्रोडिक्टिव वर्कर्स बार-बार कहते हैं कि मैटिरियल दीजिए और समस्याओं को हमारे साथ बैठकर डिसकस कीजिए, न आई० आर० सी० बैठा और न ही मन्त्री बैठे, आखिर में उस कंपनी को लिक्विडेशन में दे दिया गया। अभी तक वर्कर्स इस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इसका मसला हल नहीं हो पा रहा है। वहां पर कंटेनर्स बनते हैं। गणेश फ्लोर मिल्स भी वहीं से लेता था। इसको अंडरटेक किया, डिनोटिफाई किया, तो अब कहां से तेल भरने के लिए डिब्बे आयेंगे। यह बहुत पुरानी कंपनी है मैकलिन वैरी। बोर्ड यहां सब वोगस है। वह फ्लोर मिल्स को भी सप्लाई नहीं कर सका। आखिरकार दिवाला निकाल दिया। बंगला भाषा में कहा जाता है उल्टा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी इच्छा अच्छी है, लेकिन मशीनरी के अन्दर यह काम होगा, जो मशीन वहां फंक्शन कर रही है, वहां पर जाकर सब डूबते हैं। मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आपने जो वक्तव्य रखा है उसके लिये जान-तोड़कर कोशिश करें और इस काम में वर्कर्स का

कोआपरेशन लें। हम हिन्दोस्तान के जो सैन्ट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं हमने सरकार को सलाह दी है कि आप हमारे साथ बैठिये, हमने कुछ डिमाण्ड्स भी आपको भेजी हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसी मिनिस्ट्री ने हमको अभी तक नहीं बुलाया है, अगर आप ही हमको बुला लेते तो कुछ नतीजा निकल सकता था। इसलिए आप जो आशा रखे हुए हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो और मैं आपके लिये दुआ करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाय। अगर बातचीत होगी तब तो ठीक है, वरना 'गणेश' ही उल्टा होगा।

हमारे बंगाल में आज ऐसी हालत पैदा हो गई है कि इस तरह के मामलों में किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, कब डी-नौटिफाई हो गई किसी को पता नहीं। वर्कर्स पूछते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं—क्या होगा, अंधेर नगरी चौपट राज होगा, और क्या होगा ? 900 आदमी वहां बेकार बैठे हैं। इन्चेक में 3000 आदमी बैठे हैं, 6,000 एक और कम्पनी है उसमें बैठे हैं। 'जब बाप मरेंगे, तब बैल बटेंगे।'

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आजाद जी, आपके बाप नहीं, इस सरकार के बाप मरेंगे।

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपने जो ब्यान दिया है मैं उसको एप्रोशिएट करता हूं और इसी लिए मैंने आपके इस बिल का समर्थन किया है। जो थोड़ी-बहुत नुकताचीनी आर्डिनेन्स के बारे में साहब ने की है वह बिल्कुल जायज बात है, उन तमाम बातों को सीरियसली देखना चाहिए। मुझे अफसोस यह है कि मिनिस्ट्री ऐसी बातों को सीरियसली नहीं देखती है। कोई कमेटी बैठा दी, किसी एस० पी० ने कह दिया कि कर दो, वह कर दिया गया। जब पकड़े गये कि कांस्टीचूशन के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, तो कह दिया कि देखा जाएगा। नुकसान होता है तो कह देते हैं कि डी-नोटिफाई कर दो। रिजर्व बैंक ने खुद कहा है कि मिसमैनेजमैंट की वजह से बहुत-सी अंडरटेकिंग्ज में लाकआउट और क्लोजर हुए हैं। लेवर डिस्प्यूट्स से तो शायद 2 परसैन्ट ही बन्द हुई होगी, बाकी सब मिस-मैनेजमेन्ट की वजह से हुई हैं। यहां पार्लियामैन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं—जो बोलते हैं सब कहते हैं ठीक हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : आप जो बोलते हैं, मैं तो उसी का जवाब देता हूं।

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपकी पार्टी का लीडर हमारे प्राविन्स के स्पीकर को मारने गया और वह एडजार्न करके चले गये और आपने अभी तक उसका पता भी नहीं लगाया। क्या पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर ने वहां की स्टेट गवर्नमेन्ट से पूछा, वहां भी एक चुनी सरकार है, आपने उसको समझ लिया है कि वह इलैक्टेड नहीं है, इसी तरह का काम कश्मीर में कर रहे हैं, यह आदत बुरी है।

मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिनिस्टर साहब जो करने जा रहे हैं, वह बहुत अच्छा काम इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बृजमोहन महंती (पुरी) : यह विधेयक लाने के लिए सबसे पहले मैं माननीय नागरिक

पूर्ति मन्त्री जी को बधाई देता हूं। अध्यादेश सर्वथा उपयुक्त था। वास्तव में इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण हेतु विधेयक काफी पहले पास किया जाना चाहिए था। इस उद्योग का सराहनीय कार्य यह है कि वह गत कई वर्षों से लाभ कमा रहा है।

इतना ही नहीं और जैसा मन्त्री जी ने बताया है, न केवल मंत्रालय की तेल नीति को कार्यान्वित करने बल्कि वर्ष भर पूर्ति को बनाये रखने के लिए भी वास्तव में वही मुख्य साधन है। अतः उनका कार्य सराहनीय है और उन्होंने बहुत लाभ कमाया है। अतः राष्ट्रीयकरण के लिए इस विधेयक को लाने के लिए मन्त्री जी को बधाई देता हूं और इसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

साथ ही मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस सभा में उन शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व है जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थीं और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के विरुद्ध थीं और जो चाहती थीं कि हम भारी उद्योग न लगायें महत्वपूर्ण उद्योग लगाए बल्कि कृषि क्षेत्र में ही लगे रहें। महालानोबिस तथा पंडित नेहरू के समय में इस सभा में ऐसे शक्तिशाली लोग थे जो गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था पैदा करने का लगातार विरोध करते रहे जो हमारा लक्ष्य है। इस पृष्ठ-भूमि में यह उपाय अत्यन्त आवश्यक था। लेकिन साथ ही हमें यह पहलू नहीं भुलाना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घाटा होना हमारी अर्थ-व्यवस्था की एकमात्र कमजोरी है। पिछले वर्ष तक 193 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घाटा हुआ है। पिछले वर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और इस वर्ष यह 618 करोड़ रुपये हैं और उनमें 26,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है। अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था की इस कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

विपक्ष में शायद मेरे कुछ मित्र यह सोचें कि केवल केन्द्रीय सरकार के उद्यमों को ही घाटा होता है। नहीं, राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्य भी विशेष अच्छा नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपये की हानि हो रही है और राज्य सरकारें उनका प्रबन्ध चलाती है। सिंचाई परियोजनाओं, डेरी परियोजनाओं, सड़कों और जल सम्बन्धी परियोजनाओं में हमें भारी घाटा हो रहा है। यह बीमारी असाध्य है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि यह केवल 1 दिन की हानि नहीं, बल्कि लगातार हो रही है। अतः मेरा निवेदन है कि यह कमजोरी दूर किये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कारण हमें इस समस्त संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकीय ढांचे में परिवर्तन किया जाये। साथ ही प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों की प्रभावी भागीदारिता होनी चाहिए और उत्पादन के आधार पर वेतन ढांचे को भी बदला जाये। कार्मिक संघों के दृष्टिकोण रवैये में भी परिवर्तन होना चाहिये। मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने कार्य के सिद्धान्तों के मूल सिद्धान्त पर पहल की है। इससे कार्मिक संघ की पूरी धारणा बदल जायेगी। उद्योगों की दुर्बलता दूर करने और अपव्यय तथा भ्रष्टाचार को रोकने में इन संघों की प्रभावी भूमिका होनी चाहिये। हमें नौकरशाही ढंग पर निर्भर नहीं करना चाहिये। प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों का हाथ हो, उनकी भी भूमिका होनी चाहिये। उन्हें उत्पादन में सार्थक रूप से सहायता करनी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उद्योग की

कमियों को दूर करने में भी योगदान करना चाहिए । मुझे खुशी है कि श्री ज्योति बसु ने यह बात सोची है । पता नहीं देश की वामपंथी शक्तियां कहां तक इसे स्वीकार करेंगी लेकिन यह बड़ी अच्छी बात है । इतने वर्षों तक मुख्य मन्त्री रहने के कारण उन्हें पर्याप्त अनुभव है कि कार्मिक संघों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए । मुझे पता चला है कि वामपंथी मोर्चे में भी कुछ प्रमुख व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे लागू किया जाये ताकि हमारे औद्योगिक उत्पादन के ढांचे में पूर्ण परिवर्तन हो सके ।

अब मैं रुग्ण उद्योगों की बात करता हूं । यह उद्योग भी पहले रुग्ण था । सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेकर ठीक व्यवस्था की और अब इसे लाभ होने लगा है । अब पहले वाले मालिक कह रहे हैं कि वे इसे वापिस ले सकते हैं । यह क्या मजाक है ? और सरकारी क्षेत्र को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बल पर नहीं बल्कि राज्य के बल पर उन्नति करता है । सरकारी वित्तीय संस्थाएं उन्हें ऋण देती हैं । मुझे पता लगा है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं के 100 कम्पनियों में 25% इक्विटी शेयर हैं । रुग्णता बढ़ने वाली बीमारी है । हर वर्ष कुछ उद्योग रुग्ण हो जाते हैं । सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने इन रुग्ण उद्योगों में 1700 करोड़ रु० से अधिक पैसा लगाया है । उद्योग रुग्ण कैसे हो जाता है ? इसका कारण है कि प्रबन्धक उद्योग को मिले धन को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां अधिक लाभ मिल सके । मेरा निवेदन है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं की भूमिका क्या है ? इन संस्थाओं के निदेशक मण्डल में मनोनीत व्यक्ति क्या कर रहे हैं ? पैसा अन्य जगह कैसे लगा दिया जाता है ? यह ऐसे प्रमुख मामले हैं जिन्हें हमें हल करना है । आज हमने प्रेस में देखा है कि निदेशकों की भूमिका में कुछ परिवर्तन किया जायेगा । इन सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देखना चाहिये कि दिये गये अग्रिम धन, ऋणों आदि का उपयोग उद्योग के लाभ हेतु होना चाहिए । इस समय ऐसा नहीं हो रहा । अतः मेरा निवेदन है कि जिन उद्योगों में 25% अथवा इससे अधिक शेयर इन संस्थाओं के पास हैं तो वे इन्हें अपने अधिकार में क्यों नहीं ले लेती ? संविधान द्वारा हम तथा कांग्रेस दल समाजवादी समाज की स्थापना के लिए वचनबद्ध है । यह एक नई बात नहीं है । हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना है क्योंकि हमें जनमत को साथ लेकर चलना है । हमारे सामने समाजवाद का लक्ष्य है जो आसान नहीं है । इसके लिए देश भर में लोगों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण की जरूरत है । समाजवाद कानून द्वारा नहीं आ सकता । यह आर्थिक या राजनीतिक अवधारणा ही नहीं है, यह सांस्कृतिक अवधारणा भी है जिसके लिए नये ढंग के समाजवादी दृष्टिकोण की जरूरत है । लोगों का सहयोग भी जरूरी है । अतः मेरा अनुरोध है कि इसे सरकारी अधिकार में लिया जाये ।

हमारे यहां खाद्य तेल का कुछ उत्पादन होता है लेकिन वांछनीय उत्पादन नहीं होता । ऐसा नहीं कि हमने प्रयास न किये हों, भरसक प्रयास हुए हैं । कृषि मंत्रालय ने तेल बीजों के उत्पादन में सुधार हेतु काफी उपाय किये हैं लेकिन अभी इस खाद्य तेल की कमी है और यही कारण है कि उसका आयात किया जाता है । गैर-सरकारी क्षेत्र पूरी नीति के विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता है । वे स्वयं आयात करना चाहते हैं । आपने सुना ही होगा कि वे चाहते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत एक समानान्तर भारतीय खाद्य निगम बनाया जाए । वे कृषकों को अधिक धन

देकर उनका उत्पादन खरीदना चाहते हैं ताकि कीमतें बढ़ने पर उसे बेचा जा सके। अतः टकराव है निहित स्वार्थी सरकार की कुछ नीतियों का विरोध करते हैं। और हमारी नीति यह है कि हम कृषकों को लाभकारी मूल्य दें और सारी चीजों को उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को दें और हम इस प्रकार प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपये राजसहायता के रूप में खर्च कर रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा न केवल इस क्षेत्र में बल्कि अन्य सभी क्षेत्रों में जहां सरकार काम चला रही है, तनाव पैदा किया जा रहा है। अतः इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाये। फिर भी निहित स्वार्थी तत्वों के षड्यन्त्र के प्रति हमें सचेत रहना है। मुझे अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) की अद्यतन स्थिति के बारे में पता नहीं लेकिन केशवानन्द भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें संरक्षण दिया गया है। लेकिन बाद में देखा गया कि निदेशक सिद्धान्तों के पूरे अध्याय को ही संरक्षण दिया गया है और उसे न्यायिक जांच से परे रखा गया है। इस बारे में भी जांच की जाए। तथापि यह उपाय बड़ा अच्छा है, इसे स्वीकार किया जाए और इसके लिए मैं माननीय मन्त्री जी को फिर बधाई देता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, इस बिल का जिसमें गणेश फ्लोर मिल का अर्जन किया जा रहा है, इसका समर्थन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सदन के सामने मजबूरी है। सरकार की गलत नीतियां होने के बावजूद हम लोग मजबूर हैं इस सदन में कि इस बिल का जो श्री भागवत झा आजाद लाए हैं, उसका समर्थन करें। लेकिन जिन तरीकों से इस सरकार ने अपना एक रूटीन बना लिया है कि अर्जन करना हो या ऐसा और कोई इंपोरटेंट काम हो उसको आर्डिनेंस के द्वारा करने के बाद इस सदन में लाएं। जबकि पिछला सत्र इस सदन का चला और यहां पर चर्चा भी थी कि इस तरीके का बिल सरकार की तरफ से आएगा। लेकिन श्री भागवत झा आजाद साहब कह रहे हैं कि बिल तैयार करते-करते सदन का समय समाप्त हो गया। यह कोई तरीका नहीं है। गत सत्र में इस बिल को आना चाहिए था। आर्डिनेंस के द्वारा ये जो कार्य करने की पद्धति है यह जनतन्त्र को खत्म करने की योजना आप और आपकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी बना रही हैं। मैं इस नीति का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरीके का काम जब हो तो सदन को विश्वास में लेकर के इस तरीके का काम करने की आदत डालें। वरना इस तरीके से जनतन्त्र का ह्रास यह गवर्नमेंट कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूं। बिल का समर्थन करने के साथ इस तरीके का विरोध करता हूं जिसके जरिए यह सरकार काम कर रही है।

अर्जन के जो उद्देश्य बताए गए हैं मुझे शंका है कि वे पूरे होंगे, बल्कि होंगे ही नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा मत कहिए।

श्री जगपाल सिंह : क्योंकि 14 साल से इन कारखानों को देख रहे हैं। जो चीजें इस मुल्क में उपलब्ध हैं वे वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने के कारण जन साधारण तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का करोड़ों रुपया कारखाने के मालिक इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कारखाना बीमार और बूढ़ा हो जाता है तो उस कारखाने को बन्द करने की योजना बनाते हैं

यहां के पूंजीपति। आप इस तरीके का कानून लाइए कि कारखाना अगर पुराना होगा तो उसके अर्जन के वक्त कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से कोई रुपया पूंजीपतियों को नहीं दिया जाएगा। पूरा मुनाफा उठाने के बाद, कारखाने की मशीनरी बेचने के बाद, मजदूरों के फण्ड्स और वेजेज खत्म करने के बाद सरकार करोड़ों रुपया उनको देकर के बीमार कारखाने का अर्जन करता है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कानून लाइए। वरना आप इस तरह से हिन्दुस्तान के पूंजीपतियों में एक आदत डाल रहे हैं जिससे वे पब्लिक मनी को डायवर्ट करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, होटल्स में और दूसरे प्राफिटेबल इंडस्ट्रीज में और आप उनको फरदर लोन देते हैं। आप ऐसे कैपिटलिस्ट की ब्लैक लिस्ट बनाइए। भविष्य में जिस पूंजीपति का कारखाना बीमार हो जाए और उसको बैंक से पैसा मिला हो, तो ऐसे पूंजीपति को आप ब्लैक लिस्ट कीजिए। जब सरकार कहेगी कि ऐसे पूंजीपतियों को बैंकों और पब्लिक फाइनेंशियल से पैसा नहीं मिलेगा, तब उनकी अक्ल दुरुस्त हो जायेगी। उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, जो ऐसा काम करते हैं। किसान या मजदूर अगर सौ, दो-सौ रुपया नहीं देता तो उसको हथकड़ी लगाकर हवालात में बन्द कर देते हैं। परन्तु, ऐसे कैपिटालिस्ट को गिरफ्तार करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। मैं इसलिए आपसे मांग करना चाहता हूं कि भविष्य में किसान या मजदूर बन्द नहीं होगा बल्कि इस देश का पूंजीपति जो यहां के लोगों की खून-पसीने की कमाई से अपना घर भर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कानून बनाया जायेगा। आप इस सदन को विश्वास दिलाइए कि भविष्य में किसान या मजदूर को पैसा देकर उद्योग का अर्जन नहीं करेंगे। आपने नीचे के खण्डो में दस-बीस हजार रुपए का प्रावधान किया है। उसका मैं विरोध करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप एक ऐसा बिल लायेंगे जिसका समर्थन करने के लिए हमको मजबूर न होना पड़े या फण्डामेंटल पालिसी के आधार पर मजबूरी में समर्थन करना पड़े। अगला चुनाव आने वाला है। हम हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन, इस देश के लोगों को यह विश्वास दिलाइए कि उनके लिए तेल और घी का वितरण ठीक प्रकार से किया जायेगा। बगैर तेल और घी के यहां के करोड़ों लोग अपना जीवन चला रहे हैं। जिस प्रकार जनता सरकार ने देहातों के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की थी, उसी प्रकार आप भी कीजिए। आपके तीन-चार साल के राज में घी का दाम आठ रुपए से बढ़कर 16-17 रुपए किलो हो गया है। आपने सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी करवा दी है। दूसरी तरफ आप बिल का समर्थन करवाना चाहते हैं। आप इस सदन को आश्वासन दीजिए कि गणेश फ्लोर मिल्स के अधिग्रहण के बाद इस देश के लोगों को घी और तेल सस्ते दामों पर मुहैया करायेंगे। आजाद साहब की नीयत पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि जो कुछ वह कह रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

14.32

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस मद के लिए एक घण्टा नियत किया गया था। वह खतम हो चुका है। माननीय सदस्य और कितना समय चाहते हैं ? मैं पूरी तरह सभा के साथ हूं। आप आधा घण्टा या 40 मिनट और ले सकते हैं क्योंकि और भी कार्य लिया जाना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : 20 मिनट ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आधा घण्टा ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : आधा घण्टा समय बढ़ाया जाये ।

एक माननीय सदस्य : इससे अधिक बढ़ाया जाये ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : आज दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी लिये जाने हैं ।

सभापति महोदय : जी हां । दूसरी मदें भी ली जानी हैं । हम आपस में सहमति करके 45 मिनट रख लें । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले कही बात को न दोहराएं ताकि हम समय के भीतर इसे समाप्त कर सकें ।

श्री जेवियर अराकल : महोदय, मैं 5 मिनट लूंगा । (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जी हां । श्री अराकल बोलना शुरू करें ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मुझे खुशी है कि यह विधेयक सदन में लाया गया तथा सभा इसे पारित करने जा रही है ।

अभी तक इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की है । मैं श्री जयपाल सिंह जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था । मैंने खंड 7 में दिए गए मूल सिद्धांत '1 करोड़ रुपए नकद भुगतान किए जाएं देखा । इस सभा में मैं बार-बार यह मांग करता हूं कि किसी भी संस्था के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान न किया जाए । मुझे प्रसन्नता है कि मुझे अन्य स्थानों से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है । मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे । लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है । सभा को इस मामले पर विचार करना चाहिए ।

मेरा प्रश्न दो पहलुओं—खाद्य तेलों और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति से सम्बन्धित है । करोड़ों लोग खाद्य तेलों का प्रयोग करते हैं । इसकी बहुत कमी है । मास और पूर्ति में अन्तर है । हम विदेशों से भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं क्योंकि हमने इस क्षेत्र के लिए विशेषकर खाद्य तेल के उत्पादन को उचित रूप से बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई है । तिलहन विधेयक पर हुए वाद-विवाद में भाग लेते समय मैंने इस पहलू से सम्बन्धित कुछ तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए थे । समूचे देश में खाद्य तेलों में मिलावट की चर्चा है । इस बारे में हमें क्या करना है ? चूंकि खाद्य तेलों की पूर्ति में कमी है, स्वभावत: लोगों की इसमें मिलावट करने की प्रवृत्ति है । इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक कुछ किया जाना चाहिए । मुझे यह जानकर खुशी है कि सरकार इस आवश्यक मद के उत्पादन और वितरण का कार्य अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है । लेकिन मात्र अगला कदम है । मूल मामले हैं—(1) मांग की तुलना में कम पूर्ति (2) इस समस्या का परिणाम है खाद्य तेलो में मिलावट ।

जब तक सरकार इन दो पहलुओं के समाधान का प्रयास नहीं करती, मुझे सन्देह है कि हम अपनी योजनाओं में पिछड़ जायेंगे । इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । जब तक हम तिलहनों की उपयुक्त वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करते । हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते । मुझे मन्त्रालय से पता चला कि पिछले वर्ष हमने 504.66 करोड़ रुपए मूल्य के तेल का आयात किया । जब तक हम अपने किसानों, राज्य की सामूहिक खेती तथा अन्य एजेंसियां—जैसे केरल की पाल्य ऑयल कारपोरेशन, जिसने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, पर फिर भी जिसमें कई चीजों की कमी है को उपयुक्त प्रोत्साहन नहीं देते—हम वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते । उनके पास पैसे नहीं है । उनका मूल ढांचा नहीं है । उन्हें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है । जब तक सरकार बड़े पैमाने पर धन नहीं लगाती तब तक । ···(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उन्हें पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि समय कम है ।

श्री जेवियर अराकल : मैं अपनी बात इतना कहकर ही समाप्त करता हूं कि मन्त्री महोदय दो मूल बातों—खाद्य तेलों में मिलावट तथा आयात, जिस पर हम भारी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं—पर ध्यान देंगे तथा उन्हें पर्याप्त सहायता देने, हमारे कृषकों विशेषकर पाल्य ऑयल कारपोरेशन को, जिसका मैंने अभी-अभी जिक्र किया है, प्रोत्साहन देने की उचित योजना बनाएंगे । जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करते, हमें कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, उद्योग के राष्ट्रीयकरण का साधारणतया स्वागत ही किया जाना चाहिए और इस विधेयक का भी मैं स्वागत करता हूं । मेरा विरोध इस बात का है कि आखिर आप संसद की महत्ता को कम क्यों करना चाहते हैं ? संसद का सत्रावसान क्या इसलिए होता है कि उसके बीच सारे आर्डिनेन्स लाये जायें ? अगर संसद की महत्ता कम हो गई तो न आप रह पायेंगे और न हम रहेंगे, इसे जरूर ध्यान रखें ।

मन्त्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीयकरण आप जनहित की नीतियों से अनुप्रेरित होकर नहीं करते हैं बल्कि तब करते हैं जब आपकी मजबूरी बन जाती है । पहले उद्योग बीमार होता है, उसके बाद जब मजदूर बेकार हो जाते हैं, उत्पादन बन्द हो जाता है तब आपकी राष्ट्रीयकरण करने की मजबूरी हो जाती है ।

राष्ट्रीयकरण आप उन्हीं उद्योगों का करते हैं जो बीमार हो जाते हैं और उनमें भी सब बीमार उद्योगों का नहीं करते लेकिन अगर कुछ का भी करते हैं तो बीमार हो जाने के बाद ही करते हैं । मेरा कहना यह है कि आप राष्ट्रीयकरण की एक ठोस नीति क्यों नहीं बना लेते ताकि जनहित की दृष्टि से जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण जरूरी हो, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाये । इसमें सारा देश आपके साथ है, आप मजबूरी में कोई काम मत कीजिए ।

उत्तम प्रबन्ध में किसी उद्योग में नियोजक और नियोजित दो भाग होते हैं। आदर्श स्थिति में दोनों का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन तथा उससे प्राप्त लाभ का डेविडेंड, वेतन और मजदूरी का उचित वितरण है। आपने यहां मजदूरों के हित का क्या ध्यान रखा है? मानवीय दृष्टिकोण से आदर्श सम्बन्ध तब होता है जब मजदूर प्रबन्धन में भाग लेते हैं, नीति निर्धारण में उनका हिस्सा होता है। तभी वह अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी के साथ उत्पादन में लगते हैं। परन्तु जब यह होने लगता है कि उनके ऊपर कोई चीज थोपी जा रही है, उन्हें कोई आज्ञा दी जा रही है, तब वह स्थिति नहीं होती। तब मजदूरों को लगता है कि वह मजदूर हैं एम्प्लाई हैं, आज्ञा मानना उनकी बाध्यता है और इसीलिए वह पूरे परिश्रम से उसमें नहीं लगते।

आपने मजदूरों के प्रबन्धन में हिस्सेदारी की कौन-सी बात की है? इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने स्टीमेट्स कमेटी और कमेटी आन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज के विजिट्स में बहुत से उद्योगों में देखा है कि मजदूरों को प्रबन्धन में हिस्सा दिया गया है, निदेशक मण्डल में उनका स्थान निश्चित कर दिया गया है, परन्तु यह स्थान बहुधा खाली रखा जाता है और कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है कि जो प्रबन्ध में बैठते हैं, उनको यह विश्वास नहीं होता है कि मजदूरों की योग्यता से प्रबन्धन में कुछ लाभ हो सकेगा। इस मनःस्थिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और जहां भी मजदूरों की हिस्सेदारी प्रबन्धन में हो उस स्थान को तुरन्त भरने की कोशिश करनी चाहिये तभी आप मजदूरों का दिल जीत सकेंगे और उत्पादन में उनका उचित सहयोग ले सकेंगे।

ऐसा लगता है कि राष्ट्रीकरण से देश में एक नया वर्ग पैदा हो गया है, जो आज पांच सितारा होटल की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। हमें बताएं कि क्या कोई भी ऐसा सरकारी उपक्रम है, जिसके प्रबन्धन के लोग पांच-सितारा होटल में नहीं ठहरते या अनाप-शनाप खर्च नहीं करते। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का उद्देश्य यही था कि उद्योगों के सामने एक आदर्श उपस्थित किया जाए। उसके बजाए हम देख रहे हैं कि सरकारी उपक्रम केवल पूंजीपतियों के उपक्रमों की नसल भर कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों के एक्सीक्यूटिव वही काम करते हैं, वही तरीके अपनाते हैं, जो निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के एक्सीक्यूटिव अपनाते हैं। निजी पूंजीपतियों के एक्सीक्यूटिव्ज की तरह वे भी अटकी हुई फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत देते हैं और बड़े-बड़े होटलों में ठहरते हैं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या रहा? मेरा सुझाव है कि सरकारी उपक्रमों को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : गांधी जी की तरह।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या यह आवश्यक है कि वे पांच-सितारा होटलों में ठहर कर दो हजार रुपए प्रति दिन खर्च करें?

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को आगाह करता हूं कि भविष्य में वह संसद की मर्यादा को कायम रखे, उद्योगों के प्रबन्धन में मजदूरों को हिस्सेदारी का खयाल रखे और इस आशय का प्रावधान होने पर उन स्थानों को शीघ्रतापूर्वक भरने का प्रयास करे।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह अंडरटेकिंग्ज और टेक-ओवर का काम किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि योजनापूर्वक इस दिशा में काम किया जा रहा है कि उद्योग को घाटे में चलाओ, मजदूरों के प्राविडेंट फंड का पैसा खाओ, जनता को गुमराह करो, सरकार से मिली-भगत करके पैसा हड़प करो। इस पृष्ठभूमि में सरकार की नीति संशय पैदा करती है।

मिलों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में हमारा अनुभव ठीक नहीं है। इन्दौर का होप टैक्सटाइल मिल वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेकर और मजदूरों के साथ बेइन्साफी करने के बाद बन्द कर दिया गया। उज्जैन के विनोद और विमल मिलों की यही हालत हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने एक उद्योग-पति से मिल ले करके एक दूसरे उद्योगपति को दे दिया। फिर दूसरे को दिया। उसे पैसा दिया उसने सारा पैसा मुनाफे का निकाल लिया। बिजली का बिल चुकता नहीं किया, पानी का बिल चुकता नहीं किया। सारी बातों की छूट उसको मिली रही। फिर वह मिल बन्द होने की स्थिति में है। यह सारा का सारा काम जो चल रहा है, यह जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से चल रहा है। यह पैसा गांवों तक पहुंचना चाहिए, उनके विकास के लिए खर्च होना चाहिए। आम जनता के हित के लिए ख़र्च होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मिलता नहीं है। ये जो मगरमच्छ बड़े-बड़े पूंजीपति लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से कोई बात बनेगी नहीं। नीति ठीक हो, किन्तु नीयत साफ नहीं हो तो उससे बात बनती नहीं है। सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण की हो, मैं इस समय राष्ट्रीयकरण को ज्यादा से ज्यादा यह कह सकता हूं कि यह सरकारीकरण हो रहा है। राष्ट्रीयकरण को बदनाम किया जा रहा है। राष्ट्रीयकरण के नाम पर सरकारीकरण की नीति चल रही है और फिर उसी भरोसे पर यह हो रहा है। आखिर फिर कौन चलाता है उस उद्योग को ? सरकार ने उसको ले लिया, चलाएंगे वही लोग। फिर वही घाटा, फिर सैर-सपाटा, मुनाफा आपस में बांटा और जनता को टाटा। इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। यह खाने का तेल बहुत महत्वपूर्ण है।

विदेशों से सरकार यह तेल मंगाती है। आंकड़ों को देखें तो 1980-81 में जो तेल मंगाया वह 10 लाख 74 हजार टन है, 81-82 में 9.95 लाख टन और 82-83 में साढ़े 11 लाख टन तेल विदेशों से मंगाया है जिसकी क़ीमत 516 करोड़, 450.69 करोड़ और 504.46 करोड़ दी है। हमारा देश यह कृषि-प्रधान देश है, फिर भी विदेशों से हम तेल का आयात करें, खाद्यान्न का आयात करें यह कोई उचित बात प्रतीत नहीं होती। क्या मुश्किल है इस देश के लिए ? और यह तेल जब आप मंगाते हैं तो वह रिफाइनरीज को दे दिया जाता है, वहां से उसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता हैं। इन्दौर का मुझे मालूम है उस बेसहारा आदमी को जो कि मुख्य मन्त्री का मित्र था वह जो तेल रिफाइन करने के लिए मध्य प्रदेश को आप कोटा भेजते थे, दे दिया और वहां के कलेक्टरों को निर्देश दे दिया गया कि तेल को महीने भर तक उठाएं नहीं, फिर उसको खुले बाजार में बेचने की छूट दे दी गई। तेल के भाव बाजार में 18 रुपये बिका और वह तेल लेता था लगभग 8 रुपये में। इस तरह से डबल मुनाफा कमाने का सारा धन्धा जो चलता था वह बाद में प्रकाश में आया।

मेरा यह कहना है कि यह सारा तेल जो आप मंगाते हैं यह गांवों तक पहुंचने के लिए

मंगाते हैं। खाद्य विभाग और सप्लाई विभाग आप देखते हैं। आप देखें कि यह सारा तेल और खाद्यान्न तथा आम उपभोक्ता की वस्तुएं आप भेजते हैं गांवों तक पहुंचाने के लिए लेकिन वह गांवों में आम आदमी तक पहुंचती नहीं हैं। गांवों की आज हालत यह है कि न खाने का तेल है, न मिट्टी का तेल है और सिर में लगाने के तेल की बात तो मैं करता नहीं···(**व्यवधान**)···कोकोनट आयल की बात है।···(व्यवधान)···इसलिए मेरा यह कहना है कि आप गांवों की तरफ ध्यान दीजिए, यह जो तेल आप मंगाते हैं, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उनके पास यह पहुंचना चाहिए। अगर यह जो सारा तेल का खेल है यह बड़ा मुश्किल मामला है। यह सारे लोगों को बनाने का खेल है जो आप चला रहे हैं सरकार द्वारा यह ठीक नहीं है। जनता और उपभोक्ता के हितों की बात को सोचना, उनको सही चीज समय पर मिले इसका ध्यान रखना, यह सरकार का काम होना चाहिए। मगर जिस तरह से यह सारी चीज चल रही है वह ठीक नहीं है।

जिस प्रकार से यह विधेयक लाए वह तो ठीक है ही नहीं, वह प्रजातांत्रिक तरीका तो है ही नहीं। यह चुपके से पिछले दरवाजे से लाना और सारी प्रजातन्त्र और संसद की व्यवस्था जो है उसकी उपेक्षा करते हुए लाना, यह किसी भी तरह लाना ठीक नहीं है।

आपने जो सारी चीजों का अर्जन किया है और अर्जन करते चले आ रहे हैं इससे कोई उपकार होने वाला नहीं है। इससे कुछ उत्पादन बढ़े, लोगों को सुविधा बढ़े, देश की प्रगति और विकास हो सके, जनता को अधिक सुविधाएं दे सकें इस बात का आपका निश्चय होना चाहिए। तभी जाकर लोगों को इससे सुविधा दे पाएंगे। अन्यथा कोई बात ठीक होगी नहीं।

पहले तो मुझे यह कहना है कि उद्योग को बीमार मत होने दीजिए। उद्योग जब बीमार हो तो बीमार उद्योग को ही सरकार क्यों ले? अच्छे-अच्छे उद्योग भी सरकार चलाए। बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, मल्टी नेशनल्स हैं यहां, वनस्पति का इतना उत्पादन होता है, अनेक प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं और अनेक इस तरह के उद्योग हैं उनको सरकार क्यों नहीं चलाती? मुनाफे का जो काम है वह कमाने के लिए तो दूसरे लोग और घाट के लिए केवल सरकार, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मुनाफे के उद्योग जो हैं उनको भी सरकार चलाए, उनकी व्यवस्था को ठीक करे, मैनेजमैंट को सुधारे, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले। घाटे की स्थिति को मुनाफे में लाए यह केवल सरकार का ठेका नहीं है। केवल यही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह घाटे की मिलों को लेकर चलाए। सरकार मुनाफे के उद्योगों को भी लेकर अच्छा मुनाफा कमाए और उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनके हितों का संरक्षण करे। मन्त्री महोदय का सम्बन्ध श्रम विभाग से भी काफी निकट का रहा है और वे जानते हैं कि वहां पर कार्य करने वाले मजदूरों की क्या दशा है। श्रमिकों के वेतनों में समानता की ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। एक जगह पर कार्य करने वाले श्रमिकों को तुलनात्मक दृष्टि से अधिक पारिश्रमिक मिलता है जबकि दूसरी जगह पर कार्य कर रहे श्रमिकों को भय लगा रहता है कि पता नहीं कब मिल बन्द हो जाए। इन सारी बातों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। केवल मिलों का प्रबन्धन लेने से ही काम नहीं बनेगा बल्कि वहां पर लाभ कैसे हो, मजदूरों का हित कैसे हो—इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए तभी अपका जो मंतव्य है उसकी पूर्ति हो सकेगी।

श्री एन० सेलेवाराजू (तिरुचिरापल्ली)*: सभापति महोदय, द्रमुक की ओर से मैं इस कानून का समर्थन करता हूं जिसमें गणेश फ्लोर मिल्स से संबंधित संस्थानों को सरकारी अधिकार में लेने का प्रयास किया गया है। महोदय, मुझे यह कहने में संकोच प्रतीत नहीं होता कि माननीय खाद्य मन्त्री, श्री भागवत झा आजाद, में भारी सामर्थ्य है, और यह विधेयक, सर्वसामान्य के हित में कार्य करने के प्रति उनकी आस्था का उदाहरण है।

महोदय, मिल के मालिकों ने उन्हें बिलकुल निचोड़ दिया है और उन्हें गन्ने के छिलके की भांति छोड़ दिया है। मैं मांग करता हूं कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों का देय ऋण वसूल किए जाने चाहिए। इसी तरह, उन्हें बिना दया भाव दिखाए भूमि कानून के अन्तर्गत उनसे देय कर भी वसूल कर लेने चाहिए। मैं माननीय खाद्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे यथासंभव कठोर रवैया अपनाएं ताकि अन्य कम्पनियां गणेश फ्लोर मिल्स का अनुसरण न करें।

माननीय खाद्य मन्त्री आम जनता के कल्याण के लिए निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन्हें तमिलनाडु से ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में हजारों छोटी चावल मिलों की शोचनीय स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं, जिन्हें केन्द्र की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत परेशान किया जा रहा है। प्रतिदिन वे 10 से 15 किलो धान से चावल निकालती हैं। उनका गुजारा कठिनाई से होता है। उनकी दैनिक आवश्यकताएं अति अल्प हैं और उन्हे इस नगण्य आय के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब तो अनिश्चितता की स्थिति में डाला जा रहा है। सरकार के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अतिरिक्त ये चावल मिलें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वनियोजन के अवसर भी पैदा करती है। उन्होंने देश में इतनी बड़ी आटे की मिल की तरह बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं लिया है, वे ये छोटी चावल मिलें अपने ही संसाधनों से स्थापित करते हैं। पर राज्य सरकारों के अधिकारी, ऐसे अवसरों की ताक में बैठे हैं, कि उनका बुरी तरह शोषण कर सकें। महोदय, आप जानते हैं कि इस वर्ष दिसम्बर और फरवरी में बेमौसम की भारी वर्षा के कारण 3 लाख उपजाऊ खेतों में पानी भर गया। लोग पहले से ही कठिनाई में हैं। अतः यही समय है कि माननीय खाद्य मन्त्री इन छोटी चावल मिलों को इस आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन की शर्त से छूट देने के आदेश जारी करें। यदि धन की कमी के कारण मिलें बन्द हो जाती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी अधिक बढ़ जायेगी तथा ग्रामीण लोगों को चावल उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। चावल निकालने में पौष्टिकता की हानि को न्यूनतम करने के सिद्धान्त को बड़ी चावल मिलों पर लागू करना चाहिएं, छोटी मिलों में तो यह हानि न्यूनतम है। यदि उस तरह की छूट संभव नहीं है, तो माननीय खाद्य मन्त्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र से पर्याप्त धन दिया जायेगा। इस समय कोई भी बैंक उन्हें आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने की तैयार नहीं है। मैं खाद्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन चावल-मिलों पर विचार करें तथा उन्हें आधुनिकीकरण योजना से छूट दे दें।

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

13 00

महोदय, मैंने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में देखा है कि यदि कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में आ गई तो पूरे देश में काफी मात्रा में आधुनिक चावल मिलें खोली जायेंगी। वह सिर्फ कथनी ही थी। मेरी मांग है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को देश में ऐसी आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

जब तमिलनाडु के लोगों ने गेहूं खाना शुरू कर दिया है तो सरकार ने अब आटा मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना बन्द कर दिया है। तमिलनाडु में देश के अन्य भागों की तुलना में आटा मिलों की संख्या सबसे कम है। मेरा सुझाव है कि जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, कम-से-कम इस नीति को समाप्त कर देना चाहिए और आटा मिलों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए।

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने उचित दर की दुकानों में खाद्य तेलों के उपलब्ध न होने का जिक्र किया। समृद्ध देशों में खाद्य तेलों की खपत की तुलना में, भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत निम्नतम है। पूरे देश में यह मांग की जाती रही है कि खाद्य तेलों का वितरण उचित दर की दुकानों से किया जाना चाहिए। लेकिन सदन तथा अन्य स्थानों पर जो कुछ कहा जा रहा है, वास्तविकता उससे भिन्न है। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि वहां उचित दर की अधिक दुकानें खोलने पर बल देने के लिए काफी संख्या में समारोह किए गए। लेकिन वास्तव में, उचित दर की दुकानें नहीं खोली गई हैं। ऐसा अनुभव मुझे अपने ही गांव से हुआ, जहां 2700 मतदाता हैं और वहां की जनसंख्या 5000 है। पेराम्बूर में उचित दर की कोई दुकान नहीं है। उन्हें उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए 3 मील दूर जाना पड़ता है। मुख्य मन्त्री ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के बारे में सोचने की बजाय सिनेमा के नायक और नायिका के विवाह-संबंध जोड़ने में अधिक व्यस्त हैं। वह अपना समय ऐसे कार्यों में बिताते हैं कि किस सिनेमा के नायक को किस नायिका से विवाह करना चाहिए और ऐसे विवाह समारोह कहां और कब होने चाहिए। उनकी दिलचस्पी ऐसे स्थानों में उचित दर की दुकानें खोलने में नहीं है, जहां ऐसी कोई दुकान नहीं है।

मैं माननीय खाद्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को सुदूर क्षेत्रों में उचित दर की अधिक दुकानें खोलने के निदेश जारी करें तथा यह आश्वासन दें कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और पुनः अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कभी आप किसी कम्पनी को अपने अधिकार में लेते हैं, तो संसद के सदस्यों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उस कम्पनी के पास कितनी इम्मूवेबिल प्रापर्टी और कितनी मूवेबिल प्रापर्टी है और उसकी पोजीशन क्या है? आपने जब उस कम्पनी को लिया उस वक्त उसकी हालत क्या थी? आपने जो आंकड़े दिए हैं, उससे पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। मैं आपसे डिटेल में यह जानना चाहता हूं कि किसी कम्पनी को लेते समय या किसी उद्योग को आप जब अपने कब्जे में लेते हैं, तो यह मालूम

होना चाहिए कि उसकी एम्पलायमेंट की कितनी पोटेंशियालिटी है ? उसमें कितनी वेवर्स है ? यह अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि इस कम्पनी में कितनी लेबर काम करती है। और उन मजदूरों को इस कम्पनी के मिस-मैनेजमेंट के कारण काम से वंचित होना पड़े। मजदूरों का कितना पैसा बकाया है ? कितना ई० एस० आई० और प्राविडेन्ड फण्ड का पैसा वहां मौजूद था ? आपको स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिये था कि इस कम्पनी में इतने मजदूरों को काम मिलता था, जो मिसमैनेजमेंट के कारण बेकार हो गये। आपको यह भी बतलाना चाहिये था कि इस कम्पनी की सम्पत्ति का विवरण क्या है, कितनी चल और कितनी अचल सम्पत्ति है, मार्केट रेट से उस वक्त क्या वैल्यू थी जब एन्कवायरी कमेटी बैठी थी और उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी। आपने इस कम्पनी के सम्बन्ध में कोई फैक्ट्स सदन के सामने नहीं रखे हैं। ये फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिये। आपने सिर्फ इतना कहा है—

"कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण निगम के प्रतिनिधियों की एक त्रिसदस्यीय समिति में जुलाई-अगस्त, 1972 में जांच शुरू की थी और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी की इस कम्पनी की आर्थिक व्यवहार्यता दिल्ली एवं कानपुर के वनस्पति उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता पर मुख्य रूप से निर्भर करेगी।"

आपने कोई बात स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने नहीं रखी है, एन्कवायरी कमेटी ने जो जांच की थी, उसके फैक्ट्स हमारे सामने आने चाहिये। आप जिस चीज को लेना चाहते हैं, जिसमें अपना करोड़ों रुपया लगाना चाहते हैं, हमें यह मालूम होना चाहिये कि उसमें कितना मुनाफा होगा। आप इस बात को मान चुके हैं कि हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज घाटे में जा रही है और जो मुनाफा हमें उनसे मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। जिस क्षमता और योग्यता के साथ इन कम्पनियों को काम करना चाहिये, वह नहीं पर पा रही हैं। मैं इस बात को तो मानता हूं कि मजदूरों के हित को दृष्टि में रखकर हमें ऐसी कम्पनियों को जरूर लेना चाहिये, अपनी दौलत लगाने के बाद अगर हमको 11 परसेन्ट रिटर्न मिलने के बजाय 2 परसेन्ट ही मिलता है, तो भी हमें उनको लेना चाहिये। लेकिन इसमें जो रीजन्ज आपने दिये हैं उनसे यह मालूम नहीं होता है कि उस कम्पनी की माली-हालत कैसी थी। मैं चाहता हूं कि अब कभी सरकार इस तरह के कार्यों को अपने हाथ में लेती है तो उसको पूरा विवरण देना चाहिये। इस विवरण से कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है कि इस कम्पनी की हालत कब तक ऐसी रहेगी, आज इस कम्पनी को कितना मुनाफा हो रहा है···

सभापति महोदय : 223 लैक्स।

श्री मूल चन्द डागा : हम जानना चाहते हैं कि इस कम्पनी से हमें कितने रिजर्न मिलने चाहिये ? आपकी एक्सपर्ट कमेटी ने क्या सुझाव दिये हैं। आपने अपने रीजन्ज को मजबूत करने के लिये कुछ भी नहीं कहा है। इस तरह जो कम्पनी ली जाय उसके कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य जरूर होने चाहिये और साथ-साथ उनका पूरा विवरण देना चाहिये। सदन को कान्फिडेंस में लेना चाहिये और सब बातें डिटेल में बतलानी चाहिये। आप जो कदम उठा

रहे हैं, वे सराहनीय हैं, सरकार के हित में हैं, देश के हित में हैं, मजदूरों के हित में हैं। लेकिन वास्तव में कम्पनीज का राष्ट्रीयकरण नहीं, बल्कि सरकारीकरण हो रहा है। इनका बोर्ड सरकारी कर्मचारियों के हाथ में चला जाता है जिससे समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब वे जवाब दें, तो इस कम्पनी के बारे में पूरा विवरण सदन के सामने रखेंगे।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, हिन्दुस्तान में सारी वामपंथी और जनवादी विचारधारा वाले लोगों की यह लगातार मांग रही है कि तनाव आवश्यक वस्तुओं पर, जन वितरण होने वाली वस्तुओं पर उत्पादन से वितरण तक सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए और प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण होना चाहिए। इस बात को सरकार नहीं मानती है। ऐसे उद्योगों में चीनी उद्योग है, दवा उद्योग है, वनस्पति उद्योग है और दूसरे सारे उद्योग हैं।

आप ऐलान करते हैं कि हम जन वितरण प्रणाली के सिस्टम को लागू करना चाहते हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पीसमील ढंग से, खुदरा भाव में जो मिलों का अधिग्रहण कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि तमाम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में जो मिलें लगी हुई हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। ऐसी कौन-सी बात है जो आप यह नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको विरला और टाटा का भय है या जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं उनका भय है क्योंकि पहले तो आप बहुत गर्म बोलने वाले थे और मैं समझता हूं कि आपकी भावना उस समय वामपंथी जैसी भावना थी लेकिन सरकार में जाते ही, आप उन सारी बातों को भूल गये हैं और इसीलिए आपने मिल को 1 करोड़ 57 लाख 30 हजार रुपये का मुआवजा देने की बात कही है। मालिक ने सारे प्रावधानों को भुलाकर गलत काम किया है और बैंकों से ली गई पूंजी का दुरुपयोग किया है और मिल का मिसमैनेजमेंट किया है, उसको सजा देने की बजाए, आप उसका मुआवजा देते हैं। उन्होंने कानून को नहीं अपनाया, तो अपराध करने वाले को सजा देने की बजाए, आप मुआवजा दे रहे हैं। यह कौन-सा तर्क है ? आप केवल मुआवजा ही नहीं दे रहे हैं बल्कि सूद भी दे रहे हैं और प्रति वर्ष 10 हजार रुपये और भी दे रहे हैं। इसका औचित्य क्या है। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार जो मिलों का नेशनेलाइजेशन करती है, वह उन मिलों का करती है, जोकि उनके फेवरीट पूंजीपतियों के होते हैं। उनकी फेवर करने के लिए उनके मिलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीयकरण के बारे में जो आपकी नीति है, वह सही नहीं है। ऐसी मिलों को ले लिया जाता है, जिनका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए और जिनका होना चाहिए उनको नहीं लिया जाता है।

आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में मोतीपुर में जो एक शूगर मिल है, उस चीनी मिल का टेकओवर हो गया और किसानों का उस पर 2 करोड़ 56 लाख रुपया बकाया है, मजदूरों का वेतन बकाया है और प्रोवीडेंट फंड का पैसा बकाया है।

15.13 **(श्री मूल चन्द डागा पीठासीन हुए)**

दूसरी तरफ आप यह देखिए कि रमा कास्ट इन्जीनियरिंग मिल है, जो बिरला के खानदान वालों

का मिल है। हमारे सारे प्रयत्न करने के बाद भी उसको आप टेकओवर नहीं कर रहे है। टेक-ओवर करने के लिए कहा गया है लेकिन वह अभी तक टेक-ओवर नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि आपकी नीयत साफ है और आपने जो इस मिल का अधिग्रहण किया है, यह एक सराहनीय कदम है लेकिन जब सरकार की मिक्स्ड एकोनामी की पालिसी है, तो फिर बिरला और टाटा की डर की वजह से क्या वह उनके मिलों को टेक-ओवर नहीं कर रही है। आप तेल उद्योग को कमान्डिग हाइट्स पर ले जाना चाहते हैं लेकिन सब मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करते। इस बिल से किस हद तक आप कमांडिग हाईट तक पब्लिक सेक्टर को ले जा सकेंगे। आज हालत यह है कि डालडा में मिलावट के लिए कुछ दलों ने भूख-हड़ताल की लेकिन हमारी पार्टी गाय की चरबी या सुअर की चरबी के मामले से, जोकि इस देश में उठाया गया था, संबधित नहीं है। कुछ लोगों ने तो लोगों को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए सारे मुल्क में गंगा जल छिड़कवाया। इस सबके बावजूद हम देखते हैं कि डालडा की कीमतें कम नहीं हुई, वनस्पति घी की कीमतें नहीं गिरी और दूसरी तरफ तेलों की कीमतें बढ़ गई। पोस्टमैन आयल की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये किलो हो गई। आप जानते हैं कि आम जनता और उपभोक्ताओं को सही दाम पर, उचित कीमत पर तेल नहीं मिल रहा है। उनको उचित कीमत पर तेल मिल सके, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है ? तेल का जो देश में भारी अभाव है, उसको दूर करने की दिशा में भी आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

आपने इस मिल को लेने के लिए मुआवजा दिया है। यह बिल्कुल अनैतिक कदम है। क्या सरकार के खजाने का वजूद इसलिए है कि पूंजीपतियों के हित में उसका दुरुपयोग हो ? यह नहीं होना चाहिए।

आपने इस बिल में एक बात छोड़ दी है। पूरे बिल में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं है कि प्रबंधन में मजदूरों का प्रभावकारी सहयोग किस तरीके ले लिया जाएगा। इस पर हो रही चर्चा का जवाब देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इस दिशा में आप क्या पग उठाने जा रहे हैं ?

इसके अलावा आप जानते हैं कि सारे देश में आपके नौकरशाह लोग डारेक्टर, मेनेजिंग डाइरेक्टर बन कर ऐशो-आराम की जिन्दगी बिता रहे हैं। उनको मजदूरों से कोई सहानुभूति नहीं है, आपके पब्लिक सेक्टर के घाटे में चलने और तबाह होने का कारण ये ही लोग हैं। उन लोगों के दिमाग में यह बात नहीं है कि मजदूरों का सहयोग लिया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। इस पर आप ध्यान दें जिससे आपकी नौकरशाही की मंशा मजदूरों के प्रति दुरुस्त हो।

मैं चाहूंगा कि तेल उद्योग में मजदूरों की आवाज की कीमत हो, प्रबंधन में उनका सहयोग हो, इस दिशा में आप काम करें। साथ ही मैं चाहूंगा कि इस मिल को टेक-ओवर करने से पहले मिल-मालिकों ने जिन मजदूरों की छंटनी कर दी थी उनको भी वापस लेने की लेने व्यवस्था हो। उन छंटनी किये गये मजदूरों के बारे में इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है। जो मजदूर मिल-मालिकों की कुव्यवस्था के कारण छंटनी कर दिये गए थे, या मिल-मालिकों ने जिनको प्रबंधन के अधिग्रहण के डर से निकाल दिया था, उनको आप कैसे वापस लेने जा रहे हैं ? इस बारे में आप बताएं।

साथ ही मैं चाहूंगा कि देश में जो तेल की आवश्यकता है, इसको इस कम्पनी के लेने से किस हद तक पूरा किया जा सकेगा, इस पर भी आप प्रकाश डालें। इस कम्पनी का अधिग्रहण देश में तेल की आवश्यकता को पूरी करने की कितनी क्षमता रखता है या नहीं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि देश भर में तेल, चीनी और अन्य पौष्टिक आहारों की कितनी आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए सरकार की क्या नीति है ? इसके विषय में भी यह सदन जान सकता तो यह प्रसन्नता की बात होती। कृपया अब बताएं कि चीनी, तेल, डालडा के अभाव के चलते हुए उनकी पूर्ति के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

मैं समझता हूं कि यह समस्या के समाधान की दिशा में एक कदम है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा इस मिल को सरकारी अधिकार में लेने के उपाय का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कार्य काफी पहले किया जाना चाहिए था। 1972 में, यह इकाई अपने हाथ में ले ली जानी चाहिए थी। लेकिन इस पर उस समय सरकार ऐसा करने में असफल रही। जो भी हो, मंत्री महोदय अब अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। सामान्यतया, मैं पाता हूं कि श्री भागवत झा आजाद सभा के सामने अच्छा विधायन ही लेकर आते हैं और इसलिए, मैं उनका समर्थन करता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह सत्य कथन है।

श्री हरिकेश बहादुर : किन्तु मेरा मुद्दा दूसरा है। माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है मैं उद्धृत करता हूं "शेयरधारी दबाव डाल रहे थे कि कम्पनी उन्हें वापिस दी जाएं।" हम सदैव यह देखते है कि सरकार बहुत से उद्योगों का अधिग्रहण करती है। उनका आधुनिकीकरण करती है और कुछ धन का पूंजी निवेश करती है। उसके बाद जब कभी उत्पादन में सुधार आ जाता है तो सम्बद्ध उद्योग उसके मालिक को वापिस कर दिया जाता। यह एक गलत प्रथा है। मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि यद्यपि लोग इसके लिए उन पर दवाब डाल रहे हैं किन्तु वह ऐसा नहीं करेंगे।

यह बहुत से मामलों में देखा गया है। मैंने देखा है कि जब चीनी उद्योगों का अधिग्रहण कर लिया गया था और यहां तक कि कटिहार में एक जूट मिल का अधिग्रहण किया गया था तो कुछ समय पश्चात् यह मिल उसके मालिक को वापस कर दी गई थी। यह गलत बात है क्योंकि जब सरकार उसमें पूंजी निवेश करती है तो यह एकक उसके मालिक को दुबारा नहीं सौंपा जाना चाहिए अन्यथा इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय राजकोष को बहुत क्षति उठानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि सार्वजनिक धन को इस प्रकार से बर्बाद किया जाए।

जहां तक खाद्य तेलों की उपलब्धता और उनके मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री को पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले, हमने देखा था कि कुछ जिलों में सरसों का तेल

25 रु० प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा था। यह बहुत खतरनाक स्थिति थी। मेरे विचार से माननीय मंत्री इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे तथा खाद्य तेलों के मूल्यों को कम करने और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।

मेरे दिमाग में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात आ रही है अर्थात् सामान्यतया हम पाते हैं कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण अथवा अधिग्रहण के पश्चात् उत्पादन में कमी आ जाती है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की आलोचना की जाती है। और जो निजी क्षेत्र का समर्थन करते हैं उनको बहाना मिल जाता है और वे सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की पूरी धारणा की ही आलोचना करना आरम्भ कर देते हैं और हम, जो इस धारणा के समर्थक हैं, इसका बचाव करने में अपने आपको एक कठिन स्थिति में पाते हैं। क्योंकि कुप्रबन्ध और अन्य बातों के कारण सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों को प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। इस वर्ष हमने पाया कि 'आर्थिक समीक्षा' के अनुसार कुल मिलाकर लाभ हुआ था किन्तु सरकारी क्षेत्र के बहुत से ऐसे उद्योग भी हैं जिन्हें मुख्यतया घाटा हो रहा है। (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री और सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के संगठनों के प्रशासन में सुधार किया जाए ताकि वे निजी क्षेत्र के साथ, न केवल प्रतिस्पर्धा करने में अपितु राष्ट्र को लाभ देने में भी समर्थ हो सकें क्योंकि वहां जो धन निवेश किया जाता है वह वास्तव में राष्ट्रीय धन होता है। 24,000 करोड़ रुपयों से अधिक का निवेश किया जा चुका है। यदि इस क्षेत्र को घाटा होता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को संकट से बचाना कठिन होगा। इसीलिए राष्ट्र के प्रति सरकारी क्षेत्र की अधिक जिम्मेदारी है। इसको उचित प्रकार से कार्य करना होगा।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस विशेष संगठन, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है। के बारे में माननीय मंत्री देखेंगे कि श्रमिकों को प्रबन्ध में सम्मिलित किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं उन सभी सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का समर्थन किया और मेरे विचार से कुछ सदस्यों छोड़कर जिन्होंने अध्यादेश जारी करने की औचित्यता पर ही प्रश्नचिह्न लगाया। अन्य सदस्यों की आलोचना भी रचनात्मक है मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक सम्भव हो सके हमें अध्यादेश जारी नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पूरे प्रयास किए थे। यह सभा के सामने पिछले सत्र में भी आ सकता था। मैं सभा के सामने आना चाहता था किन्तु ऐसा करना मेरे लिए सम्भव नहीं था। मैं सभा से केवल यही निवेदन करता हूं कि प्रारूपण में संशोधन में और अन्य प्रक्रियाओं में कुछ समय लगा और इसीलिए मैं इसे सभा के सामने न ला सका। ऐसा मेरा इरादा नहीं था, (व्यवधान) मैंने लगभग 12 वर्ष के बारे में नहीं कहा। मैं 12 वर्ष वाले उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जब इस कम्पनी का अधिग्रहण किया गया था। उसके पश्चात् सरकार के सामने कुछ ही प्रस्ताव थे। या तो इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए या इस पर नियन्त्रण

करने वाला हिस्सा रखा जाए या अन्य कोई तरीका अपनाया जाये। किन्तु, फिर भी, इन 12 वर्षों में हमने जो किया, वह यह है कि हमने इस कम्पनी को घाटे की स्थिति से निकाला और इसे इस योग्य बनाया कि अच्छा लाभ दे सके।

कुछ सदस्यों ने अध्यादेश के बारे में कहा। हमने कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किया है। माननीय सदस्यों ने सभा की गरिमा के बारे में कहा। मैं सभा की गरिमा का पूरा समर्थन करता हूं। भारत की पहली संसद 1952 से ही इस सभा का सदस्य होते हुए मैं इस सभा की गरिमा और सम्मान में पूरी निष्ठा रखता हूं और मेरा तनिक भी इरादा नहीं था कि किसी भी प्रकार इसको ठेस पहुंचे। अपने शुरू के भाषण में मैं यह प्रायश्चित कर चुका हूं कि मैं यह नहीं कर सका। इस बारे में श्री शेजवलकर ने हमारे प्रति बहुत कठोर और कड़ा रुख दिखाया था। हमने जो भी किया वह असंवैधानिक नहीं है। यह संविधान का ही भाग है। यदि यह अनुचित होता और यदि इसका कोई औचित्य न होता तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह न रखा होता। मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्यतया हमें इससे बचना चाहिए किन्तु जब ऐसी महत्वपूर्ण बातें आती हैं, तो मैंने एक तर्क दिया है कि मैं पिछली बार यह नहीं कर सका क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हो रही थी, मैंने सोचा कि मुझे अध्यादेश लाना चाहिए और मेरे विचार से मैंने अध्यादेश के द्वारा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करके अच्छा ही काम किया था। उस कम्पनी ने सरकारी प्रबन्ध के अधीन अब बहुत अच्छा काम किया है।

मैं सरकारी क्षेत्र की आलोचना के बारे में कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं अपने विद्यार्थी काल से ही सरकारी क्षेत्र का पक्का समर्थक रहा हूं और मैं अब भी इसका समर्थन करता हूं। किन्तु उसको देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं। श्री हरिकेश बहादुर ने कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे और मुझ जैसे मित्रों के लिए अत्यन्त प्रबल रूप से इसका समर्थन करना कठिन हो जाता है कि उनको लाभ देना चाहिए, कि उनको निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक अच्छी प्रकार से चलाया जाना चाहिए। यद्यपि यह पता है कि निजी क्षेत्र द्वारा किस प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं और किस प्रकार के तरीके नहीं अपनाये जा सकते हैं और किस प्रकार के तरीके सरकारी क्षेत्र द्वारा नहीं अपनाए जाने चाहिए। यह भी पता है कि इस देश में यह मतभेद चल रहा है।

निजी क्षेत्र के कुछ समर्थकों के आचार-नियम यह हैं कि अपना प्रतिनिधि रखने हेतु जब राष्ट्रीयकृत संस्थान शेयर खरीदने के लिए आगे आते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। किन्तु यह एक लम्बा और बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा। मैं कम्पनी के राष्ट्रीयकरण पर आ रहा हूं। जिस काम को मैं पहले ही सिद्ध कर चुका हूं। मैं इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सभा के सामने आया, जिसका सरकार पहले ही अधिग्रहण कर चुकी है। जब आप बोल रहे थे, तो बहुत-सी बातों के प्रति आपने अच्छा रुख दिखाया।

अधिग्रहण के समय 3-1-1972 को तुलन-पत्र के अनुसार निर्धारित परिसम्पत्ति 162.42 लाख रु० थी। किन्तु वहां भूमि का 60 लाख रु० अधिक मूल्यांकन किया गया था। उसे घटा कर, शुद्ध 104.42 लाख रु० थी। किन्तु जिसके लिए आपने पूछा था निर्धारित परिसम्पत्ति में किया

गया पूंजी निवेश .88 लाख रु० था और उसके बाद सरकार द्वारा अनुमानित वर्तमान परिसम्पत्ति 52.38 लाख रु० है। इसीलिए अधिग्रहण करने की तिथि से, किताबी कीमत 157.68 लाख रु० थी। इस समय वहां 2000 कर्मचारी हैं।

जब 1972 में हमने अधिग्रहण किया था तो वहां 1200 कर्मचारी थे। हमारे द्वारा किए गए विस्तार और आधुनिकीकरण के अनुसार हमने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर दी। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस कम्पनी में निम्नतम मजदूरी —जो लगभग 250 रु० थी बढ़कर अब लगभग 1,000 रु० है। हम इस कम्पनी को एक आदर्श कम्पनी, एक अच्छी सरकारी कम्पनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस कम्पनी की शुद्ध सम्पति 31 मार्च को बढ़कर 770 लाख है। जो पहले 223.92 लाख रुपये से भी कम थी इसलिए मुझे सभा के सामने आना पड़ा और माननीय सदस्यों ने उदारतापूर्वक मेरा समर्थन किया। जब मैं पहले सभा के सामने प्रस्ताव के साथ आया था तो कम्पनी बहुत बुरी स्थिति में थी। जब हमने उसका अधिग्रहण किया तो हमने उसकी मूल कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया और उचित आदान प्रबन्धकीय सुव्यवस्था तथा कुछ ऋणों, जिनको हमने लिया था और देयताओं में अधिस्थगित ऋणों के द्वारा हमने बहुत अच्छी तरह से अपना काम किया। आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद 1972 से 1984 तक गणेश फ्लोर मिल्स ने सुरक्षित ऋणों के 55 लाख रु० वापिस कर दिए। हमने वह वापिस लौटा दिए। हमने वह असुरक्षित ऋणों और देयताओं के रूप में 126 लाख रुपये भी चुकता कर दिए। हमने 'भारतीय पुनर्निर्माण निगम' को भी 90 लाख रु० चुकता कर दिए। इससे अधिक आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हमने सुरक्षित और असुरक्षित ऋण और अन्य देयताओं को चुकता कर दिया और हमने 90 लाख रुपया भी चुकता कर दिया। हमने शुद्ध सम्पत्ति 770 लाख रु० तक बढ़ा दी। हमने कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी 250 से बढ़ाकर 1000 रु० कर दिया। इसीलिए, हर प्रकार से हमने कम्पनी में सुधार किया कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे, और मैं आशा करता हूं कि मैंने अपने उत्तर से उन्हें संन्तुष्ट कर दिया है।

इसको लेते हुए, मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने तेल नीति के बारे में भी प्रश्न उठाया है अपने पहले भाषण में मैंने भी इसका उल्लेख किया। यह सम्भव नहीं है कि हम पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लें। मैं यह नहीं कर रहा हूं। किन्तु हम कहना चाहते हैं कि 'अमृतसर आयल वर्क्स' और अब इसका राष्ट्रीयकरण देश बाजार पर नियंत्रण करने में वनस्पति के कुल उत्पादन केवल $\frac{1}{6}$ ही है, जो हमारे लिए निश्चित रूप से रखरखाव करने में, बाजार पर नियन्त्रण करने में, कठिनाइयों को जीतने में और मूल्यों पर नियन्त्रण करने में महत्वपूर्ण रूप से मददगार सिद्ध होगा। किन्तु तथ्य यह बताते हैं कि जिस दिन हमने अधिग्रहण किया था शुद्ध सम्पत्ति केवल दो सौ और कुछ थी और आज 31 मार्च को 770 लाख रु० है। कामगारों की संख्या भी हमने 2000 तक बढ़ा दी है। उनकी मंजूरी भी 250 रु० से बढ़ाकर 1,000 रु० बढ़ा दी है। हमने उत्पादन में भी वृद्धि की है और कम्पनी अब लाभ कमा रही हैं।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : भविष्य निधि के बारे में क्या है?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने बताया, भविष्य निधि और अन्य सभी चीजें जमा करानी जितनी आवश्यक हैं उसका प्रावधान अधिनियम में है। मैं अ[illegible]श्वास दिलाता हूं कि हम करेंगे और हम इस कम्पनी के कामगारों का ध्यान रखेंगे। श्री मोहम्मद इस्माइल द्वारा उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद वह यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीयकृत कम्पनी का अर्थ है कि उसमें केवल अधिकारी और नौकरशाह होते हैं शायद इस बारे में उन्हें ऐसा ही अनुभव हुआ है। यही मैंने उनसे कहा। उन्होंने मुझसे इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। मैं सतर्क हूं। मेरे सलाहकार नौकरशाह हैं। किन्तु नौकरशाह दो प्रकार के होते हैं, जो मार्गदर्शन और अध्यक्षता करते हैं। जो मार्गदर्शन करते हैं, रखरखाव के लिए वे विश्वसनीय हो सकते हैं। जो केवल अध्यक्षता करते हैं, सम्भव है कि वे कुछ मनमानी कर सकते हैं। इसीलिए, मैं कह सकता हूं कि अपने मंत्रालय के नौकरशाहों से सलाह करने के बाद मुझे आपके पास आना होगा। जिस समय मैंने अधिग्रहण किया। मैं ब्यौरा देना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ सप्ताहों के अंदर ही शेयर धारी मेरे पास आए और मुझसे कहा। "हमें कम्पनी वापस कर दीजिए, यह उच्च न्यायालय का आदेश है" मैंने कहा मैं आपको कम्पनी वापस नहीं दूंगा। मैंने एक रुग्ण बच्चे की परिचर्या कर उसे स्वस्थ बनाया है और अब मैं इस देश की तेल नीति के बारे में निदेश देने का प्रयास कर रहा हूं।" और इसीलिए अल्प समय में ही मैं इस सभा के सामने आया हूं उन्होंने मुझे कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार मैं उसी के साथ आया। मैं उसी सलाह के साथ आपके पास आया और इस राष्ट्रीयकरण के साथ वनस्पति के उत्पादन के $\frac{1}{6}$ भाग पर हमारा नियन्त्रण होगा। हम वनस्पति के उत्पादन पर नियन्त्रण करेंगे और इससे मूल्यों पर नियन्त्रण रखने में भी सहायता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका लगभग सभी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, यह है श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी मैं इस सिद्धान्त का अन्ध-विश्वासी हूं। 1950 से मैं इस सदन में इस मामले का समर्थन करता आया हूं। इसलिए प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे कार्यान्वित करने का अवसर मिला है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इसमें श्रमिकों की भागीदारी दिलाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मैं अपने उन मित्रों को जो आज प्रभारी हैं तथा जो बाद में प्रभारी होंगे, बता दूं कि हमें उन्हें अवश्य विश्वास में लेना चाहिए। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। सरकार की यह नीति है कि श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी हो। सरकार ने कुछ एककों में इसे कार्यान्वित किया है, जहां इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अतएव, मुझे आशा है तथा मैं कामना करता हूं कि इसमें श्रमिकों की भागीदारी होगी। जैसे कि मैंने आपके सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इस मामले में हमने श्रमिकों को उनकी संख्या, मजदूरी, उत्पादन आदि के रूप में अधिकतम दिया है। अतएव, हम इसे भी करेंगे। श्री महन्ती, प्रो० मेहता, श्री अराकल, श्री मधुकर, श्री हरिकेश बहादुर तथा अन्य सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। यह सरकार की स्वीकृत नीति है। हम इसे कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह कम्पनी चल रही है और इसे आगे ही बढ़ते जाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए श्रमिकों में विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें प्रबन्ध में भागीदारी तथा कम्पनी के उत्पादन में उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

मैं श्री जगपाल सिंह, श्री जटिया तथा अन्य युवा मित्रों की भावनाओं की कद्र करता हूं। उन्होंने कहा है कि एक बार सरकार जिस रुग्ण मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेती है, उसे वापस

नहीं देना चाहिए। मैंने इस रुग्ण मिल का अधिग्रहण किया है और मैंने इसे वापस नहीं दिया है और न ही मैं इसे वापस दूंगा। मैं आशा करता हूं कि अन्य मन्त्रालयों के मामले में भी ऐसा ही होगा।

मैं उन युवा सदस्यों की बात की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने जोरदार शब्दों में कहा है कि इस देश में निजी उद्यम सार्वजनिक संस्थाओं से अधिकांश पूंजी लेते हैं। यह उनकी पूंजी नहीं है, यह जनता की पूंजी है इसलिए उन्हें उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। चाहे ये निजी हाथों में हैं, फिर भी उन्हें जनता को इसका प्रतिलाभ देना चाहिए। इसलिए मैं उनके इस दृष्टिकोण की सराहना करता हूं कि रुग्ण एकक वापस नहीं किये जाने चाहिएं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं कि निजी उद्योगों को सही बर्ताव करना चाहिए। मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं उनकी नीति तथा भावनाओं से सहमत हूं। मैं दूसरों से भी आशा करता हूं कि जहां इसे कार्यान्वित किया जाना तथा इसे लागू किया जाना वांछनीय है, वहां वे दबाव जारी रखेंगे।

श्री अराकल ने तेल के आयात की बात की। यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि भूमि उतनी ही है और हमें इसमें अनेकों वस्तुएं पैदा करनी हैं। हमें अधिक गेहूं, अधिक चावल, अधिक दालें, अधिक तिलहन, अधिक गन्ने की आवश्यकता है। तथा सरकार समय-समय पर ऐसे खरीद मूल्य निर्धारित कर रही है जो उचित तथा प्रोत्साहन प्रधान हैं। हमारे पास योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए, तिलहनों को लीजिए। यह मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं हैं। यह कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं। उदाहरण के लिए, सोयाबीन के लिए मध्य प्रदेश में हमारी एक विशेष परियोजना है जहां हम अधिक सोयाबीन का उत्पादन कर रहें हैं। मूंगफली के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम सोयाबीन तेल का एक काम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं। इस समय हम लगभग 15 प्रतिशत सोयाबीन का तेल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं लेकिन, जब सोयाबीन काम्पलैक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो हम 85 प्रतिशत सोयाबीन का पौष्टिक आहार के रूप में खाने के लिए प्रयोग करने लगेंगे। अतएव, परियोजनाएं हमारे पास हैं। किसानों को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। क्षेत्र उत्पादन तथा मिट्टी के अनुसार वे इसका उत्पादन करते हैं। फिर भी अपने भरसक प्रयासों के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से तिलहनों के उत्पादन को बढ़ा पाना सम्भव नहीं हो सका है। इस वर्ष हमें 33 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की आशा है। विगत में पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन 28 से 33 लाख मीट्रिक टन के बीच रहा है। मांग लगभग 44 से 45 लाख मीट्रिक टन तेल की है। अतएव कमी लगभग 12 लाख टन की है। हम इस कमी को विदेशों से आयात करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 1981-82 में शताब्दी का उत्पन्न भयंकर सूखा पड़ने के कारण यह वर्ष हमारे लिए कठिनाइयों का रहा है सदस्यों तथा जनता की शुभ-कामना से हम उस सूखे का सामना करने में सफल हुए हैं तथा जो कुछ हमने किया है, राज्य सरकारों ने भी उसकी सराहना की है। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो या खाद्यान्नों या खाद्य तेलों की सप्लाई, इनमें हमारी भूमिका केवल अनुपूरक है। जब कमी होती है तो हम विदेशों से आयात करते हैं। इस वर्ष अभी हम प्रतीक्षा में हैं और हम यह देखेंगे कि मूल्यों को नीचे रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जिस नीति का सरकार अनुसरण कर रही है उससे हम मूल्यों पर नियन्त्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं।

जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो देश में वनस्पति उत्पादन के 1/6 भाग पर हमारा नियन्त्रण हो जाएगा। इस मिल की तेल-शोधन क्षमता अच्छी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।

जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे चुका हूं। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमने इसका अधिग्रहण क्यों किया है। मैंने परिसम्पत्तियों की सूची दे दी है। इसलिए, मुझे आशा है कि वह संकल्प को वापस ले लेंगे और इस अच्छे विधेयक को पारित होकर कानून बनने देंगे ताकि सरकार की तेल सम्बन्धी नीति को लागू किया जा सके, जिससे सरकार को देश में तेल-उत्पादन के बड़े भाग पर नियन्त्रण प्राप्त हो सकेगा। वास्तव में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी तेल-उत्पादन का काफी बड़ा भाग सरकार के नियन्त्रण से बाहर रह जाएगा, लेकिन देश में तेल की उपलब्धता तथा मूल्य दोनों को व्यवस्थित करने के लिए यह हमारे पास एक सशक्त साधन होगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को सर्व-सम्मति से पारित करें।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर): महोदय, मुझे खेद है कि मैं माननीय मन्त्री के इस अनुरोध को नहीं मान सकता कि मैं इस संकल्प को वापस ले लूं। वास्तव में, मेरा मुद्दा मात्र तकनीकी ही नहीं है। मैंने अपने मुद्दे पर बार-बार बल दिया है। आधारभूत प्रश्न यह है कि क्या आप संविधान के प्रावधानों का सम्मान कर रहे हैं या नहीं। दुर्भाग्यवश, मन्त्री महोदय को इतनी धीरता से सुनने के पश्चात् भी मैं सन्तुष्ट नहीं हूं।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें कम्पनी का प्रबन्ध 1972 से ही सरकार के पास रहा है। अतः पहले बिना अध्यादेश जारी किए इस सत्र में विधेयक लाया जा सकता था। आखिरकार, कोई आसमान नहीं गिर पड़ता तथा देश को कोई हानि न हुई होती। सामान्य ढंग से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता था तथा इस पर यहां चर्चा हो सकती थी जैसे कि आज एक घन्टे तक हुई है। अध्यादेश जारी करने की क्या जल्दी थी, यह मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अतएव, मैं इस मुद्दे पर उनसे सहमत नहीं हो सकता।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैंने कुछ असंवैधानिक कार्य किया है ?

श्री एन० के० शेजवलकर : वास्तव में, यह इस अर्थ में असंवैधानिक है कि आपने संविधान के प्रावधानों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया है।

दूसरे, मैंने अनुच्छेद 39 (ग) जिसका आपने विधेयक में उल्लेख किया है, के सम्बन्ध में एक अन्य मुद्दा उठाया था। इसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कई बार कहा है कि हम सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : अनुच्छेद 39 के खंड (ग) में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण का उल्लेख है। आपने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। वास्तव में आपने कहा है कि आप भौतिक संसाधनों पर नियन्त्रण चाहते हैं, लेकिन यह सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से काफी भिन्न है। आपने कहा है कि इस मिल का अधिग्रहण करने के उपरांत आपका उत्पादन के 1/6 भाग पर नियन्त्रण हो जाएगा। लेकिन, मूल्य निर्धारण का क्या होगा ? यदि आप कहें कि सरकार की यह नीति है कि वह आगे और मिलों का अधिग्रहण करेगी, यदि यह नीति है तो मैं समझ सकता हूं, जैसा कि अपने एयर लाइन्स और रेलवे के मामले में किया है। यदि आप कहें कि आप समग्र तेल उत्पादन का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, तो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन, उस बारे में आप अपने आपको प्रतिबद्ध करने को तैयार नहीं हैं। आप यह नहीं बतलाते कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं।

मैं यह स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैं अधिग्रहण के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं हूं। यदि आपका यह उद्देश्य है, और यदि आप ऐसा कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप कुछ करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। क्या आपने उस पर ब्याज की राशि की गणना की है ? 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम ब्याज 16 लाख रुपए बैठेगा। क्या आपने इसके लिए प्रावधान किया है ? आपने ये सारी बातें स्पष्ट नहीं की हैं।

प्रबन्ध पहले से ही आपके पास है। अब आप और पूंजी लगाना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ खास मिलने वाला नहीं। आप कहते हैं कि आपको कुछ लाभ मिल सकता है लेकिन यह कोई खास नहीं है। इसलिए, इस राशि का निवेश करने की क्या आवश्यकता थी, विशेषकर जब प्रबन्ध पहले से ही आपके पास है ?

इन सभी कारणों से मैं मन्त्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। अतएव, मैं अपना संकल्प वापस नहीं लेना चाहता। मैं अपने संकल्प पर मतदान के लिए बल देता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जनवरी, 1984 को प्रख्यापित गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : यह प्रश्न है :

"कि स्वास्थ्यप्रद और प्ररिष्कृत खाद्य तेलों, पोषक खादों और अन्य उपभोक्ता-वस्तुओं का उचित कीमतों पर जनता को प्रदाय करना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित लोक स्वामित्व के या नियन्त्रिण यूनिटों के केन्द्रकों को कायम रखने और उन्हें सुदृढ़ करने की दृष्टि से, जिससे कि संविधान अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की

नीति को क्रियान्वित किया जा सके, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 29 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 29 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक, 1984 के क्रम में मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं।

माननीय मन्त्री ने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा है—"गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जो 1891 में निगमित की गई थी। कम्पनी का प्रबन्ध उसके आकार और स्थिति के लिए उपयुक्त रीति में नहीं किया जा रहा था। इससे इसके कार्यकरण में पूर्ण कुप्रबन्धता और गम्भीर वित्तीय अनियमितता आ गई थी। परिणामस्वरूप गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड बन्द हो गई। अतः गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अधीन 3 नवम्बर, 1972 को ग्रहण कर लिया गया।"

इस रोशनी में मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त कम्पनी की कार्य-पूंजी कितनी थी, उस पूंजी का क्या हुआ, उक्त पूंजी को कौन लोग हज्म कर गए और उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई।

परन्तु दुःख है कि ऐसे लुटेरों की कमर में रस्सा लगा कर जेल भेजने के बजाए कम्पनी के मालिकों को 1,57,68,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें प्रत्येक वर्ष दस हजार रुपए और दिए जाएंगे और जब तक मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें चार प्रतिशत के हिसाब से सूद देने की व्यवस्था भी की गई है। इस

अनैतिक व्यवस्था का क्या औचित्य है ? अगर सरकार के लिए संविधान के अनुसार राशि का भुगतान करना आवश्यक है, तो फिर इस लूट को रोकने के लिए संविधान में संशोधन करने से सरकार को कौन रोकता है ? जब संविधान में 46, 47 बार संशोधन किया जा सकता है, तो मुआवजे की अदायगी की नीति का परित्याग पर इजारेदारों पर चोट करने के लिए संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता ?

सरकार समाजवाद का नाम तो लेती है, पर वास्तव में इजारेदारों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचा रही है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थ-तंत्र पर उनका शिकंजा कायम है।

अभी हाल में प्रधान मन्त्री ने वित्त संकट के नाम पर सरकारी सेवाओं में भर्ती करने पर 9 महीनों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है। एक ओर आर्थिक क्षेत्र में अनुशासन को कसने की कोशिश की जा रही है और दूसरी ओर इस कम्पनी के मालिकों को इतनी भारी राशि दी जा रही है। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 1.57 करोड़ रुपए देने की बात कही है। इसका कारण यह है कि यह उनकी बुक वैल्यु आन दि टेक ओवर डेट है और बुक वैल्यु न देने से बड़ी कठिनाई होती है। मामला कोर्ट में जाता है और वहां कहा जाता है कि सरकार ने मुआवजा दिए बिना ले लिया। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है और क्या कठिनाई है। उस कठिनाई को हल करने के लिए उनको बुक वैल्यु पर 1.57 करोड़ रुपए और मैनेजमेंट लेने के कारण 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गई है। इस तरह के अधिग्रहण के बारे में जो भी बिल आते हैं, उन सबमें कानूनी कठिनाई से बचने के लिए यह प्रावधान किया जाता है।

मैं समझता हूं कि शास्त्री जी ने हल्के ढंग से कहा होगा कि हम समाजवाद की बात कहते हैं और इजारेदारों के हित में काम करते हैं। हम सिद्धान्त, नियमों, विचारों और कार्यक्रम में समाजवाद को मानते हैं। इसीलिए इस देश में प्राइवेट सैक्टर की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकाधिक विकास हो रहा है। माननीय सदस्य इस काम में सहयोग दें, अपनी शुभकामना दें। वह कोई अशुभ बात न कहें। जो हम कहते हैं, वही करते हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

15.55½

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद लेंगे । श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से श्री एस० एम० कृष्ण प्रस्ताव पेश करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम को कुछ उपबन्धों में संशोधन करना है ।

श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 148 (3) और 149 के अन्तर्गत नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और उसके कर्त्तव्य और शक्तियों का निर्धारण संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा किया जाना है । यह कानून 1971 में बनाया गया और जो वर्तमान विधेयक मैंने पेश किया है वह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा निवृत्ति लाभ से सम्बन्धित अधिनियम के कुछ धाराओं में परिवर्तन करने के बारे में है ।

श्रीमन्, 1971 से इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया । 1976 में अधिनियम में संशोधन मुख्यत: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को केन्द्रीय सरकार के विभागों के लेखों को संकलित करने के कार्य से मुक्त करने के बारे में किया गया था ।

परिस्थितियां अब बदल गई हैं और अधिनियम के उपबन्धों के परिचालन से प्राप्त अनुभव से, सरकार ने यह महसूस किया है कि इसमें कुछ और संशोधन किये जाएं ।

पहला संशोधन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पेन्शन से सम्बन्धित है । 1971 से सरकार के अधिकारियों और अन्य प्राधिकारितों को देय पेन्शन में वृद्धि होती रही है जबकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को देय पेन्शन वही है, जोकि 1971 में निश्चित की गई थी । इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि एक कार्यरत अधिकारी जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है वह पेन्शन के रूप में इसका अधिकारी होगा—(i) उस पेन्शन का हकदार होगा जिसका हकदार वह उस सेवा के नियमों के अधीन, जिसका वह अंग था, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में उसकी सेवा की ऐसी सेवा में पेन्शन के लिए गिनी जाने वाली अनुमोदित सेवा के रूप में संगणना करके हकदार हुआ होता; और

(ii) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत सात सौ रुपए प्रति वर्ष की विशेष पेन्शन का हकदार होगा । तथापि पेन्शन की संदेय रकमों का योग बीस

हजार चार सौ प्रति वर्ष की राशि से कदापि अधिक नहीं होगा, इसी प्रकार यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अगर एक सेवानिवृत अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह भी अपनी पूर्वतन सेवा पर लागू नियमों के अनुसार संदेय पेन्शन का हकदार होगा और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए सात सौ रुपए प्रतिवर्ष की विशेष पेन्शन का हकदार होगा। इस मामले में भी उसकी यह राशि 20,400 रु० प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावित विधान लागू होने के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद छोड़ने वाले व्यक्ति पर यह संशोधित उपबन्ध लागू होंगे। विधेयक में अधिनियम की धाराओं, जोकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, को बदलने की व्यवस्था है।

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किसी ऐसे निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करना अपेक्षित होगा जिसका वित्तपोषण भारत की या किसी राज्य की या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की, जिसमें विधानसभा है, संचित निधि में से काफी अनुदान या ऋण द्वारा किया जाता है।

16.00

स्पष्टीकरण के अनुसार अगर अनुदान या उधार 5 लाख रु० से कम नहीं है और यदि ये अनुदान या उधार की रकम उस निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है, वहां यह समझा जाएगा कि उस निकाय या प्राधिकरण का पर्याप्त वित्तपोषण ऐसे अनुदान या उधार से किया जाता है। क्योंकि सीमा के तहत कई एक संस्थानों की लेखापरीक्षा करनी होती है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि इस सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाए।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति, या राज्यपाल या प्रशासक के अनुमोदन से ऐसे निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकेगा, जिसे सरकार से एक वर्ष में एक करोड़ या उससे अधिक रुपए का अनुदान या उधार प्राप्त होता है, यद्यपि यह उस निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम हो।

लेखापरीक्षा में कुछ निरन्तरता बनाये रखने के लिए यह उपबन्ध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निकाय या प्राधिकरण, किसी वर्ष में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की परिधि के अन्तर्गत आ जाता है, वहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निकाय या प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की उत्तरवर्ती दो वर्षों तक भी लेखापरीक्षा करता रहेगा, भले ही ऐसा निकाय या प्राधिकरण का अनुदान या ऋण उन वर्षों में निर्धारित सीमा से कम हो।

इस अवसर द्वारा अधिनियम में यह उपबन्ध भी सम्मिलित किया गया है कि अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट सरकारी कम्पनियों या निगमों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यथा स्थिति, संसद या संबंधित राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।

यह एक सीधा तथा हानिरहित विधेयक है ।

इन शब्दों के साथ में मैं विधेयक पेश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सतीश अग्रवाल ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : शुरू में, मैं अपने प्रिय मित्र श्री एस० एम० कृष्ण को इस महत्वपूर्ण मंत्रालय -- वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री--का पद ग्रहण करने पर बधाई देता हूं । यह एक कठिन कार्य है । मैं कामना करता हूं कि वह अपने नये कार्य में सफल हों ।

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी टिप्पणियां रखूंगा । मैं उन उपायों का स्वागत करता हूं ।

जैसा कि आप सबको विदित है कि 1971 में नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की सेवा की शर्तें और शक्तियों का निर्धारण किया गया था । जहां तक इसका सम्बन्ध है 13 वर्षों बाद यह संशोधन लाया गया है । जैसा कि आपको विदित है खुद संविधान में नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के पद की व्यवस्था है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या चुनाव आयुक्त की तरह भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक भी एक संवैधानिक प्राधिकारी है । सरकार द्वारा भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को हर वर्ष पद त्यागने के पश्चात् 700 रुपये प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त पेंशन देने की बात जब स्वीकार कर ली गई है तो, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसके लिए 20,400 रुपये की सीमा क्यों रखी गई है। सारे विधेयक के प्रति मेरी आपत्ति यह है कि इस अधिनियम में जो यह अन्याय मौजूद था उसे अब सुधार दिया गया है और सरकार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 700 रुपये का अतिरिक्त पेंशन लाभ देने का प्रावधान कर रही है । इसके साथ ही यह परन्तुक क्यों जोड़ा गया है कि अधिकतम राशि 20,400 रुपये होगी । केवल यही तर्क दिया गया है कि कैबिनेट सचिव को अधिक-से-अधिक 20,400 रु० की पेंशन मिलती है । इस विशेष मामले में, मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि कैबिनेट सचिव और भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के परिलाभों में कोई समानता नहीं है । कैबिनेट सचिव एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी है । अगले कुछ समय में, जैसे तीन या चार वर्षों में यदि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन किया जाना हो तो बिना कानून में परिवर्तन किये ऐसा किया जा सकता है । लेकिन अगर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के सेवानिवृत लाभों में परिवर्तन करना होगा तो सरकार को पुनः संसद में कानून का संशोधन करना होगा । दूसरा मुद्दा यह है ।

इसके अलावा कैबिनेट सचिव को 3,500 रु० प्रतिमाह वेतन मिलता है, जबकि आजकल नियंत्रक महालेखापरीक्षक को 4,000 रु० प्रति माह वेतन मिलता है। यही नहीं, संविधान में भी, जहां तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संबंध है, उन्हें पुनः रोजगार की मनाही है। दूसरे, पुराने वेतनमान में, मगर मैं गलत नहीं हूं तो, 1971 में अखिल भारतीय सेवाओं में—सचिवों, कैबिनेट सचिव या स्टाफ के चीफ को 8,100 रुपये की पेंशन मिलती थी जबकि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 12,700 रुपये की पेंशन मिलती थी। 1971 में भी यह कमी या अन्तर पहले से ही विद्यमान था। कैबिनेट सचिव को 8,100 रु० मिलते थे, जबकि नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को 12,700 रु० मिलते थे। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार ने अब भी वही दर्जा क्यों नहीं रखा ? 20,400 रु० तक की ही सीमा क्यों ? अगर उन्हें 15,000 या 20,00 रु० या 22,000 रु० देना पड़ता है तो, उन्हें यह मिलना ही चाहिए। कुछ हजार रु०, इधर-उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। आप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पद और प्रतिष्ठा को कैबिनेट सचिव के बराबर क्यों लाना चाहते हैं, जबकि इसका क्षेत्राधिकार प्राधिकार कहीं अधिक है, विशेषकर जबकि इसकी संवैधानिक मंजूरी भी है। श्रीमन्, मुझे इस बात का खेद है। एक बात तो यह है।

इस विशेष परन्तुक द्वारा, जिसके अन्तर्गत 20,400 रु० की अधिकतम सीमा लगाई गई है, आप नियंत्रक-लेखापरीक्षक की प्रतिष्ठा, स्थिति, दर्जे और गरिमा को कम कर रहे हैं। इस विधेयक के प्रति मेरी यही आपत्ति है।

मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन जहां तक इन उपबंधों का संबंध है, आप सारे विश्व की नजरों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिष्ठा, स्थिति, दर्जे का पद बहुत गरिमा को कम कर रहे हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद बहुत गरिमा वाला है। केवल वही एकमात्र ऐसा प्राधिकारी होता है जो कि संसदीय समितियों से संबद्ध होता है। श्रीमन्, मैं लोक लेखा समिति का सदस्य रहा हूं और 1981-83 के दौरान इसका सभापति होने के नाते मैं जानता हूं कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संसदीय समितियों को क्या-क्या सहायता दी जाती है, चाहे यह लोक लेखा समिति हो या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति हो या प्राक्कलन समिति या अन्य समितियां हों। और इस विशेष पद और स्थिति पर उन्हें किसी अन्य का मार्गदर्शन नहीं मिलता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कभी भी इस बात से ग्रस्त नहीं होता कि वह एक सरकारी नौकर है क्योंकि वह सरकारी नौकर है ही नहीं, वह एक संवैधानिक प्राधिकारी है। वह समितियों को इस प्रकार से सलाह देता है कि समिति में हम लोग सरकारी लेखों का विश्लेषण करके देख लेते हैं कि कहां अपव्यय हुआ है, फिजूलखर्ची हुई है और सारे देश में विभिन्न सिविल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन कहां किया गया है। यह समितियां केवल नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहायता से ही कार्य कर पाती हैं सिविल कर्मचारी को कभी भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बराबर नहीं समझा जा सकता। वह सिविल कर्मचारी नहीं है। उन्हें कुछ उच्च स्थिति दी जानी चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वित्त मंत्रालय ने न्याय करने और इस विशेष स्थिति को बनाने के लिए

कुछ नहीं किया। मैं इस सभा में यह बात जोर देकर कह रहा हूं कि उन्होंने सिविल कर्मचारियों कैबिनेट सचिव के सामने घुटने टेक दिए हैं। आपने एक प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्रालय ने इस स्थिति के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा कि यह अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं जानता कि सिविल कर्मचारी स्तर पर मेरा तात्पर्य कैबिनेट सचिव से है—सारी स्थिति बदल दी गई और वित्त मंत्रालय महसूस करता है कि वे असहाय हैं। वित्त मंत्री और गृह मंत्री महसूस करते हैं कि वे असहाय हैं। शायद यह बात है कि इन दो मंत्रियों की कैबिनेट सचिव के सामने कोई बात नहीं चलती। वह इससे काफी छोटे हैं। ऐसा लगता है। अन्यथा इस अन्याय को दूर किया जाता। मंत्री को सभा में आश्वासन देना चाहिए कि उनके वरिष्ठ मंत्री इस विषय पर पुनः प्रधान मंत्री से बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के पद, प्रतिष्ठा और गरिमा का जो ह्रास हुआ है उसे सही किया जाए।

इसके अलावा, सरकार ने इस अवसर का प्रयोग धारा 19 को बदलने के लिए किया है। धारा 19 के अनुच्छेद 4 को संशोधित करते समय, यह प्रावधान किया गया है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन यथा सम्भव शीघ्र संसद तथा राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे, क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि 5-6 वर्षों के दौरान जो रिपोर्टें विभिन्न राज्य सरकारों को उनके महालेखाकारों ने दी हुई हैं, उन्हें अभी तक संबंधित राज्य विधान सभाओं में पेश नहीं किया गया है? विभिन्न राज्यों राज्य सरकारों को राज्यों के महालेखाकारों के कार्यों का मूल्यांकन करने से वंचित किया जाता है। क्योंकि इन रिपोर्टों को प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सभा पटलों पर नहीं रखा जाता, इस कारण से उन राज्यों की लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति अपना कार्य प्रभावकारी ढंग से नहीं कर सकती। क्या वह इस पहलू पर ध्यान देंगे और विभिन्न राज्यों को निदेश देंगे, समझाएंगे या दबाव डालेंगे कि जो प्रतिवेदन पिछले 5 या 6 वर्षों से पेश नहीं किए गए हैं उन्हें सभा पटल पर रखा जाये और क्या वह यह मामला भी विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठाएंगे कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को यथा शीघ्र सभा पटल पर रखा जाए। आपने एक उपबंध बनाया है 'यथा संभव शीघ्र'। इसका यह मतलब नहीं कि 5 या 6 वर्ष लग जायें।

यह एक अच्छी बात है कि जहां तक संसद का संबंध है, आप यथा शीघ्र परीक्षा की रिपोर्टें सभा पटल पर रख देते हैं, हालांकि यहां भी आप छोटी-सी भूल कर देते हैं। आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों संबंधी रिपोर्टें मिलीं। आपको अन्य विभागों संबंधी भी लेखा परीक्षा रिपोर्टें मिलीं। लेकिन आपने अभी तक इन प्रतिवेदनों को सभा पटल पर नहीं रखा। वे कुछ हफ्तों से नार्थ ब्लाक में पड़ी हुई हैं। आप इन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को क्यों दबाए हुए हैं? अगले सप्ताह हम बजट पर आम बहस करने जा रहे हैं। यह अच्छा होता, अगर लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रख दिया जाता 'यथा संभव' का अर्थ होता है, जैसे ही वित्त मंत्रालय को यह प्राप्त होगी।

आखिर में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का संगठन

हमारी प्रणालीका अनिवार्य अंग है। सभा को अच्छी प्रकार याद होगा कि 1 मार्च, 1921 को केन्द्रीय सरकार पहला नियमित बजट केन्द्रीय विधान मंडल में पेश किया गया था। उस समय कुल प्राप्तियां 118 करोड़ रुपये और कुल खर्च 128 करोड़ रु० था। 10 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। 1921 में तो उपनिवेषी अर्थव्यवस्था थी। 1947 के पश्चात्, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बदल गई। आज हमारा बजट 40,000 करोड़ का है। जहां तक प्राप्तियों का संबंध है, हमारे कर 23,000 करोड़ रुपये के हैं। इस पर परिवर्तन तथा सरकारी गतिविधियों में इतनी वृद्धि और सरकारी क्षेत्र उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या सरकार महसूस नहीं करती कि बहुत से अन्य संस्थान और संगठन जो कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में इस समय नहीं आते उन्हें भी इनके क्षेत्राधिकार में लाना चाहिए ?

उदाहरण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक लें। आज की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थिति क्या है ? सिवाय बैंकों के कार्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के, कोई संसदीय समिति बैंकों के खातों पर ध्यान नहीं दे सकती है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 3-4 वर्ष पहले कुछ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंककारी क्षेत्र का संबंध है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का उन पर कोई-अधिकार नहीं है। इसीलिए किसी भी संसदीय समिति का हमारे देश के बैंकों के कार्यकरण या उन द्वारा दुरुपयोग पर कोई नियन्त्रण नहीं हैं। बैंकों में कुल जमा राशि 65,000 से 70,000 करोड़ रुपये है। इस देश की कुल विकासात्मक गतिविधियां हमारे देश के बैंकों के राष्ट्रीयकरण या कुप्रबन्ध से संबंधित है। इसलिए, यह अत्यावश्क है कि राष्ट्रीयकृत बैंक-कारी क्षेत्र को संसदीय नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाये और यह तभी सम्भव होगा जब इसको नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाएं।

इसी प्रकार जीवन बीमा निगम का कुल कारोबार करीब 130 करोड़ का है। कितनी अधिक राशि है और फिर भी, जीवन बीमा निगम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई० एफ़० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० जैसे वित्तीय संस्थान जो इस देश के समग्र विकासात्मक या औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं, करोड़ों रुपये का उधार देते हैं, फिर भी कई एक ऋण वापस न होना, छल, डकैतियां, चोरियां और गोलमाल और अग्रिम देने में अनियमितताएं और कम प्रति-भूतियों के बदले अधिक ऋण देने की वारदातें होती रहती हैं। इन वित्तीय संस्थानों की संसदीय छानबीन नहीं होती है। इन महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के, जो हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, संसदीय नियंत्रण के क्षेत्राधिकार में क्यों नहीं लाया जाता ? यह तभी सम्भव है, जब आप इन्हें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाएं। जैसाकि मैंने संसद में बार-बार कहा है कि आजकल हमारे देश में, संसद द्वारा सरकारी खर्च की छानबीन नहीं के बराबर है।

सितम्बर, 1979 में लंदन में एक अध्ययन दल स्थापित किया गया था और हमारी संसद की ओर से अपने देश का नेतृत्व करने के लिए मुझे भेजा गया था। अध्ययन दल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि संसद द्वारा सरकारी खर्चों की जांच में बहुत सुधार की आवश्यकता है और सरकारी खर्च पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण के लिए हमें कुछ नए तरीके और साधन निकालने होंगे।

हमने अपनी संसदीय समितियों में देखा है कि सभा में विभिन्न दलों के संसद सदस्य, अपने दलगत भेदभाव को भूलकर एक होकर कार्य करते हैं, सहमति होती है। कोई विरोध नहीं होता। समितियों में संसद सदस्यों का सारा रवैया नौकरशाही बनाम लोकतन्त्रवादी का होता है। समितियों में, हम सब एक दल के रूप में कार्य करते हैं, अपने-अपने का सम्बन्धन छोड़ देते हैं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति जिसका अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति है, के प्रतिवेदन द्वारा कुओ तेल सौदे का मामला प्रकाश में लाया गया था। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि समिति में हम सब पूरे राष्ट्र का हित देखते हैं। इसीलिए, उस प्रतिवेदन को आगे लाना सम्भव था। अन्यथा वह प्रतिवेदन कभी प्रकाशित न हो पाता।

यही कारण है कि मैं सभा में यह दलील जोरदार तरीके से पेश कर रहा हूं कि विशेषकर वित्त मंत्रालय को अधिक समितियां बनाए जाने के संसद-सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए और सहमत होना चाहिए।

उदाहरणार्थ, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति है। सरकारी क्षेत्र में लगभग 30,000 करोड़ रु० का निवेश है लेकिन जितनी अधिक हमें उससे आय प्राप्त होनी चाहिए उतनी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। अब हमारे पास केवल एक समिति है। और केन्द्रीय क्षेत्र में 200 से अधिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। वर्तमान सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति मुश्किल से 10 उपक्रमों की जांच-पड़ताल कर पाती हैं। वर्तमान सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के परीक्षण से शेष उपक्रम बचे रह जाते हैं। जब तक हमारे पास दो या तीन सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समितियां नहीं होतीं तब तक हम कैसे 200 या उससे भी अधिक सरकारी उपक्रमों की जांच कर सकते हैं? यदि हमारे पास दो या दो से अधिक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समितियां होतीं तो हम उनके कार्यों का विभाजन कर सकते हैं और निर्माण करने वाली कम्पनियां, निर्माण न करने वाली कम्पनियों, जिन कम्पनियों में 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश हैं, जिन कम्पनियों में 100 करोड़ का पूंजी निवेश है, भारत सरकार का जिनमें व्यवसायिक पहलू है और जिनमें वाणिज्यिक पहलू—इन सभी के कार्यों की परीक्षा करने के लिए हम अलग-अलग समितियां बना सकते हैं। विभिन्न समितियों के बीच हम एक प्रकार का कार्य-विभाजन कर सकते हैं।

किन्तु इससे वित्त मंत्रालय का बहुत अधिक सरोकार है और जब मैंने या प्रो० एन० जी० रंगा ने और यहां तक कि जब माननीय अध्यक्ष ने भी अधिक समितियां बनाए जाने का सुझाव दिया तो वित्त मंत्रालय ने उसका विरोध किया। इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि उस

सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया गया जबकि हमारे देश में केरल में ऐसे विषयों से सम्बन्धित समितियां हैं और विदेश में यू० के०, आस्ट्रेलिया तथा अभी तीन-चार वर्ष पहले से कनाडा में भी ऐसी समितियां बनाई गई हैं ।

मैं सभा के सामने विनम्रता से यह तर्क प्रस्तुत करता हूं कि इस देश के प्रशासनिक मामलों पर अधिक नियन्त्रण रखने के लिए अधिक सांविधिक समितियां बनाए जाने के लिए हमको सरकार पर दबाव डालना चाहिए। यदि हम अधिक सांविधिक समितियां बनाते हैं और यदि हम नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक के कार्य क्षेत्र का वास्तव में विस्तार करते हैं, तभी लेखा-परीक्षण के द्वारा हम अधिक प्रभावी नियन्त्रण रख सकते हैं और देश में अपव्यय को रोक सकते हैं ?

इन सुझावों के साथ, मैं अपने माननीय मित्र श्री एस० एम० कृष्ण से कहूंगा कि वह इन मदों को वरिष्ठ मंत्री के समक्ष उठाने और इस बात का विचार किए बिना कि इस समय या कल कौन इस व्यय पर है नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक नियुक्ति तथा वर्तमान सम्बन्धी स्थिति अन्याय को दूर किया जाए, मैं आशा करता हूं कि श्री एस० एम० कृष्ण प्रधान मंत्री सचिवालय के सिविल कर्मचारियों पर जोर देकर अपनी बात मनवा सकेंगे और गलतियों को ठीक करेंगे ।

जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है । मैं आशा करता हूं कि आप उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही करेंगे ।

इन विचारों और टीका-टिप्पणियों के साथ मैं अधिकांश रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, इस बिल को सपोर्ट न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । श्री अग्रवाल जी ने इस बिल को बहुत एक्सप्लेन कर दिया है इसलिए मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कहूंगा ।

मैं इस बिल पर बोलते हुए एक नया प्रश्न उठाना चाहता हूं । हमारे बिहार में आडिटर्स ने बहुत यूजफुल काम किया है जिनके बारे में मैं एक घटना मन्त्री जी को बताना चाहता हूं । बिहार के सिक्योरिटी प्रेस में 9 लाख रुपये की मनोरंजन कर की जाली स्टाम्प छपीं । बिहार के आडिटरों ने ही इस बात का पता लगाया और रिपोर्ट बनाई । जब बिहार के अधिकारियों को इस बात का पता लगा कि 9 लाख रुपये की जाली स्टाम्प छपने का पता लग गया है तो आडिटरों को मुअत्तिल करने की धमकी दी जा रही है और उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि उस रिपोर्ट को रफा-दफा कर दिया जाए ।

मैं इस बात को सदन में कह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी बिहार में हुए इस गोल-माल के बारे में पता लगायें कि 9 लाख रुपये की जाली स्टाम्प वहां छपीं या नहीं छपीं । अब उन आडिटरों को जिन्होंने इस गोलमाल का पता लगाया उन्हें इस सही काम के बदले में मुअत्तिल किया जा रहा है या नहीं । सही काम के बदले में, उनको मुअत्तिल किये जाने के या धमकी दिये

जाने के बजाए पुरस्कृत किया जाता, उन पर यह कार्यवाही की जा रही है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आडिटर लोगों ने किस तरह से अच्छा काम किया है और उनको उस अच्छे काम के बदले में सजा दी जा रही है। आडिटरों ने जाली स्टाम्प छपने का पता लगाया है, वे बेगुनाह लोग हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, न कि उनको सजा दी जानी चाहिए। आप इसको देखें और इस पर कार्यवाही करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं यहां इसका विरोध करने की मंशा से खड़ा नहीं हुआ हूं। किन्तु कुछ संशोधन आवश्यक हैं। माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल इस विधेयक के बारे में बहुत अच्छा भाषण दे चुके हैं और अच्छे तर्क दे चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री उनके द्वारा उठाई गयी बातों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस बारे में मेरी भी यही राय है। जब आप नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के लिए 700 रुपया प्रतिवर्ष अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर 20,400 रु० प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा निश्चित करने की क्या आवश्यकता है ? यह शायद इसलिए किया गया है क्योंकि केबिनट सचिव को भी इतनी ही राशि दी जाती है। जब आप केबिनट सचिव से भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की तुलना करते हैं तो मैं पाता हूं कि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है क्योंकि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक वास्तव में एक सांविधानिक प्राधिकारी है जबकि केबिनट सचिव एक असैनिक कर्मचारी है। और इस मामले में आप एक असैनिक कर्मचारी की तुलना सांविधानिक प्राधिकारी से नहीं कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अन्याय कर रहे हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को वापिस लिया जाए और दूसरा विधेयक लाया जाए। मैं नहीं जानता कि इस मामले में माननीय मन्त्री क्या करने जा रहे हैं किन्तु उनसे मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह इस स्थिति को ठीक करें और सभा के सामने संशोधित विधेयक के साथ आएं।

जैसा श्री सतीश अग्रवाल कह चुके हैं, मैं भी दूसरी बात यही कहना चाहता हूं कि वर्ष 1971 में नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की पेंशन की सीमा केबिनट सचिव सहित केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों की तुलना में अधिक थी। उसके बाद, उसे इस तरह पर लाने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया, लगता है कि गलत काम किया जा रहा है और शायद पूरे वित्त मंत्रालय को विशेष स्थान से ऐसा आदेश दिया गया, जिसका विरोध करने का साहस कोई नहीं कर सकता। यदि यहां से कोई निदेश आता है तो पूरी सरकार के लिए उसके विरुद्ध जाना कठिन हो जाता है। किन्तु, यदि वह निदेश गलत हैं, तो निश्चित रूप से मन्त्री महोदय को वह मुद्दा उस मुख्य व्यक्ति के सामने उठाना चाहिए जिसने सारे मन्त्रिमंडल के लिए आतंक पैदा किया हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंक, जीवन बीमा निगम, भारत के औद्योगिक विकास बैंक और अन्य सभी वित्तीय संस्थाएं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में लायी जानी चाहिए ताकि उनकी उचित संवीक्षा की जा सके और जिसके बारे में हम कई बार अनुभव करते हैं कि सार्वजनिक धन का अपव्यय किया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है या

वहां किसी प्रकार का कुप्रबन्धन है—उसको नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उचित प्रकार से रोका जा सके।

जहां तक नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां समय की एक निर्दिष्ट सीमा होनी चाहिए और प्रतिवेदन प्राप्त होने के 3 महीनों के भीतर ही उसे संसद के सामने रखा जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री द्वारा ये संशोधन किए जायेंगे और उसके बाद हम इस विधेयक को पारित करेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। औचित्य यह मांग करता है कि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की हैसियत अन्य असैनिक कर्मचारियों से अधिक होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वेतन से किसी स्वतन्त्र, सांविधिक प्राधिकारी अथवा सांविधानिक प्राधिकारी की हैसियत को जोड़ा जाए। संविधान के अनुसार वेतन के अलावा उसकी अपनी एक स्थिति है किन्तु औचित्य यह अपेक्षा करता है कि उसकी कुछ हैसियत होनी चाहिए है कि जब कोई व्यक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करने के पश्चात नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक बनता है उस व्यक्ति की सीधी भर्ती नहीं की जाती और न ही राजनीतिज्ञ की इस पद पर नियुक्ति की जाती है। अतः यह कोई बहुत सशक्त बिन्दु नहीं है किन्तु औचित्य के लिए यह आवश्यक है कि उसकी हैसियत अन्य प्राधिकारियों से ऊंची होनी चाहिए। किन्तु यह कोई पूर्व शर्त नहीं है। मुख्य बात यह है कि न केवल नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की हैसियत ऊंची होनी चाहिए वरन् उस संगठन का भी विस्तार किया जाना चाहिए और विस्तार की आवश्यकता इसलिए है कि सरकार की गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है, विभागों का विस्तार हो रहा है। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के संगठन का भी विस्तार होना चाहिए और मैं यह नहीं सोचता कि—राज्यों में महालेखाकार के अधिकारियों सहित यह उसी अनुपात में हो रहा है।

अनियमितताओं को नियन्त्रित करने के लिए जल्दी लेखा-परीक्षा होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस पहलू को भी दृष्टि में रखना चाहिए, इस विधेयक को पारित करते समय, तुरन्त नहीं, यह कोई पूर्व-शर्त नहीं है किन्तु इस पहलू पर भी महालेखापरीक्षक द्वारा ध्यान देना होगा तथा न केवल अधीनस्थ कर्मचारी वरन् अधिकारियों की भी संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर ध्यान देना होगा ताकि और अधिक गहराई से वे परीक्षा करें और जितनी अधिक गहराई से वे परीक्षा करेंगे, उतना ही अधिक लाभदायक है।

श्री अग्रवाल द्वारा दिए गए सुझाव का भी मैं समर्थन करता हूं कि नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों की संसद द्वारा संवीक्षा की जाये तथा खर्चों के ऊपर संसद का जितना नियंत्रण सम्भव हो, होना चाहिए और यह केवल तभी सम्भव है जब हम सभा द्वारा नियुक्त की जाने वाली समितियों की संख्या में वृद्धि कर दें क्योंकि वित्तीय नियन्त्रण केवल विधेयक पारित करके और उस पर चर्चा करके सुनिश्चित नहीं किया जा सकता वरन् इसके लिए हम वास्तव में किये जा रहे व्यय

की जांच करने में समर्थ होना होगा ताकि यह पता चल सके कि व्यय किस प्रकार किया जा रहा है कहां-कहां कमियां हैं और क्या व्यवस्था में ही कुछ कमियां हैं, आदि-आदि । जैसा कि बताया गया कि सरकारी क्षेत्र के संगठनों और अन्य संगठनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा अन्य विभिन्न बातों पर होने वाला व्यय भी बढ़ रहा है और मैं सोचता हूं कि इस दिशा में सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति न्याय कर पाने में सक्षम नहीं है ।

कुछ विभागों की सम्पूर्ण संवीक्षा किया जानी आवश्यक है । उदाहरणार्थ, रेलवे द्वारा किए जाने वाले व्यय पर निगरानी रखना आवश्यक है । रक्षा विभाग में भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है, यद्यपि आप कुछ बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते हैं, फिर भी जब आप लेखा-परीक्षा करेंगे तो पायेंगे कि वहां उन लोगों ने कुछ ऐसा अपव्यय भी किया है, जिससे बचा जा सकता था । यह एक पहलू है, जो दिमाग में रखना चाहिए । और किसी को उनकी पूरी परीक्षा करनी होगी । यह परीक्षा विशेषज्ञों की समिति द्वारा और महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए । और संसद की ओर भी, हमको इन मामलों की परीक्षा करनी चाहिए और हमको देखना चाहिए कि अन्य देश किस प्रकार से यह काम कर रहे हैं । इन देशों के विचार जानकर, संसद या जो भी उपयुक्त निकाय हों, को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए । तब इन पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए । व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है किन्तु संवीक्षा की गति मंद है । यही मेरा अनुभव है । मैं जैसे संसद से जुड़ा हुआ है उसी तरह राज्य विधान मण्डलों से भी जुड़ा हुआ था । संसद में मेरा यह पहला कार्यकाल है । यहां मेरा अनुभव यह बताता है कि व्यय की संवीक्षा उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए ।

इन सुझावों और टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है उसी रूप में हमें इस विधेयक को पारित करना चाहिए । इसी के साथ-साथ हमने माननीय मंत्री को कुछ सुझाव भी दिए हैं ताकि वह उन पर विचार कर सकें और आगे उन बातों पर चर्चा करें तथा इसके बाद उस बारे में कोई कार्यवाही करें ।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय : श्री कृष्ण ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इससे पहले कि वह बोलना आरम्भ करें, मैं कहना चाहता हूं कि सभा के दोनों पक्षों द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार द्वारा यह एक प्रगतिशील पग उठाया गया है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह श्री सतीश अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें । लगभग 60,000 करोड़ रु० बैंकों के माध्यम से और लगभग 30,000 करोड़ रु० जीवन बीमा निगम के माध्यम से जारी किए गए हैं । किन्तु इतनी बड़ी राशि किस प्रकार खर्च की जा रही है । इसको देखना संसद के क्षेत्राधिकार में नहीं है । यह बहुत गम्भीर बात है । चर्चा के लिए हम बोल सकते हैं । सरकारी पक्ष की ओर से इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । (**व्यवधान**) कम से कम माननीय मंत्री को इस सभा में उठाए गए

मुद्दों का उत्तर देना चाहिए और उन्हें सतीश अग्रवाल द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। श्रीमन्, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।

सभापति महोदय। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : सभापति महोदय, इस विधेयक पर अधिकारपूर्वक बोलने के लिए मैं श्री अग्रवाल को धन्यवाद देता हूं। यह अधिकार उन्हें इस बात से मिला था कि वह कुछ समय इस देश के वित्तीय प्रबन्ध से सम्बद्ध रहे थे। उनके समान प्रतिष्ठित सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया जाना आवश्यक है तथा उन्होंने जो बहुत रचनात्मक और विचारशील सुझाव दिए हैं उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि संविधान में नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के पद को एक विशेष स्थान दिया गया है जो कि सरकार के अन्य असैनिक कर्मचारियों की तुलना में सर्वथा भिन्न है तथा शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में विधेयक लाना आवश्यक था। नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यों और कर्त्तव्यों को विनियमित करने के क्रम में यह आवश्यक है। अब, हम भी यह अनुभव करते हैं कि नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के पद को बहुत आदर तथा विशेष स्थान देना होगा। नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के पद से निवृत्त होने वाले व्यक्ति के पेंशन के लाभों में पहले कुछ त्रुटियां रह गई थीं और इस विधेयक द्वारा इन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है। किन्तु यह वाद-विवाद का विषय है कि क्या आर्थिक आधार किसी विशेष पद के महत्व में वृद्धि करते हैं या किसी विशेष पद के महत्व को कम करते हैं यहां विचारों में मतभेद हो सकता है और जैसा कि हमारे प्रतिष्ठित मित्र श्री डोगरा ने बताया है कि किसी विशेष पद के महत्व को आंकने के लिए वित्तीय परिलब्धियां ही केवल आवश्यक मानदंड नहीं है और शायद इसी भावना से यह संशोधन लाया गया है।

जहां तक, इन प्रतिवेदनों को संसद तथा विधानमंडलों में शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में श्री सतीश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किए विचार का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि यह बात सच है कि कुछ राज्य विधानमंडलों में प्रतिवेदन विलम्ब से रखे जाते हैं, शायद हम भी इस बारे में प्रश्न पूछना चाहेंगे कि प्रतिवेदन जल्दी प्रस्तुत किए जा रहे है या नहीं, किन्तु यह इस बात पर भी निर्भर है कि विधानमंडल स्वयं इस बारे में, अपने अधिकार का दावा करने में कितना सतर्क है। हम उन पर इस बात का दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिवेदनों को भी सही समय पर रखा जाए।

(व्यवधान)

श्री अग्रवाल ने दूसरी बात यह कही कि संसद की विभिन्न समितियां अच्छा कार्य कर रही हैं और नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर समितियों के कार्य को और अधिक सार्थक और उत्पादक बना रहा है तथा सरकार की यह इच्छा है कि वे इस कार्य को आगे भी करते रहें।

बैंकों और जीवन बीमा निगम को नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के माध्यम से संसदीय नियन्त्रण में लाने के बारे में भी श्री सतीश अग्रवाल ने दो विशिष्ट बातें कहीं हैं। किन्तु मैं सभा के सामने निवेदन करूंगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण—जिसको एक विधान के द्वारा इस संसद ने स्वीकृत किया है --उस विधान में जांच-पड़ताल और प्रति जांच-पड़ताल, लेखापरीक्षा और अन्य बातों के लिए विशेष उपबन्ध है।

सरकार अनुभव करती है कि नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यभार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः ऐसा कोई भी सुझाव, जिससे नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक का कार्य भार और अधिक बढ़ जाएगा, उस पर सतर्कता के साथ विचार करना होगा। मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे रहा हूं फिर भी माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मैं यह बात भी इसमें जोड़ दूं कि जब जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसके लिए भी लेखा-परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। अतः यह कहना उचित नहीं है कि बैंकों के कार्यों अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखाओं की जांच करने पर संसद का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस देश की सर्वोच्च विधायिका होने के नाते संसद जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों जो कि सरकार के ही अंग हैं, के मामलों में निर्णायक भूमिका निभाती है।

श्री मधुकर ने बिहार सिक्यूरिटी प्रेस के बारे में बताया। मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री हरिकेश बहादुर ने लगभग उन्हीं सुझावों पर पुनः बल दिया जो श्री सतीश अग्रवाल ने दिए हैं। जम्मू-कश्मीर के हमारे मित्र ने भी पहले दिए जा चुके सुझावों को ही अपने तरीके से पेश किया है।

भाषण समाप्त करने से पहले, मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं कि सरकार नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के पद के प्रति बहुत आदर रखती है। इस पद को संविधान जो विशेष महत्व देती है, उसे हम अनुभव करते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं अपने वक्तव्य को पढ़ने के पहले आप तमाम लोगों से क्षमा मांग लेता हूं अगर मेरी बात पसन्द न आये तो मुझे क्षमा कर दीजिए । लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात को यहां उठाना आवश्यक है ।

नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें संशोधन) विधेयक, 1984 के क्रम में मैं केवल एक सवाल सरकार के सामने विचार एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए सदन के सामने पेश करना चाहता हूं ।

संसद की 5 महत्वपूर्ण समितियां तथा कुछ अन्य समितियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं जिनसे सरकारी कार्यों में बहुत मदद मिलती है एवं सरकार के मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और कम्पनियों के कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलती है । संसद की वे समितियां इस प्रकार हैं :—

1. लोक लेखा समिति ।

2. पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी (सार्वजनिक उपक्रम समिति) ।

3. एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) ।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति, और

5. संसदीय राजभाषा समिति आदि और,

छोटी-छोटी कमेटियां । इनमें उपरोक्त प्रमुख पांच हैं ।

संसद के सत्रों के बाद ये पांचों समितियां अपने कार्यों के सिलसिले में देश के विभिन्न भागों का दौरा करती हैं । जिन कार्यालयों कम्पनियों, सार्वजनिक संस्थानों के कार्यकलापों की जांच के लिए ये समितियां जाती हैं, वहां से इनके सदस्यों और स्टाफ के लोगों को कीमती वस्तुएं भेंट की जाती हैं । ऐसा किस हिसाब से किया जाता है और किस फण्ड से किया जाता है ?

सन् 1974 में मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी का सदस्य था । उस समय इंडियन आयल

कार्पोरेशन की ओर से कमेटी के प्रत्येक सदस्य एवं स्टाफ के लोगों को भेंट में कीमती टेबल घड़ी और कीमती टेबल लैम्प दिए गए। मैंने दोनों वस्तुओं का एक पैकेट बनाकर उस समय के पेट्रोलियम मंत्री श्री डी० के० बरुआ के पास विरोध पत्र के साथ वापिस कर दिया। साथ ही मैंने उस प्रकार की कीमती भेंटों का विरोध करते हुए प्रधान मंत्री और महालेखापरीक्षक के पास पत्र लिख कर इस बात की मांग की कि किस कोष से इस प्रकार की भेंट दी जाती है ?

इस बात का प्रकाशन उस समय अखबारों में बहुत मोटे हरफों में किया गया, किन्तु दुःख है कि महालेखापरीक्षक की ओर से कोई जबाव नहीं मिला परन्तु इसका परिणाम यह जरूर निकला कि इस प्रकार की भेंट देने की प्रथा बन्द कर दी गई।

सभापति महोदय : यह कोई प्रथा नहीं थी, एक उदाहरण हो गया।

श्री रामावतार शास्त्री : सबको देते हैं। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता गवर्नमेंट के राज्य में भेंट देने की यह प्रथा पुनः जारी कर दी गई, जो आज तक जारी है।

1980 के चुनाव के बाद मैं प्रधान मंत्री को कीमती वस्तुएं देने के विरोध में दो पत्र लिख चुका हूं, परन्तु भेंट देने का सिलसिला जारी है जो कि उन्होंने जवाब में यह अवश्य कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

कमेटी के सदस्यों के नाम पर मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों की ओर से पंच-सितारा होटलों में भोज आयोजित किए जाते हैं जिनमें संसद सदस्य तो बहुत कम होते हैं, सरकारी अधिकारियों की बड़ी पलटन भोजों में शामिल रहती है। इस प्रकार लाखों-करोड़ों रुपये का अपव्यय होता है।

जब श्री ज्योतिर्मय बसु लोक-लेखा समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भोज के सिलसिले को बन्द कर दिया था। महालेखापरीक्षक को इन बातों का जायजा लेना चाहिए ताकि सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोका जा सके। अगर यह अधिकार उन्हें प्राप्त है, तब तो ठीक है, अगर प्राप्त नहीं है तो यह अधिकार उन्हें देना चाहिए और उन्हें इस अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह एक अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : 1981-82 और 1982-83 के दौरान मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य था। मैंने सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों का दौरा किया था। दुर्भाग्यवश, मुझे एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कैलेन्डरों जो हमें वैसे भी संसद सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं—के सिवाय अन्य कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ था। जब हम 'मैसूर संदल फैक्ट्री' गए थे तो उन्होंने हमें कुछ संदल साबुन दिए, जो मात्र एक रस्म है। किन्तु श्री रामावतार शास्त्री जी ने जिस भावना से बात कही, और शास्त्री जी को संसदीय जीवन का जितना अच्छा अनुभव है, मैं उनसे

पूरी तरह सहमत हूं। यह भी उन्होंने ठीक ही कहा है कि वह यह बात प्रधान मंत्री के ध्यान में लाए थे और प्रधान मंत्री ने भी स्वयं इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी। यदि कुछ कम्पनियां संसद-सदस्यों पर प्रभाव डालने या प्रभावित करने का प्रयास करती हैं, तो वे गलती करती हैं। हमारे संसद सदस्य भोले-भाले नहीं हैं कि वे छोटे-छोटे उपहारों से प्रभावित हो जाएंगे और यदि वहां अक्षमता हैं तो भी वे उसके बारे में प्रशंसा कर देंगे। किन्तु, मैं शास्त्री जी की भावना से पूर्णतया सहमत हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : राजभाषा समिति की तीन उप-समितियां हैं। समिति के जो सदस्य बैंकों का दौरा करते हैं, उन्हें बैंकों द्वारा मूल्यवान उपहार दिए जा रहे हैं। यद्यपि मैं उस उप-समिति का सदस्य नहीं हूं। फिर भी, मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात जानता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह अधिक उपयुक्त होगा कि यदि आप इस भाषण की एक प्रति माननीय अध्यक्ष को दे दें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष उपहारों के बारे में विभिन्न समितियों और अध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं।

मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं लोक लेखा समिति का सभापति था तो हमने निर्णय लिया था कि समिति के किसी भी सदस्य को न तो बहुमूल्य उपहार स्वीकार करना चाहिए और न ही कोई उपहार देना चाहिए। निःसंदेह हमें भी कलेंडर, डायरियां कुछ छोटे बॉलपेन आदि मिलते रहे हैं लेकिन तब हम इस बारे में बहुत सतर्क रहते थे। लेकिन ऐसा होता है। यह सत्य है कि ऐसा होता है और इस सम्बन्ध में कुछ करना ही होगा। इस मामले में कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदय ही ले सकते हैं। अतः आप उनका ध्यान इस ओर दिलाइये अथवा माननीय अध्यक्ष को उनके निदेशों के लिए श्री शास्त्री के भाषण की एक प्रति भेजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने घड़ी और दूसरी चीजें वापिस कर दीं। इसके लिए आप उन्हें बधाई तो दीजिए।

सभापति महोदय : मैं अपने मन से उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं समझता हूं कि हम सब इसका अनुकरण करेंगे।

प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 3 और 4 पर एक साथ चर्चा करेगी जिसके लिए 1½ घंटे का समय दिया गया है। प्रो० सोज सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे तथा वक्तव्य भी देंगे।

16.54

इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चर्सर लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी, 1984 को प्रख्यापित इन्चेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 4) का निरनुमोदन करती है।"

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं संस्था के समाजवादी ढांचे का प्रबल समर्थक हूं और मैं राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं। लेकिन मैंने यह संकल्प केवल सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के किए प्रस्तुत किया है कि सरकार ये कार्य, ये उपाय बड़ी लापरवाही से करती है। अब आप देख सकते हैं कि इन्चेक टायर्स लिमिटेड तथा नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड दोनों ही इकाइयां कई वर्षों से रुग्ण हैं। और सरकार इन दोनों कम्पनियों को पहले से ही अपने हाथ में ले चुकी थीं और ये कम्पनियां पिछले 6 वर्षों से सरकार के अधीन काम कर रही हैं। और इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है कि राष्ट्रीयकरण का सुझाव देने वाले प्रस्ताव, अध्यादेश में विलम्ब क्यों किया गया है। आप देख सकते हैं कि सरकार ये उपाय तभी करती है जब बहुत होहल्ला हो, हड़तालें हों, और श्रमिकों की सुरक्षा न हो और अनिश्चितता का वातावरण हो, मैं नहीं जानता कि क्या पहले से उनकी ऐसी योजना होती है कि वे चिल्लाएं, हड़तालें करें और फिर सरकार इस ओर ध्यान देगी।

1972 में इण्डियन नेशनल केमिकल वर्कर्स फैडरेशन ने दोनों कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी और तब से 11 वर्ष से अधिक समय हो गया है जबकि श्रमिकों ने अर्थात कर्मकारों की प्रतिनिधित्व संस्था-संघ ने सरकार से इनके राष्ट्रीयकरण का अनुरोध किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अंतिम रूप से सरकार ने यह अध्यादेश प्रस्तुत किया है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि सरकार ये कार्य बड़ी लापरवाही से करती है, सरकारी नीति में संबद्धता नहीं है। 14 फरवरी को सरकार ने अध्यादेश जारी किया और उस समय मंत्री महोदय ने सुझाव दिया था कि संसद की बैठक नहीं हो रही है। अध्यादेश में कहा गया हैं :—

"और जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तथा राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हैं कि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें उनके लिए शीघ्र कार्यवाही करना आवश्यक है।"

यह 14 फरवरी को हुआ है और संसद की बैठक 23 को शुरू होने वाली थी। अतः इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी और शीघ्र ही कुछ समय पश्चात् यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार अपनी नीति में सुधार लाना ही नहीं चाहती।

जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है, मेरा उसमें कुछ मतभेद नहीं है लेकिन एक दो सुझाव ऐसे दिए गए जो बहुत अच्छे हैं। एक कदम यह उठाया गया कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत सभी कर्मकारों को सरकारी कर्मचारी माना जायेगा। यह बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है। दूसरा यह है कि मुआवजे से सम्बन्धित सिद्धांत भी सराहनीय है तथा एक विस्तृत प्रक्रिया का भी सुझाव दिया गया है। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कर्मचारियों की देय राशि के भुगतान को प्राथमिकता दी जायेगी, मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय मौखिक रूप से चाहे कह दें लेकिन अध्यादेश तथा विधेयक में, जो बाद में पता चलेगा, स्पष्ट रूप से इसका जिक्र नहीं किया गया है तथा जिस प्रक्रिया का सुझाव दिया गया, मैं समझता हूं कि यह बहुत सराहनीय है कि मुआवजा दिया जायेगा और आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी। लेकिन धारा 21 के उपखण्ड (3) और (4) से पता चलता है कि आयुक्त मुआवजे को सम्बन्ध में मनमानी कर सकता है। मैं आपका ध्यान धारा 21 के उपखंड (3) की ओर दिलाता हूं। इसमें कहा गया है :—

"(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिदिष्ट अवधि के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरण से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(4) आयुक्त, ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात् जो उसकी राय में आवश्यक हो और कम्पनी को दावे का खंडन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, दावे को लिखित रूप में पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करेगा।"

17.00

आयुक्त को इन दावों को प्राप्त करना होगा तथा उसके बाद वह उनका विज्ञापन करेगा। लेकिन जब वह कुछ अखबारों में विज्ञापन देता है तो इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इन दावेदारों को रजिस्ट्रीपत्र या पत्र सीधे आयुक्त से प्राप्त होंगे। उसका उपबन्ध होना चाहिए। अन्यथा यह लाल-फीताशाही की भांति है, जिससे लोगों को कठिनाई हो सकती। दावेदारों की संख्या 100 या 200 हो सकती है। उन्हें उनके पतों पर पत्र लिखना बड़ी बात नहीं है। वह कितनी अवधि में दावों का निर्णय करेगा, इसका जिक्र नहीं किया गया है। अतः आयुक्त शक्तिशाली बन जाता है और उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है और वह अपनी मनमानी कर सकता है, खंड 4 में, जबकि वह एक कम्पनी को अवसर देता है तो उसका दावेदार एक व्यक्ति हो सकता है। अतः इसमें सम्बन्धित कम्पनी या व्यक्तिगत दावेदार का उल्लेख होना चाहिए। दावों के निपटाने की एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए।

मुआवजा देने, कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी मानने सम्बन्धी अन्य खंड भी

बहुत सराहनीय है। लेकिन मुझे यह शिकायत थी कि सरकार ये कदम बड़ी लापरवाही से उठा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टायरों, ट्यूबों और रबर के अन्य माल का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन के लिए इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैंयुफैक्चरर्स लिमिटेड के उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि टायरों, ट्यूबों और रबर के अन्य माल का, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण जारी रखना सुनिश्चित करके, जनसाधारण के हित साधन से लिए इन्चेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड उपक्रमों का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमैन साहब, जो बिल इस हाउस में लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे कोलीग ने कहा है कि गवर्नमेंट ने 6 वास तक इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। इसका ताल्लुक खास तौसे मेरी कांस्टीटुएन्सी से है। वहां से कितने ही ऐप्रेजेंटेशन्स दिए गए, कितने ही डेपुटेशन आए, प्राइम मिनिस्टर तक आए लेकिन सभी जगह यही कह दिया गया कि कंसिडर कर रहे हैं। 6 हजार लोग और उनकी फेमिलीज का सवाल था। मुझे यही कहना है कि डिले करने की क्या जरूरत थी ? एकाएक आपकी नींद खुली और आप आर्डिनेन्स ले आए चूंकि पार्लमेंट नहीं चल रही थी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपके केरिप्रेजेन्टेटिव्ज बैठे और एग्रीमेन्ट हो गया कि अब कारखाना खुलेगा लेकिन वह एग्रीमेन्ट भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यह भी डेफनिट नहीं है कि वह कब तक इम्प्लीमेन्ट होगा। कहते थे कि जब नेशनलाइजेशन होगा, तब इम्पलीमेंट होगा। फिर छः हजार मजदूर अनसरटेंटिटी की जिन्दगी बसर करने लगे। अब आपका यह आर्डिनस आया है, जिसकी वजह से आप यहां पर बिल लेकर आए हैं। यह आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता था कि इन्डस्ट्री मिनिस्टर, श्री तिवारी जी, भी यहां पर उपस्थित होते। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कारखाने बन्द हैं और लाक आउट हैं। लाक-आउट ही नहीं क्लोजर किए हैं और बैंकों ने लिक्विडेशन कर दिया। ऐसी हालत में हजारों मजदूर वहां पर बेकार बैठे हुए हैं, अनिश्चित समय के लिए। पता नहीं उनका क्या होगा। सरकार अपना कोई निर्णय नहीं देती है और न ही राज्य सरकार उसमें इन्टरविन करती हैं। लोग जलूस लेकर उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। मैंने भी चिट्ठी लिखी थी, उसका भी कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा बर्ताव मजदूरों के साथ क्यों किया जाता है ?

मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से मिले, छः महीने पहले, कि क्या होगा, वे भी कोई जवाब नहीं दे सके और कहा कि अच्छा देखा जाएगा। कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी रिप्रजेंटेशन दिए गए उन सबको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जवाब मिला है कि उसको लिक्विडेशन में कर दिया। 900 आदमी बेकार पड़े हुए हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री का फंक्शन हैं। जो इतनी प्रामपट होकर इतने दिनों तक परेशान करने के बाद अब यह बिल लेकर आए हैं, जिसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री को अपनाइस प्रकार का एटीचूड बदलना चाहिए। यह मजदूरों के साथ तमाशा करने का सवाल नहीं है, जब चाहा बन्द कर दिया और जब चाहा खोल दिया। मैनेजमेंट और आई० आर० सी० की गलितियों की वजह से इस प्रकार के काम होते हैं। मजदूरों ने सैक्रिफाइस किया है, जो बोर्ड बना है, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट है, उसको कैन्सिल करना होगा। दूसरे टीटागढ़ में आठ-दस हजार मजदूर ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनकी ओर ध्यान देना होगा। उनको चिट्ठी लिखी जाती है, उसको कोई जवाब नहीं आता है। कहा जाता है कि कम्पनी के ड्यूज बहुत हैं, जिसकी वजह से कम्पनी नहीं चल सकती है, इसलिए उसको बन्द कर दिया। कहा जाता है कि सैंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर बात करिए। मेरी कान्स्टीचूयेंसी में बिन्नी मिल्स आई० आर० सी० नहीं चला रही है। उसको बैंक चला रहा है। वह भी सिक इंडस्ट्री है, लेकिन अभी तक इस मिनिस्ट्री का कोई फैसला नहीं हुआ है।

मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। काननुर में जे० के० रेयन है। मालिकों ने वहां मजदूरों से कहा कि 50 परसेन्ट तनख्वाहें कम करो, अगर इस बात पर राजी हो तो कारखाना खोलेंगे क्योंकि कम्पनी को मुनाफा नहीं होता है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई इन्टरवेंशन अभी तक नहीं हुआ है। यहां 9 हजार मजदूर बेकार पड़े हैं। इस बात का जवाब भी आपको देना चाहिए।

आपके अन्दर एक नई आदत शुरू हो गई है—जब किसी कारखाने को लेते हैं और उसमें नुकसान होता है तो बैंकों से कर्जा ले लेते हैं। उसके बाद बैंक से वह देते हैं कि तुम लिविवडेशन की दरख्वास्त करो और इस तरह से वह कारखाना बन्द हो जाता है। मिनिस्ट्री से पूछते हैं तो वह कहते हैं—हम क्या करें, बैंक ने लिक्विडेशन की कार्यवाही की है। तीन-चार महीने पहले ही ऐसा एक कारखाने में हुआ है—हमने उसकी पैटीशन यहां पार्लियामेंट में दी हुई है। आपका यह एटीचूड बिलकुल गलत है। क्या यही आपकी इण्डस्ट्रीयल पालिसी है ? बामर लारी कम्पनी है जो सरकार की है—उसके लिए एन्कवायरी कराई गई और मालूम हुआ कि वह इकानामिकली वायाबिल हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया और अब मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने उसको डी नोटिफाई कर दिया है। अगर आपकी मिनिस्ट्री का यही एटीचूट है तो इन्चेक-रबड़ का भी यही हाल होगा। यहां के अफसरों और वर्कर्स ने मिलकर फैसला किया है और आपसे अपील की है कि जब आप इस कारखाने को नैशनलाइज करने जा रहें हैं तो हम आपके साथ कोआपरेट करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाकर दिखायेंगे। उन्होंने हमारे समर मुखर्जी साहब के पास चिट्ठी भेजी है जिसमें

कहा है कि इस काम के लिए सरकार हमारा कोआपरेशन ले, जो बोर्ड बनाया जाय उसमें हमारे नुमाइन्दे को लिया जाय, इस काम में हमारी राय ली जाय जिससे कारखाने का प्रोडक्शन बढ़ सके। लेकिन अफसोस यह है कि आपकी अब तक की प्रेक्टिस कुछ दूसरी है। आपकी प्रेक्टिस यह रही है कि जिस कारखाने को टेक-ओवर किया उसमें ऐसे आदमी को भेज दिया जो टैकनीकल-हैण्ड नहीं है, जो वहां जाकर दल-बाजी शुरू कर देते हैं, जिससे प्रोडक्शन नहीं होती है। वर्कर्स को कहा जाता है कि अब गवर्नमेन्ट ने ले लिया है—इसलिए आपको डिस्प्लिण्ड होना होगा। इस तरह के एटीचूड से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती है। आपको यहां पर एशोरेंस देना चाहिए कि आप उनका कोआपरेशन हासिल करेंगे और जो बोर्ड बनेगा उसमें उनके नुमाइन्दे को लिया जाएगा ताकि उसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन हो सके। इन्चैक रबड़ के वर्कर्स ने आज तक बहुत सफर किया है। यह कारखाना मेरी कांस्टीचूएन्सी में है। मैं देखूंगा कि आप उनसे कैसा कोआपरेशन लेते हैं—इसलिए इस बात को यहां मेंशन कर रहा हूं। अगर आप उनसे कोआपरेशन लेंगे तो उनका 100 परसेन्ट कोआपरेशन आपको मिलेगा। उनकी चिट्ठी हमारे पास है, उसको यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर यही कहना चाहता हूं—आपने इसको नैशनलाइज किया है, इसके लिए तिवारी जी को बहुत धन्यवाद। हमारे तिवारी जी इतने सीधे आदमी हैं कि वे सबके लिए हां कह देते हैं, लेकिन करते उल्टा हैं। उनकी यह आदत मैम्बर आफ पार्लियामेंन्ट के साथ है, यहां तक कि कलकत्ता जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी मिसलीड करके आते हैं। हो, यह जरूर हो जाएगा लेकिन आखिर में वह लिक्वीडेशन में चली गई। यह तरीका इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री को बदलना होगा। बड़ी-बड़ी बातें हम लोग करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है।

अभी आडीटर जनरल के बारे में जो बिल आया, वह अभी पास किया है और हमने कहा कि पब्लिक फाइनेन्सेज पर कुछ कन्ट्रोल होना चाहिए, एल० आई० सी० और बैंकों पर कन्ट्रोल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब कहीं जाकर कुछ हिन्दुस्तान में हो सकता है और पार्लियामेंट का कुछ कन्ट्रोल हो सकता है। मैं आपको एल० आई० सी० की एक मिसाल देता हूं। कलकत्ता में रीज होटल के लिए एल० आई० सी० से एक आदमी को पैसा दिया गया और कई लाख रुपया खर्च करके स्मगलर से दोस्ती करके वह आदमी भाग गया। वह होटल अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। उसकी बिल्डिंग पर लाखों रुपया खर्च हुआ है लेकिन एल० आई० सी० पर आडीटर जनरल का अगर कोई कन्ट्रोल होता है, तो वह उससे पूछता कि इस पैसे का क्या हुआ है और उस आदमी का क्या हुआ जिसने पैसा लिया था। वह एक बहुत नामी आदमी है। अब सब वर्कर्स ऐसे ही बैठे हैं और बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है औरसरकार का लाखों रुपया उसमें डूब गया है। इस तरह के पब्लिक फाइनेन्सेज पर कन्ट्रोल न होने से कुछ नहीं हो सका है। इस चीज को आप कैसे बदलेंगे।

जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम बहुत सी बातें सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए यह कर रही हैं और वह कर रही है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन जो विग मोनोपोलिस्ट हैं, वे छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज में अपना काम कराते हैं, अपना माल बनवाते हैं और अपना छापा उस पर लगा कर उस माल को अपने नाम से बेच देते हैं। अगर पकड़े जाते हैं, तो

फिर लोक-आउट कर देते हैं और इस तरह से सैंकड़ों हजारों वर्कर्स बेकार हो जाते हैं। इस तरह की जो बातें हैं, उनसे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज वालों को बचाया जाना चाहिए और अपोजीशन की तरफ से जो इस तरह की बात कही गई है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। यूनियन्स की बातों को सुनना चाहिए। आज तो वर्कर्स जो पैटीशन देते हैं या कुछ बोलते हैं, उसकी कोई हियरिंग नहीं होती है। मेरा कहना यह है कि यूनियन्स के रेप्रेजेन्टेटिव्ज को बुलाकर और वर्कर्स को बुलाकर बातें करनी चाहिए और यह जो धांधलेबाजी चल रही है, यह खत्म होनी चाहिए।

मैं आपको बताऊं कि ऊषा जो एक बहुत बड़ी कम्पनी है, उसका काम यह है कि फेंस के पार्ट्स वह एन्सीलियेरी इन्डस्ट्रीज में वर्कर्स से बनवाती है और फिर उनको निकाल देती है। जब उन लोगों ने आन्दोलन किया तो उसको बन्द कर दिया। एंसीलियेरी इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने अपनी मांगें ऊषा कम्पनी के सामने रखीं और आप जानते ही हैं कि वह डी० सी० एम० वालों की एक बहुत बड़ी कम्पनी है लेकिन उन लोगों को पूरी तन्ख्वाह नहीं दी जाती है। जब लोगों ने वह सवाल उठाया, तो उनको रिट्रेन्चड कर दिया और जब उन्होंने कहा कि हमें आप रिट्रेन्च क्यों कर रहे हैं, तो फिर कम्पनी को बन्द कर दिया। 6 महीने तक वर्कर्स इसके लिए लड़ते रहे और छः महीने भूखे मरने के बाद अब वह फैक्टरी चली है। इस तरह से सरकार की जो गाइड-लाइन्स हैं इन्सीलियेरी इन्डस्ट्रीज को मदद देने की, वह मानी नहीं जा रही हैं। आपकी इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री में यह क्या हो रहा है। नेशनेलाइजेशन जो आपने किया है वह एक बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको इस काम में यूनियन्स का कोआपरेशन लेना चाहिए, वर्कर्स को काआपरेशन लेना चाहिए। तभी यह ठीक से चल सकता है। अलग-अलग नहीं बल्कि जो सेन्ट्रल आर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मिलकर इस काम को करना चाहिए और जो लोक-आऊट करके चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इसके बारे में सरकार को प्रस्ताव दिया है और तजबीज रखी है। ये लाक-आउट क्यों होते हैं और मालिक फैक्टरीज को बन्द क्यों करते हैं, इसके बारे में आपको यूनियनों से बात करनी चाहिए और वर्कर्स को काआपरेशन लेना चाहिए।

मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टीसिपेशन की बात भी की जाती है लेकिन मेरा कहना यह है कि इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट वर्कर्स को कोई राइट्स नहीं देता है और एक वर्कर को उसमें नाममात्र के लिए रख लेते हैं और उसको डांट कर जो करवाना होता हैं, करवा लेते हैं। इस तरह से सही माइनों में वर्कर्स का पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट से कैसे हो सकता है। आप बिना वर्कर्स की को आपरेशन के इण्डस्ट्रीज को नहीं चला सकते हैं और आपकी जो पालिसी मैनेजमेंट में पार्टीसिपेशन की है, उसको सही माइनों में अमल में लाना चाहिए और जो वकर्स हैं और जो प्रोडक्शन फोर्स है, उनका फुल को आपरेशन लेना चाहिए। आप जिस तरीके से भी उन्हें मदद दे सकते हैं, वह दें। आप उनको मदद देने के लिए जो चाहें वह करें। नहीं तो वर्कर्स की बात को कौन सुनेगा।

अब मैं और न बोलते हुए इस बिल को सपोर्ट करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वर्कर्स से हर तरह की कोआप्रेशन लेंगे और इनको आगे अच्छी तरह चलायेंगे।

*श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली) : सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1984 का समर्थन करता हूं। यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें पांच वर्ष का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा।

हमारा देश एक विशाल देश है तथा सारे देश में रेल परिवहन सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकतीं। "बैगनों" की बढ़ती हुई कमी तथा रेलवे के विकास के लिए धन की कमी की स्थिति में सड़क परिवहन का महत्व बहुत बढ़ गया है। सड़क द्वारा परिवहन का अर्थ है लारियां तथा ट्रक जिन्हें टायरों की आवश्यकता होती है तथा टायर भी ऐसे जो लम्बी ढुलाई के लिए उपयुक्त हों। दूसरे शब्दों में, हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास में टायर एक अनिवार्य वस्तु बन गए हैं। महानगरों में सार्वजनिक परिवहन जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समक्ष नहीं है। अतएव, कारों, मोटरों, तिपहिया तथा दोपहिया स्कूटरों का उत्पादन काफी बढ़ा दिया गया है हाल ही में हमने छोटी कारों के उत्पादन के लिए मारूति उद्योग की स्थापना की है। उससे सभी प्रकार और किस्मों के टायरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, दुर्भाग्यवश टायर उद्योग 'एम० आर० टी० पी०' तथा 'एफ० ई० आर० ए०' कम्पनियों के शिकन्जे में है, जिन्हें जहां तक टायरों का सम्बन्ध है, मांग तथा पूर्ति की स्थिति का अनुचित लाभ उठाने में कोई खेद नहीं है।

भारत सरकार ने अक्तूबर, 1983 में टायरों पर उत्पादन शुल्क घटा दिया और आशा की थी कि लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन, टायर निर्माता न केवल उस वित्तीय लाभ को डकार गए, बल्कि उन्होने टायरों के मूल्यों में भी वृद्धि कर दी। इस कृपणता से क्रुद्ध होकर माननीय वित्त मन्त्री ने 1984-85 के बजट में टायरों पर दी गई उत्पादन शुल्क की छूट वापस ले ली। उन्होंने अपनी अप्रसन्नता अपने बजट भाषण में भी प्रकट की।

महोदय, भारतीय पैट्रो-रसायन निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र में है, पोलीबुटाडीन रबड़ को बहुत कम दामों पर बेच रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस बारे में एक संसदीय प्रश्न था। अग्रणी निजी क्षेत्र जो स्टायरीन बुटाडीन रबड़ का उत्पादन कर रहा है, इसको कोयले तथा विद्युत् जैसे आदानों के दाम बढ़ जाने के बावजूद कई वर्षों से स्थिर दामों पर बेच रहा है। इसके अतिरिक्त, बड़ी टायर निर्माता कम्पनियां कई कुटिल तरीकों से विदेशों से सिन्थेटिक रबड़ का आयात कर रहे हैं। एक कुटिल तरीका पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय ने बन्द कर दिया था। आयातित सिन्थेटिक रबड़ का मूल्य निःसन्देह कम है और इन सभी के बावजूद टायरों के मूल्य तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। टायर कम्पनियां सिन्थेटिक रबड़ की देशीय प्रतिष्ठापति क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करने देती। उन्हें अधिक लाभ कमाने से मतलब है। वे टायरों को ऊंचे दामों पर बेचती हैं यद्यपि उन्हें आदान कम दामों पर मिलते हैं। महोदय, 'धर्माधा' नामक प्रणाली के अन्तर्गत एक टायर कम्पनी ने परिवहन मालिकों से काफी बड़ी राशि एकत्रित कर ली है। यदि वे कुछ आनाकानी करते हैं तो टायरों की सप्लाई में विलम्ब कर दिया जाता है। हाल ही में, राजधानी दिल्ली में परिवहन मालिकों तथा

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

टायर कम्पनियों में हिंसात्मक झगड़े तथा संघर्ष देखने को मिले हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि टायर कम्पनियां स्थिति का नाजायज लाभ उठा रही हैं। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने अनेक बार टायर निर्माण के लागत ढांचे का अध्ययन किया है तथा इस निकाय ने बहुत-सी सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार ने अभी कार्यान्वित नहीं किया है। यद्यपि देशीय प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ रहा है तथापि इसके मूल्य को रोकने के लिए प्राकृतिक रबड़ के आयात का भी मैं उल्लेख करूंगा। केवल इसलिए कि प्राकृतिक रबड़ विदेशों में कम मूल्य पर उपलब्ध है, हम प्राकृतिक रबड़ के मूल्य को स्थिर रखने के विचार से इसका आयात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक रबड़ भी टायर निर्माताओं को प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस सारे नर्म रवैये के बावजूद वे टायरों के दाम नहीं घटा रहे हैं।

इस निरन्तर हठीले रवैये को दृष्टिगत रखते हुए, मैं पुरजोर सुझाव दूंगा कि सिन्थेटिक रबड़ के आयात पर हमेशा के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। यदि प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से कोई समस्या खड़ी होती है तो प्रतियोगी मूल्यों पर उपभोक्ताओं को टायरों के वितरण तथा उपयुक्त उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। देश की परिवहन और अर्थ-व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है।

अब तक हमें जो आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं उन्हें बनाए रखने के लिए मैं यहां तक मांग करूंगा कि देश में सभी टायर उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि केवल इनचेक टायर्स और नेशनल रबड़ का राष्ट्रीयकरण कर देने से सरकार इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

मैं इस तथ्य का उल्लेख करके अपनी मांग को स्पष्ट करूंगा कि हमारे देश में किसान अपनी उपज को बैलगाड़ियों द्वारा लाते-ले जाते हैं। वे अपना अनाज खेत से घर ले जाते हैं, वे गन्ना खेत से चीनी मिलों तक ले जाते हैं। वे उर्वरक, बीज आदि जैसे आदान इन बैलगाड़ियों में लाते हैं। वे ये काम ट्रकों या लाठियों द्वारा नहीं कर सकते। उनके लिए ईंधन की लागत वहन करना असम्भव होगा, विशेषकर ऐसी स्थिति में जहां कृषि आदानों की लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन बैलगाड़ियों के टायरों की बढ़ती हुई कीमत से वे परेशान हैं। केन्द्र ने इन टायरों पर उत्पादन शुल्क लगा दिया है। माननीय मन्त्री इससे इन्कार नहीं कर सकते कि बैलगाड़ियां अभी भी हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक नेता चीख-चीख कर यह कहते हैं कि किसानों की आवश्यकताओं को परम महत्व दिया जाएगा। वास्तव में किसानों की आवश्यकताओं को निम्नतम प्राथमिकता दी जाती है। यदि जो कुछ हम उपदेश देते हैं, उस पर अमल किया जाना है तो मैं बैलगाड़ियों के टायरों पर से उत्पादन शुल्क हटाने की मांग करूंगा और यह भी मांग करूंगा कि राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए जाएं कि ऐसे टायरों से बिक्री कर हटा लें। श्रीमन्, यदि हम अपने देश में हरित क्रान्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए।

31-3-1982 को इनचेक टायर्स तथा नेशनल रबड़ मैनुफैक्चरर्स की कुल हानि बढ़कर क्रमश: 25.81 करोड़ तथा 18.74 करोड़ रुपए हो गई। लगभग 4500 कामगारों का रोजगार

बचाने के लिए केन्द्र इस वित्तीय बोझ को उठाने के लिए आगे आया है। सरकार की कामगारों की दशा के बारे में चिन्ता के कारण ही मुख्यतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कठोर वित्तीय बाधाओं के बावजूद सरकार के इस प्रयास की हमें प्रशंसा करनी होगी।

महोदय, मैं डी० एम के० दल से सम्बन्ध रखता हू जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की सभी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने के हक में है ताकि देश का विकास हो सके। डा० कालायग्रार करुणानिधि के नेतृत्व वाली तामिलनाडु सरकार ने सर्वप्रथम तमिलनाडु में बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया। नीलगिरि जिले के बस मालिक, 1973 में पारित किए गए बस राष्ट्रीयकरण अधिनियम को पहले उच्च न्यायालय में और उनके बाद सर्वोच्य न्यायालय में ले गए। दस वर्षों के बाद 1983 में सर्वोच्य न्यायालय ने तामिलनाडु सरकार के बस राष्ट्रीयकरण कानून को वैध करार दिया। इस निर्माण का स्वागत करने तथा इसे कार्यान्वित करने की बजाए तामिलनाडु के मुख्य मन्त्री, जिन्हें अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा प्रभाव की अधिक चिन्ता है, ने इस विधेयक के उपबन्धों को ताक पर रखकर निजी बस मालिकों को फिर व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने विधेयक के उपबंधों को अपने स्वार्थ पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई कुटिल तरीकों से मात दे दी है।

अभी कुछ समय पहले सदन ने गणेश फ्लोर मिल्स का अधिग्रहण करने की स्वीकृति दी। मैं कहूंगा कि जनता में यह धारणा है कि सरकार केवल रुग्ण इकाइयों को ही अपने हाथ में ले रही है। दूसरे शब्दों में, सरकार उन उद्योगपतियों की सहायता के लिए आगे आ रही है जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इन इकाइयों का दुरुपयोग किया है। उन्हें यह भी अनुभव है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कुछ वर्षों के कार्यकरण के पश्चात् घाटे में जाना शुरू हो जाते हैं। वे इनके कार्य की निजी क्षेत्र की इकाइयों के कार्य से तुलना करते हैं जो सुव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं। जनता की यह धारणा दूर करनी होगी। आपको इन दो इकाइयों के प्रबन्ध के लिए प्रबन्धकों का कुशल दल भेजना चाहिए ताकि वे कार्यकुशलता की मिसाल बन सकें। दूसरे सरकार को देश के हित में लाभ अर्जित कर रही इकाइयों का भी राष्ट्रीयकरण करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। यदि आर्थिक परिस्थितियां ऐसे अधिग्रहण की मांग करती हैं तो सरकार को बड़ी टावर इकाइयों जैसी लाभ कमा रही इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए, जो काफी बड़े लाभ को देश से बाहर भेज देते हैं, जो देश के कानून को आदर की दृष्टि से नहीं देखते तथा जिन्हें देश के आर्थिक विकास में कोई रुचि नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री इस्माइल ने जो कुछ कहा हैं कि इन दो कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत करने के कदम की काफी समय से प्रतीक्षा थी, मैं उसका समर्थन करता हूं। निःसन्देह, कभी न होने से देर भली।

मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि हम कई वर्षों से इसकी मांग करते आए हैं। मन्त्री महोदय को शायद इसकी जानकारी न हो, लेकिन उनके वरिष्ठ मन्त्री के पास कलकत्ता से सत्ताधारी

दल के संघ सहित इन दोनों कारखानों के सभी मजदूर-संघों के लगभग आधा दर्जन प्रतिनिधि-मंडल आ चुके हैं। अन्य संघों के साथ कांग्रेस का संघ भी वर्षों से राष्ट्रीयकरण की मांग करता आया है ताकि इन दो कम्पनियों की दशा सुधारी जाए, इन्हें बचाया जाए और सही ढंग से चलाया जाए। यहां इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ। इसमें काफी अन्तराल है। सरकार ने 7-8 वर्ष पहले प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था और बार-बार हम यह बताने के पश्चात् कि मामला अभी विचाराधीन है, अब यह कदम उठाया गया है। खैर, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कभी न होने से देर भली।

इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं समझता हूं सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब सदन को दोनों कम्पनियों को लगभग पांच करोड़ रुपए 490.04 लाख, 5 करोड़ से जरा-सी कम राशि की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति देने के लिए कहा जा रहा है जोकि कोई छोटी राशि नहीं है, तो सदन को कम-से-कम इतना तो बताया जाना चाहिए कि इस राशि की गणना का आधार क्या है। उन्होंने यह पांच करोड़ रुपए का अंक कहां से प्राप्त किया? यह 50,000 रुपए की राशि के अतिरिक्त है जो प्रति वर्ष उन्हें दी जाएगी। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। क्या सदन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात का अनुमान लगाए कि भारत की संचित निधि में से इतनी अधिक राशि किस कार्य के लिए दी जा रही है? इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि इस राशि का परिकलन कैसे किया गया और उसका आधार क्या था। इस बारे में यहां कुछ भी नहीं है।

उसके बाद, श्रीमन्, हम इन दो कम्पनियों को चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नए प्रबन्ध ढांचे के बारे में भी कुछ आश्वासन चाहते हैं। जो अखबारों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उससे पता चलता है कि दोनों कम्पनियां एक संस्था के रूप में कार्य करेंगी और खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की पुरानी कम्पनी एन्ड्रयु को इन कम्पनियों की देखरेख करने का अधिकार दिया जाएगा। हमें कुछ नहीं पता। हम अधिकारिक रूप से सरकार से सदन में यह जानना चाहते हैं कि इन दो कम्पनियों के वास्तविक प्रबन्ध के लिए अब किस व्यवस्था का प्रस्ताव किया जा रहा है।

उसके पश्चात्, कामगारों की भागीदारी का प्रश्न आएगा। मुझे प्रसन्नता है कि श्रम मन्त्री यहां उपस्थित हैं। अभी हाल ही में उनके मंत्रालय ने प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी के सम्बन्ध में एक और स्कीम परिचालित की है।

मैं नहीं जानता कि पिछले कई वर्षों के दौरान कितनी ऐसी योजनाएं प्रचारित की गईं या उन पर चर्चा की गई और स्वीकार भी की गईं। लेकिन नई योजनाएं बनती रहती हैं, क्योंकि कुछ भी कारगर नहीं हो रहा है।

कुछ दिन पहले मैं हाल में प्रकाशित एक पुस्तक देख रहा था, और उसमें कुछ रुचि भी दिखाई गई क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार के मंत्री द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में, एक जगह उन्होंने मजदूरों के प्रबन्ध में भागीदार बनने के बारे में लिखा है कि जब कभी भी कोई उद्योग घाटे में जाता है या रुग्ण होता है तो कई एक लोग आते हैं और कहते हैं कि, मजदूर इसे अपने हाथों में ले लें

और इसे चलायें। लेकिन जैसे ही कोई उद्योग सही ढंग से चलने लगती है या लाभ की स्थिति में आ जाती है या उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है तो मजदूरों को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। किसी को भी उनके बारे में चिन्ता नहीं होती। सारा रवैया यही होता है, जैसे वे कोई घटिया लोग हों, जिनके पास कम्पनी को चलाने के लिए और योगदान देने के लिए कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की कम्पनी जोकि इतने घाटे में चल रही है और रुग्ण, है के बारे में क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल में काफी संख्या में रुग्ण इकाईयां हैं। इस समय मैं केवल इसी प्रदेश के बारे में बातें करूंगा, हालांकि सारे देश में कई बातें हो रही हैं। कम्पनियों के पूरे ग्रुप की यही दुर्दशा है। कहीं भी हम नहीं पाते हैं कि कम्पनी के प्रबन्ध को चलाने में श्रमिकों के योगदान के बारे में गम्भीरता से प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अब मैं जानना चाहता हूं कि इन्चेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, के नये ढांचे में जो कि आप लाना चाहते है, क्या इन उद्योगों के प्रबन्धों में श्रमिकों का भी कोई हिस्सा होगा या नहीं?

अभी हमने सुना कि मजदूरों को जनवरी, 1984 के वेतन व भत्ते नहीं दिए गए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है। मुझे वहां से शिकायत मिली है कि उनको जनवरी माह के वेतन व भत्ते नहीं दिए गए हैं। अगर यह सत्य है तो पूछता हूं कि ऐसा क्यों है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ये अब दे दिए गए हैं, तो मंत्री जी इसकी पुष्टि करें। लेकिन इस प्रकार की बातें हमारे मन में शंकाएं पैदा करती हैं कि आप किस प्रका का प्रबन्ध वहां लाना चाहते हैं।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री इस्माइल ने भी कहा है, मैं भी मात्र इतना कहना चाहता हूं कि, इस सारी समस्या के प्रति सरकारी नीति या नीति के अभाव के प्रति हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। मैं पश्चिम बंगाल से 3 या 4 उदाहरणों से आपको बताना चाहता हूं कि, सरकार को स्पष्टतः कुछ पता नहीं है या उसकी नीति संगत नहीं है कि वे इन कम्पनियों की समस्या से कैसे निपटेंगे जो कि रुग्ण हैं या जिनका प्रबन्ध सही नहीं है या जो काफी घाटे में जा रही हैं या जिन्हें पिछले मालिकों ने काफी घाटे में पहुंचा दिया है। उनके सोचने का ढंग क्या है? उन्हें हमें अवश्य बताना चाहिए कि उनकी नीति क्या होगी। हमने देखा कि वे कई एक प्रयोग कर रहे हैं।

कुछ कम्पनियों को आई० आर० सी० आई० को सौंप दिया था। मुझे याद है, एक काफी पुरानी कम्पनी, जोकि देश में अपने क्षेत्र में अग्रणी थी—बंगाल पोटरीज लि०, जोकि न केवल छूरी कांटे या क्राकरी का ही निर्माण करते हैं, बल्कि कई एक पोर्सिलेन (चीनी-मिट्टी) के उत्पादनों का भी काफी संख्या में उत्पादन करते हैं जोकि बिजली उद्योग जैसे, इन्सूलेटर, केपसीटेटर आदि में प्रयोग होते हैं। उनकी कलकत्ता में दो फैक्ट्रियां हैं। बंगाल पोटरीज रुग्ण प्रतीत होती हैं। इसको आई० आर० सी० साई को सौंप दिया गया जिससे कि यह पुनः सही स्थिति में आ जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता —जोकि इस कम्पनी को पुनः सही स्थिति में लाने को प्रभारी बनाया गया उन्हीं के निदेशक काल में कम्पनी पहली दफा रुग्ण हुई थी। वही आदमी पुनः

रखा गया। अब इन उद्योगों में आई० आर० सी० आई० द्वारा बहुत बड़ी राशि लगाई गई है। पर इन पर नियन्त्रण उसी व्यक्ति का है, स्थिति अब भी काफी बुरी है। पता नहीं यह कम्पनी कैसे चलेगी।

इस मामले में, हम बार-बार कहते रहे हैं कि अगर इन्चेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और राष्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में कार्य कर सकती है तो बंगाल पोटरीज का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता ? सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। पिछले ही सप्ताह मुझे एक प्रश्न के उत्तर में श्री नारायण दत्त तिवारी से पत्र प्राप्त हुआ है। क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि वे इसे किसी निजी पार्टी को सौंपने वाले हैं। असल में एक दफा एक नाम भी लिया गया था। यह बिड़ला का नाम था और ऐसा कहा गया था कि उनकी इसको लेने में दिलचस्पी है। खैर नारायण दत्त तिवारी ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि इसे बिड़ला को सौंप दिया जाए और बिड़ला को इस प्रकार की कम्पनियों में दिलचस्पी नहीं है। कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई हैं। लेकिन क्या करने का उनका प्रस्ताव है, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

पिछली दफा, वरिष्ठ मंत्री ने मुझे बताया था कि वह अपने मंत्रालय के किसी उच्च अधिकारी को कलकत्ता भेज रहे हैं ताकि वह राज्य सरकार से इस बारे में चर्चा करें कि बंगाल पोटरीज की समस्याओं का समाधान कैसे हो, लेकिन यह बात पिछले कई वर्षों से कही जा रही है। इसमें 5,000 लोग कार्य कर रहे हैं और वे यह नहीं जानते कि आने वाले कल में उनके भविष्य का क्या होगा ? हम नहीं जानते कि वे एक मामले में एक मापदंड और दूसरे में दूसरा मापदंड क्यों अपनाते हैं ?

एक अन्य कम्पनी है—हिन्दुस्तान पिलकिन्गटन ग्लास वर्कर्स। यह एक पुरानी है जो कि अत्याधुनिक तरीकों से ग्लास शीट तैयार करती है। आरम्भ में इसे विदेशी सहयोग आदि प्राप्त था। यह भी रुग्ण हो गई काफी अर्से तक बन्द रही। फिर उन्होंने एक फार्मूला प्रयोग किया। उन्होंने एक जाने-माने विदेशी बैठे—'ग्रिन्डले' को पकड़ा। इसको सामने लाये। उन्होंने बम्बई या शायद गुजरात के सज्जन व्यक्ति श्री ताकतावाला को पकड़ा जो कि गुजरात में कई ग्लास निर्माता कम्पनियों के मालिक हैं। ग्रिन्डले से प्राप्त राशि व श्री ताकतावाला के तकनीकी अनुभव से, हमें आश्वासन दिया गया कि यह, हिन्दुस्तान पिलकिगन्टन ग्लास वर्क्स शीघ्र पुनः कार्य करना आरम्भ देगी और यह शीट-ग्लास बनाने की प्रक्रिया यथा शीघ्र आरम्भ की जाएगी। यह सबसे लाभकारी बात होती। लेकिन यह मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि श्री ताकतावाला पुनः सारे झगड़े से अलग हो रहे हैं वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो कि एक कम्पनी को करना चाहिए और कम्पनी को पुनः संकट का सामना करना पड़ रहा है। शीट ग्लास विभाग ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। हम नहीं जानते कि आपका क्या करने का विचार है।

कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा—यह एक बंगाली समाचार पत्र था—मुझे अफसोस है कि यहां इस वक्त मेरे पास इसका अंग्रेजी संस्करण नहीं है। कलकत्ता से एक दैनिक समाचार

पत्र 'आजकल' निकलता है। इस समाचार पत्र में एक समाचार है कि 6 फरवरी को हमारे श्रम और पुनर्वास मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तीन उद्योग, दि कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स,, दि इन्डियन रबर मैन्युफैक्चरर्स और केवसटर पूलर उसी दशा में चालू रह सकते हैं जब सरकार इन्हें अपने हाथ में ले लें और इन्हें चलाए। मैं नहीं जानता कि यह सत्य है या नहीं, लेकिन समाचार पत्रों में ऐसा छपा है। इसी दौरान क्या हुआ ? उद्योग मन्त्रालय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि इस कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स को अनधिसूचित किया जाता है और इसे बन्द होने की अनुमति दी जाती है, और इस बारे में कुछ भी नहीं किया जाएगा। हर रोज हमें लोगों से पत्र और अपीलें प्राप्त होती हैं कि "कृपया हमें बचाने के लिए कुछ करें। हम तबाह हो जायेंगे।" उन्होंने एक बहुत ही ठोस प्रस्ताव रखा है वे इन कन्टेनरों का निर्माण करते हैं जोकि तेल उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। और बंगाल में आपका एक उद्योग है बलमेर लारी, पुराने वाले बलमेर लारी नहीं, बल्कि वह बालमेर लारी आपने अपने हाथ में लिया है। यह बालमेर लारी, आसानी से इस कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स को एक सहायक कम्पनी के रूप में ले सकता है, क्योंकि वे ऑयल कारपोरेशन और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कन्टेनर्स बना सकते हैं। और इस प्रकार इन 800 लोगों को बचाया जा सकता है। मैंने इस बारे में मन्त्री महोदय को लिखा था और उनसे बात भी की थी। लेकिन अब उन्होंने पुनः उत्तर दिया कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बालमेर लारी भी इसमें रुचि नहीं रखते हैं। इसमें किसी की भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सारी कम्पनी बन्द हो गई हैं।

यही बात कार्टर पूलर के साथ हुई है। एक दफा यह सुझाव दिया गया था कि रक्षामन्त्रालय कार्टर पूलर के स्रोतों का कुछ प्रकार के उपकरणों, हथियार नहीं, के निर्माण में प्रयोग कर सकता है। लेकिन कुछ समय पश्चात्, सारी बात खत्म हो गई है और कार्टर पूलर बन्दे हो गई है।

इस प्रकार हम नहीं जानते कि किस नीति का अनुसरण किया जा रहा है। अतः या तो आप कहें कि भविष्य में आप इस प्रकार के उद्योगों को, जिनमें से अधिकांश पिछले मालिकों की वजह से रुग्ण हुए हैं, हाथ में नहीं लेंगे या उनको संयुक्त उद्योग के रूप में चलाएंगे। कुछ नीति होनी चाहिए। मैं इस संयुक्त उद्यम के विचार का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन मगर आपका यह विचार है, तो कहिए कि सरकार इसे अकेली नहीं चला सकती है और यदि कोई निजी पार्टी तैयार हो और वह और सरकार मिलकर उसे संयुक्त उद्यम के रूप में चला सकते हैं। या आप कहें कि आप इसे आई० आर० सी० आई० को सौंप देंगे या आप इसे पूरी तरह से किसी निजी नियोजक को बेच देंगे। हालांकि हम इन सब बातों का विरोध करेंगे। पूर्ण राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के रूप में प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लिए जाने के बाद, जिसे हम सोचते हैं, लिया भी जाना चाहिए। अपनी बात से पीछे हटना चाहते हैं और ये अब मैं उसे या तो संयुक्त उद्यम के रूप में चलाना चाहते हैं या उसे अधिसूचित कर पूरी तरह से बन्द कर देना चाहते हैं। यह एक अप्रगतिशील कदम है जो कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कभी पश्चिम बंगाल को हड़तालों के लिए बदनाम किया जाता था। उस पर श्रमिक अशान्ति के ताने कसे जाते थे। आज आंकड़ों से पता चलता है कि हड़तालों से उतने कार्य दिवसों की हानि नहीं होती, जितनी कि नियोजकों द्वारा

कारखानों को बन्द किये जाने से या उनकी तालाबन्दी से होती है। मैं अन्य सभी उद्योगों का जिक्र नहीं कर रहा हूं।

श्री इस्माइल ने टीटागढ़ पेपर मिल्स में कई तालाबन्दियों का उल्लेख किया है। जहां तक पटसन मिलों का सम्बन्ध है हर व्यक्ति जानता है कि गत वर्ष 21 जूट मिलें एक ही समय में एक साथ बन्द थीं। इस विषय में आपने क्या किया है ? क्या आपने मिल मालिकों की कमी खिंचाई की ? यह उपदेश और प्रताड़ना केवल श्रमिकों के लिए ही सुरक्षित है। उनसे आप कहते हैं, हड़ताल न करो; यदि हड़ताल होगी तो इतने उत्पादन की हानि होगी और यह देश के हित के विरुद्ध है। इस तरह की बात आप करते हैं। सैकड़ों मिल मालिक बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते हैं और अपने पास की रकम नहीं लगाते। ये कारखानों को चलाते हैं और उन्हें बर्बाद कर देते हैं। पैसा खा जाते हैं, चोरी और फिर यह घोषणा कर देते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और वे मिलों को बन्द कर रहे हैं। यह सरकार इन लोगों से तो कुछ भी नहीं कहती है। क्या ये लोग देश के उत्पादन के साधनों को नष्ट करने के दोषी नहीं हैं और सरकारी धन की सहायता लेकर उन्हें यह काम करने दिया जा रहा है। यह बात अब सबको मालूम है प्राइवेट क्षेत्र अब नाम मात्र को भी नहीं हैं। प्राइवेट क्षेत्र सार्वजनिक पूंजी की सहायता से चल रहा है। इस रकम का गबन होता है, कारखाने कुप्रबंध का शिकार होते है और अन्ततः यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौजूदा विधेयक एक विशेष उद्योग के बारे में है लेकिन हमारे सामने प्रश्न यह है कि समूचे विषय के प्रति सरकार की क्या नीति है ? अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन कारखानों के बारे में सरकार क्या कर रही है। बंगाल पोटरी में तो सुधार हो सकता है। इसमें निर्यात की भी काफी गुंजाइश है। इसमें बढ़िया किस्म की क्राकरी, चीनी बर्तन इन्सूलेटर और केपेसिटर्स बिजली उद्योग के लिए बनाये जाते हैं। इस बर्बादी से रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये जाते हैं। यह बात मैं नहीं समझ पाता हूं। हम उत्पादन का विकेन्द्रीयकरण कर सकते हैं। अनेक कदम उठाये जा सकते हैं। श्रमिक सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन इसे वर्ष प्रति वर्ष टाला जाता रहा है। आई० आर० सी० आई० भी इस दिशा में असफल रहा है। हमने मंत्री से अनुरोध किया था, भगवान के लिए इस व्यक्तिं को वहां से वापस हटा लीजिये, इसी के कारण यह कारखाना आज बीमार हुआ है और आप यह उम्मीद करते हैं कि वही आदमी अब पुनः उसकी स्थिति में सुधार करे। इसकी प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम यह नहीं समझ पाये हैं कि आपका उद्देश्य अथवा अभिप्राय क्या है। यदि आप कुछ जानकारी दे सकें तो सदन को बताइये। मालूम नहीं इन कारखानों की स्थिति के बारे में आप कुछ जानकारी देने की स्थिति में हैं या नहीं। बंगाल पोटरी अथवा हिन्दुस्तान पिलकिंगटन और अन्य कारखानों के बारे में शायद आप जानकारी लेकर नहीं आए हैं। श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कदाचित सरकार द्वारा इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का समर्थन किया है इनमें से दो उद्योग—कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स और 'कार्टर पुलर', अब बन्द हो चुके हैं। श्रम मन्त्रालय और उद्योग मंत्रालय के विचार इस विषय में परस्पर विरोधी हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को दिया गया समय लगभग पूरा हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे खेद है कि मेरे कारण आपको अधिक बैठना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप बीस मिनट बोल चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं किन्तु यह बात मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं क्योंकि वह इस विषय पर सरकार की नीति का खुलासा करने वाले नहीं हैं। लेकिन इस विधेयक के बारे में मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं उनका तो खुलासा होना चाहिए—एक प्रश्न मुआवजे के बारे में है और दूसरा प्रबन्ध के ढांचे से सम्बन्धित है। इनका उद्देश्य यह है। कि इन कारखानों का समुचित प्रबन्ध किया जाये। मुझे आशा है कि वह इस विषय में कुछ रोशनी डालेंगे।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु इस विषय में मेरी कुछ शंकायें भी हैं।

सर्वप्रथम तो यह विधेयक अध्यादेश के माध्यम से नहीं लाया जाना चाहिए था। पर संसद की बैठक के केवल नौ दिन पहले यह अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश का अर्थ यह है कि इसे प्रवर समिति को सौंपने अथवा जनमत के लिए प्रचालित करने का संसद का अधिकार ही समाप्त हो गया। सरकार द्वारा इसका प्रबन्ध छह वर्षों तक संभालने और कारखाने में हानि के बाद इतने महत्त्वपूर्ण विधेयक को अध्यादेश के रूप में लाना उचित नहीं है। सरकार छह वर्ष तक सोती रही और फिर यह अध्यादेश जारी किया गया। सरकार से इसका प्रबन्ध 1977-78 में सम्भाला था। इसी बीच पहली कम्पनी को सत्रह करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और दूसरे को 14 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सरकार द्वारा इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिख जाने के बाद भी इन कारखानों में नुकसान हो रहा है। इन कम्पनियों को जब से सरकार ने अपने हाथ में लिया तब से इनमें पहले से अधिक हानि हो रही है। मेरी आपत्ति यह है कि छह वर्ष तक काम सम्भालने के बाद और इतनी हानि के बाद क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि इन कारखानों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार इनकी दशा में सुधार कर सकती है। मुझे इसमें गहरी शंका है।

मेरी एक और गम्भीर आपत्ति है। मारुति मोटर्स के बारे में प्रधान मन्त्री को रुचि है इसलिये इस उद्योग का सफल संचालन हो रहा है और दो वर्ष में मारुति ने उत्पादन शुरू कर दिया और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी अर्जित की है। सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले अन्य उद्योगों के बारे में भी इतनी ही दिलचस्पी क्यों नहीं ली जाती है ?

अधिकांश कारखाने राष्ट्रीयकरण और सरकार द्वारा इनका काम सम्भालने के पश्चात् भी नुकसान उठा रहे हैं। मौजूदा उद्योगों में राष्ट्रीयकरण के निम्न कारण बताये गये हैं : (i) श्रमिक अशांति, (ii) बिजली की अत्यधिक कमी, (iii) वित्तीय कठिनाई और (iv) कच्चे माल का उपलब्ध न होना। मरम्मत, नवीकरण और मशीनों के आधुनिकरण का भी प्रश्न है। यदि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो जब तक हम इनकी खामियां दूर नहीं करते हैं तब तक यह किस प्रकार मुनाफा कमा सकते हैं। फिर सरकार चार करोड़ रुपया नकद दे रही है। किन्तु बैंकों का कर्जा चुकाने और सरकार तथा अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए इससे तिगुनी रकम की जरूरत है। इसका ब्यौरा

नहीं दिया गया है। इस समय जितनी रकम की आवश्यकता है और कारखाने को ठीक ढंग से चलाने के लिए जितनी रकम की आवश्यकता है, चार करोड़ रुपये तो उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं है। मशीनों और अन्य चीजों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक रकम की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीयकरण किस प्रकार किया जाए इसके लिये नीति निर्धारित करना जरूरी है।

कम्पनी विधि में कम्पनियों के विलय, नया प्रबन्ध आदि कमियों को दूर करने के लिए प्रावधान है जब दो उद्योग संतोषजनक ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनकी व्यवस्था सुधारने के लिए इनका परस्पर विलय कर दिया जाता है। छोटे उद्योगों की अपेक्षा बड़े उद्योगों में नुकसान होता है। यदि इन कारखानों में कुप्रबंध है तो इनमें सुधार करने के लिए सरकार पुनर्गठन के प्रावधानों का उपयोग क्यों नहीं करती है ? इन कारखानों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाकर क्यों चलने दिया जाता है। सरकार इतना घाटा क्यों उठाती है।

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विवश होकर इन कारखानों का काम सम्भालना पड़ता है जो उद्योग काफी समल से घाटे में हैं उनका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में लिया जा सकता है। सरकार ने गत चार वर्षों में कई उद्योग अपने हाथ में लिए हैं। संसद सदस्य की हैसियत से मुझे मालूम है कि सरकार ने लगभग 20 उद्योगों का काम संभाल लिया है। इनमें से चार या पांच उद्योग भी संतोषजनक तरीके से नहीं चल रहे हैं और अधिकांश उद्योग भारी घाटे में चल रहे हैं।

श्रम मंत्रालय वित्त मन्त्रालय और उद्योग मंत्रालय को एक साथ बैठकर परामर्श के बाद ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए जो राष्ट्रीयकरण का आधार बन सके और जिसके अन्तर्गत उद्योगों को रुग्ण होने से बचाया जा सके। राष्ट्रीयकरण के बाद भी जब उद्योग असन्तोषजनक ढंग से चलते हैं तो यब उसे समाप्त करने का प्रश्न पैदा होता है। इन उद्योगों को बचाने के लिए इनका प्रबन्ध हाथ में ले लिया जाता है। हमें नीति निर्धारित करनी चाहिए कि किस उद्योग की राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और किस उद्योग को बन्द कर दिया जाये। यह नीति बहुत जरूरी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मंत्रालय श्रमिकों के साथ समझौता करे पूर्वी जर्मनी में, जो साम्यवादी देश है, मैंने यह देखा कि वहां हड़ताल या कारखानाबंदी नहीं होती। आप श्रमिकों के साथ समझौता कर यह कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हमारे यहां हड़तालें न हों और यह कारखाने निर्बाध रूप में कार्य करें। यदि कोई उद्योग संतोषजनक रूप में काम नहीं करता है तो इसे बन्द करने के बजाय श्रमिकों को सौंप दीजिए। यदि वित्तीय सहायता आवश्यक हो तो इसकी व्यवस्था कर उन्हें इसे सुपुर्द कर दीजिए।

हमारे देश में बिजली की गम्भीर समस्या है। जब बिजली की समस्या पैदा होती है तो हम कोयले की कीमत में 25 प्रतिशत वृद्धि कर देते हैं और अनेक उद्योग बिजली की कमी के कारण उत्पादन बन्द कर देते हैं। कर्नाटक में सरकारी उपक्रम उद्योग बन्द होने की स्थिति में है क्योंकि वहां बिजली में पचास प्रतिशत की कटौती है। जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठायेंगे उद्योगों का समुचित प्रबन्ध होना कठिन है।

वित्त के सम्बन्ध में सरकार को नीति तय करनी चाहिए। अनेक उद्योग ठीक काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें मशीनें पुरानी हो गई हैं और इनमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आधुनिकीकरण के लिए काफी रकम की जरूरत है। इन सब बातों का अध्ययन जरूरी है। ऐसा करने पर ही हम इन उद्योगों की दशा सुधार सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाये तो मुझे भय है कि अन्ततः सार्वजनिक धन का अपव्यय होगा और हम इस राशि को वसूल नहीं कर पाएंगे। यदि राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति शीघ्र तय कर दी जाती है तो यह देश के लिए हितकर होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बगैर सोचे समझे-न किया जाए। ऐसा निश्चित नीति के अनुसार और व्यावहारिक दृष्टि से किया जाये।

18.00

मैं विश्वास करता हूं कि जब तक मारुति लिमिटेड सरीखी गम्भीरता न हो तब तक राष्ट्रीयकरण न किया जाये। यदि मारुति आटोमाबाइल कारखाने के बारे में अपनाई गई गंभीरता हम नहीं बरतते हैं तो हम देश के औद्योगिक विकास को सुव्यवस्थित रूप प्रदान नहीं कर सकेंगे।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 5 मार्च, 1984/15 फाल्गुन, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53